खण्ड-343, अंक-10
शुक्रवार, 19 माघ, शक संवत् 1901
(8 फरवरी, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 343 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	1049–1053
प्रश्नोत्तर	..	..	1053–1 80
भूतपूर्व सदस्य, प्रोफेसर राम सरन के निधन पर शोकोद्गार	..		1080–1082
प्रोफेसर राम सरन के निधन की सूचना देर से दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	..	1082–1083
पुनर्वास विभाग द्वारा बसाए गये रिफ्यूजी मार्केट को मेरठ प्रशासन द्वारा उजाड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			1083–1084
प्रदेश के खाण्डसारी इकाइयों को डीजल न देने के सरकार के आदेश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	1084
राज्य सरकार द्वारा गुड़ तथा खाण्डसारी के प्रदेश के बाहर निर्यात करने पर रोक लगा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	1084
जनपद लखनऊ के गोसाईंगंज विकास खण्ड के कतिपय ग्रामों में ओला-वृष्टि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	1085
प्रदेश में गुड़ तथा खाण्डसारी के निर्यात पर लगी रोक को समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की माँग	..	..	1085
फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ नगरपालिका के माध्यमिक शिक्षकों को हाउस रेंट एलाउन्स न दिए जाने से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	1086
जिला सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		..	1086
गोरखपुर जनपद की फरेंदा तहसील के कतिपय ग्रामों में बन्दोबस्त कराए जाने से फसल की बरबादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	1087
श्रम प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा मथुरा शहर में बिना पूर्व सूचना के तोड़-फोड़ किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		..	1087
डीजल न मिलने के कारण जिला शाहजहाँपुर के जलालाबाद क्षेत्र में रबी की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			1087–1088
गोण्डा के करनैलगंज क्षेत्र में डीजल व मिट्टी के तेल के वितरण में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	1088
विविध विषय	..	..	1088–1090
दि इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली द्वारा कैम्फर एण्ड एलाइड प्रोडेक्ट्स के साथ टरपेन्टाइन की आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत लम्बित चर्चा को पूरा कराने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	..	1090–1091
प्रदेश के पुनर्गठन के सम्बन्ध में लम्बित प्रस्ताव को न लिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	..	1091–1092
सदन में अव्यवस्था	..	..	1092–1093
नरायनपुर, जिला देवरिया की घटना तथा प्रधान मन्त्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	..	1094–1099

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का षष्ठम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	1099
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का सप्तम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	1099-1100
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का अष्ठम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	1100
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का नवम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	1100–1102
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का नवाँ विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	1102
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का दसवाँ विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	1102
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	1102
वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दंडित करने की व्यवस्था करने सम्बन्धी संस्तुति का प्रस्ताव को लिए जाने पर आपत्ति	1102–1111
वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण ..	1111
दिनाँक 8 जून, 1979 को पूछे गये ताराँकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नो के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	1111–1112
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	1113
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1113
श्री ऊदल द्वारा दी गयी नियम 51 की सूचना स्वीकार होने के उपरान्त आज की कार्य सूची में न छापे जाने के सम्बन्ध में जानकारी की माँग ..	1114
राज्य में कक्षा 6 से 8 तक के लिए त्रिभाषा फार्मूले में संस्कृत भाषा के अनिवार्य रूप से रखे जाने के सम्बन्ध में संकल्प	1114–1137
समान कार्य के लिए समान वेतन तथा अन्य समाजवादी कदम उठाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	1137
कार्य-सूची की मद संख्या 19–20 का स्थगन	1137
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1138
संविधान (पतालिसवाँ संशोधन) विधेयक, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	1138
गुड़ और खांडसारी के प्रदेश से बाहर निर्यात पर रोक लगाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	1138–1141
वैद्यलिंगम आयोग के सम्बन्ध में चर्चा कराए जाने पर आपत्ति	1141–1143
सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1143–1144
नत्थियाँ	1145–1149

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 3 मिनट पर उपाध्यक्ष; श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—351

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री

गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चौधरी नौनिहाल सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनादन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह , कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धरम राम, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह भाटी, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुबांठा, "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री

बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृजलाल, श्री
बेचूराम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भीषम, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नूराम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह जूदेव, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधश्याम शर्मा, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री

रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम लगन दुबे, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंशगोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरूद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भुनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदाप्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नरायन तिवारी, श्री
श्याम विहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बक्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दरलाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्रपाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री

सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हर गोविन्द सिह, श्री
हरदेव सिह, श्री
हरि प्रताप सिंह, श्री
हरकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिह शास्त्री, श्री
हरिशचन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी सिह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री

नोट—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा नियोजन राज्य मन्त्री, श्री महिपाल सिह शास्त्री भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 8 फरवरी, 1980

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भूतपूर्व मन्त्री, राज्य मन्त्री एवं उप मन्त्रियों द्वारा सरकारी आवासों का उपयोग एवं उन पर बकाया किराया

**1—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1978–79 में कितने भूतपूर्व मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री सरकारी आवासों या अन्य सुख सुविधाओं का उपभोग करते रहे और उन आवासों तथा अन्य सुविधाओं का किराया और अन्य देय उन पर कितना-कितना देय हो गया है और वे कितना भुगतान कर चुके हैं ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

वित्तीय वर्ष 1978–79 में 16 भूतपूर्व मंत्री, 19 भूतपूर्व राज्य मंत्री तथा तीन भूतपूर्व उप मंत्री निर्धारित अवधि के उपरान्त आवास तथा अन्य सुविधाओं का उपभोग करते रहें।

शासन के इन सदस्यों के अध्यासन में आने वाले आवासों तथा उन पर किराये तथा साज सामग्री तथा देय प्रतिकर की 31–12–1979 तक संकलित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1145–1146 पर)

श्री मैनेजर सिह—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 16 मंत्री आवास और अन्य सुविधाएं उपयोग करते रहे, आपने जो विवरण दिया है, उसमें केवल 5 के बारे में ही दिया है और एक के बारे में कहा है कि निर्धारित हो रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि शेष 10 की क्या स्थिति है ? उन्होंने आवास और अन्य सुविधाओं का जो उपयोग किया, क्या उसे उन्होंने जमा कर दिया है या आपने माफ कर दिया है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

16 भूतपर्व मंत्री थे, जिनमें सर्वश्री धर्मसिह, श्रीपति मिश्र और लक्ष्मीरमण आचार्य इन तीन के मकानों के बारे में मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। श्री सत्य प्रकाश

मालवीय के मामले में निर्धारित हो रहा है। सर्वश्री राम सिंह, गणेशदत्त बाजपेयी, शोबन सिंह जीना, हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, ओम प्रकाश सिंह, राम प्रकाश और केशरीनाथ त्रिपाठी, शारदा भक्त सिंह, कल्याण सिंह, बलबीर सिंह का—इनका शासन ने माफ कर दिया है, तथा श्री रवीन्द्र किशोर शाही और श्री कालीचरण ने चूंकि मंत्रि परिषद् के निर्णय के एक महीने बाद तक अपने मकान खाली नहीं किये हैं, इसलिए रवीन्द्र किशोर शाही पर 16,356 रुपया और कालीचरण पर 5,304 रुपया बकाया है।

श्री मैनेजर सिंह—

जब आपने अधिकांश का माफ कर दिया है, तो इन पाँच ने क्या गुंनाह किया है कि इनका माफ नहीं किया गया है ? इनका भी माफ कर दिया जाए।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

तीन भूतपूर्व मंत्री तो मुकदमा लड़ रहे हैं, इसलिए उनका सवाल नहीं है। केवल दो भूतपूर्व मंत्री कालीचरण और शाही जी अगर आज भी मकान खाली कर द, तो शासन उनके बारे में माफ करने पर विचार कर सकता है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जो किराया माफ किया गया है क्या उन मंत्रियों को गरीब समझ कर माफ किया गया है या कोई और आधार है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मंत्रीगण जब मंत्री नहीं रहे, तो शासन उनके रहने की विकल्प की ब्यवस्था करने में सफल नहीं हो पायी। पार्क रोड के मकान कि पूर्ण नहीं हुए थे इसलिए मंत्रि परिषद् ने माफ करने का फैसला लिया है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

जिन भूतपर्व मंत्रियों के ऊपर पैसा माफ किया गया, माफी की उस रकम का कुल कितना हिस्सा श्री काली चरण और माननीय रवीन्द्र किशोर शाही के बारे में था ? कल तक तो वे आपके साथी के रूप नहीं थे, तो औचित्य नहीं था, लेकिन आज है, तो औचित्य बन जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आक्षेप है, इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा—

असली तो प्रश्न दूसरा ही है, उस पर उत्तर दिला दीजिए।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मंत्रि-परिषद् ने सब पर कुल 1 लाख 70 हजार, 243 रुपया बट्टे खाते में डाल कर माफ किया है। सर्वश्री राम सिंह, गणेश दत्त बाजपेयी, शोबन सिंह जीना, हरीश चन्द्र श्रीवास्तव, ओम प्रकाश सिंह, राम प्रकाश, केशरीनाथ त्रिपाठी, शारदा भक्त सिंह, कल्याण सिंह, बलबीर सिंह आदि का माफ किया गया है। ये दोनों भूतपूर्व मंत्रिगण यदि आज भी मकान खाली कर दें, तो उनका भी माफ करने पर विचार किया जा सकता है।

श्री मैनेजर सिंह—

जो राज्य मंत्री हटा दिए गये और वे बने रहे, आवास का इस्तेमाल करते रहें, तो उन पर आपने क्या निर्णय लिया ? क्या वे भी माफी के खाते में हैं या नहीं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

जो रकम मैंने अभी बतायी है यह 16 मत्रियों, 19 भूतपूर्व राज्य मत्रियों और 3 भूतपूर्व उप-मंत्रियों के बारे में है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन))—

मायापति त्रिपाठी, भूतपूर्व मंत्री का आवास अभी भी उनके व्यक्तिगत पजेशन में है जिसमें किसान मजदूर वाहिनी के कार्यालय का साइन बोर्ड लगा हुआ है .....

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

श्री मायापति तो कभी सदस्य भी नहीं रहे, मंत्री तो दूर की बात है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

श्री लोकपति त्रिपाठी और श्री कमलापति त्रिपाठी जिस बंगले में रहते हैं, उसका कब्जा आज तक भी राज्य सरकार को नहीं मिला है और जिसमें आज भी किसान मजदूर वाहिनी के कार्यालय का साइनबोर्ड लगा हुआ है, तो क्या उसके बारे में जानकारी देने की कृपा करेंगे और यह भी बता देंगे कि उन भूतपूर्व राज्य मंत्रियों में, जिनके ऊपर बकाया है, और जिन्होंने मकान नहीं छोड़े हैं, उनमें श्री सत्य देव त्रिपाठी भी एक है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

श्री धर्म सिंह, श्री श्रीपति मिश्र और श्री लक्ष्मी रमण आचार्य ने मुकदमें दायर किये हैं। जहाँ तक कमलापति त्रिपाठी जी के बंगले का प्रश्न है, शासन का निर्णय है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री को रहने के लिए आवास रखने की सुविधा दी जायगी। यह बंगला श्री कमलापति त्रिपाठी के नाम से है। जहाँ तक राज्य मन्त्रियों का प्रश्न है उनके नाम हैं, सर्वश्री राजबली, सूबेदार प्रसाद, श्रीमती शकुन्तला नायर, सत्य प्रकाश अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह, सत्य वीर जी, अवधेश प्रसाद, धीरेन्द्र सहाय, मुख्तार अनीस, चन्द्र शेखर सिंह, तेज सिंह, छोटे लाल, अब्दुल रऊफ लारी, श्री सक्सेना, शिवदास तिवारी, स्वर्गीय मकबूल हसेन, दीनानाथ सेवक, भगौती सिंह, बाबू लाल वर्मा और श्रीमती मालती शर्मा है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पार्क रोड पर व्यवस्था की है उस पर प्रति मकान का किराया 300 रुपया है, तो क्या आप 300 रुपया और विधायकों को भी यानी 150 रुपये और देने की योजना बना रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पार्क रोड में जो व्यवस्था की गयी है, जिसका किराया 300 रुपया है, तो जो 150 रुपया अधिक है, वह उनसे रिकवर करेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, अलग अलग मकानों के अलग अलग मानक किराये हैं। जो नये हैं उनका किराया ज्यादा है। नियम यह है कि 15 दिन तक मुफ्त, 2 महीने तक मानक किराया और 2 महीने के बाद दुगना किराया और फिर 2 महीने के बाद तिगुना किराया नियम के अनुसार चार्ज होता है।

श्री राम लखन (जिला इटावा)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व मंत्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही और श्री काली चरण जिन बगलों में रहते थे क्या वे सरकारी बंगले हैं ? क्या शासन ने उनको किराये पर लिया है ? जो शाही जी का बंगला है वह 200 रुपये पर लिया गया है क्या उनसे 400 रुपया वसूल करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न उठता नहीं है। सरकार चाहे बंगला किराये पर ले या उसकी सम्पत्ति हो।

श्री मैनेजर सिंह--

किन-किन भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को बंगले की सुविधा दी गयी है लखनऊ में और उनका मानक किराया क्या है ? क्या उन पर बकाया भी चल रहा है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, शासन की एक परम्परा रही है कि जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं वह मानक किराये पर मकान ले सकते हैं। किसी अन्य मुख्य मंत्री न मकान नहीं लिया, केवल श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने लिया है और उनको मानक किराये पर दिया गया है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, लोकपति त्रिपाठी का कमरा पुराना विधायक निवास में है और हम लोग 8 विधायक हैं, जिनको एक तरह से प्रेस किया जा रहा है कि खाली कर दें, रोज नोटिस दी जा रही है और हम लोग इधर-उधर भागते रहें, तो क्या सरकार उस पर तत्काल कार्यवाही करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने जवाब दे दिया है कि वह बिल्डिंग गिरायी जाने वाली है इसलिए उनको सुविधा मिली है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री कमलापति त्रिपाठी जो मानक किराये पर मकान रखे हुए हैं, तो क्या उनसे पूरा किराया अदा होता जा रहा है या कुछ बकाया है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

अभी उनका पूरा किराया तो जमा नहीं हुआ है, कितना बाकी है इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री धर्मवीर सिंह, श्री लोकपति त्रिपाठी और श्री कमलापति त्रिपाठी, इनके ऊपर कितना-कितना किराया बाकी है और उनसे वसूलयाबी के लिय क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है, एक ने सेशन कोर्ट में दायर कर रखा है। एक का न्यायालय प्राधिकारी के यहाँ है। कमलापति त्रिपाठी जी का मामला भिन्न है। उनको मानक किराय पर मकान मिला हुआ है। उन पर कितना किराया बाकी ह, इस समय यह सूचना नहीं है।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)--

पार्क रोड पर जिन विधायकों को मकान मिले हैं और जिनसे अतिरिक्त किराया माँगा जा रहा है, क्या उनको पहले ही यह बता दिया गया था कि पार्क रोड पर बने मकानों का उनको अतिरिक्त किराया देना होगा ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मंत्रि परिषद के सदस्यों को जो यह मकान मिलते हैं, उनके लिये मैंने निवेदन किया कि उनको यह जानकारी दे दी गयी थी कि उनको मंत्री न रहने पर 15 दिन तक मुफ्त, फिर दो माह तक मानक किराया और दो माह बाद दुगुना किराया। उसके बाद फिर तिगुना। यह जानकारी माननीय भूतपूर्व मंत्रीगणों को, जो उनमें रहते हैं, दी गयी थी।

श्री रामजी—

पार्क रोड पर जो आवास विकास की कालोनी बनी है, उसमें विधायकगण भी रहते हैं। क्या उनको वहाँ पर मकान देते वक्त यह सूचना दी गयी थी कि वहाँ पर रहने पर उनको अतिरिक्त किराया देना होगा ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

पार्क रोड पर जो नये मकान बने हैं, उनकी लागत के अनुसार वह किराया फिक्स हुआ है। किराये की जानकारी आवंटन के समय भूतपूर्व मंत्रियों को दे दी गयी थी।

श्री मैनजर सिंह—

भूतपूर्व मंत्रियों को मकान देने का दायित्व सरकार का है और उनको एक निश्चित किराये पर मकान दिया जाता है, तो जो भी वहाँ रहते हैं क्या उनसे विधायक वाला किराया काट कर शेष लिया जायेगा ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

माननीय सदस्य ने जो कहा यही मंत्रि परिषद् का फैसला भी है। मानक किराये में विधायक का जो 150 रुपये है वह काट कर शेष ही उनस लिया जाता है।

श्री मैनजर सिंह—

क्या कालीचरण जी से भी वह काट कर लिया जायेगा?

(हंसी—कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम जी—

जो भूतपूर्व मंत्रियों और भूतपूर्व विधायकों को मकान दिये गये थे, उस वक्त उनको अतिरिक्त किराया देन की कोई सूचना दी गयी थी ? यदि नहीं, तो फिर बाद में उनस बढ़ किराय की माँग करना कहाँ तक उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, इनके प्रश्न का तो उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो बिना इजाजत के खड़े हुए थे।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मान्यवर, उन्होंने जो एक प्रश्न पूछा उसका तो उत्तर आ जाना चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री रामजी—

मान्यवर, आपने मुझे बीच में रोका नहीं, इसलिए मैंने समझा कि आपकी आज्ञा हो गयी है।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

प्रश्न दोहरा दें मान्यवर, मैंने सुना नहीं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, माननीय सदस्य आगरा से आते हैं, उनके प्रश्न के उत्तर की क्या जरूरत है।

तारांकित प्रश्न

दिनांक 8 फरवरी, 1980 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसाइटीज कार्यालय में श्री जय प्रकाश नारायण के निधन पर छुट्टी

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि 8 अक्तूबर, 1979 को श्री जय प्रकाश नारायण की हृदय विदारक मृत्यु पर शासन द्वारा घोषित छुट्टी एवं शोक के बावजूद रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसाइटीज के कार्यालय में न छुट्टी की गयी, न झंडा झुकाया गया और न ही कोई शोक सभा की गयी ? यदि हाँ, तो क्यों ? जिम्मदार अधिकारी के विरुद्ध इस राष्ट्रीय अपराध के लिए क्या जाँच करवा कर कार्यवाही की गयी ?

श्री मधुकर दिघे—

8 अक्तूबर, 1979 को श्री जय प्रकाश नारायण के निधन पर कार्यालय बन्द कर दिये जाने के शासनादेश के मिलते ही कार्यालय बन्द कर दिया गया था तथा झण्डा भी झुकाया गया था। कोई शोक सभा नहीं की गई थी।

जाँच करवाय जान का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसाइटीज का कार्यालय एक ऐसी दूकान बन गया है जहाँ पर सुबह से शाम तक लेन-देन के सिवा और कोई काम नहीं होता। मान्यवर, जिस दिन जय प्रकाश नारायण जी की दुखद मृत्यु हुई थी, उस दिन सारा राष्ट्र शोक में डूबा हुआ था, लेकिन मरी निश्चित जानकारी ह कि वहाँ पर न झण्डा झुकाया गया और न कोई शोक सभा की गयी और न छुट्टी की गयी। मान्यवर, उसी दफ्तर से जबाव मंगा कर माननीय मंत्री जी ने सदन में दे दिया। मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मान कर कि वहाँ पर न दफ्तर बन्द हुआ और न झण्डा झुकाया गया न और कोई वहाँ पर शोक सभा ही मनाई गयी मान्यवर, किसी दूसरी एजेंसी स इसकी जानकारी करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जो मेरे पास सूचना आई है, उसी के अनुसार जबाव दे दिया जा रहा है कि उस दिन शासनादेश होन के बाद दफ्तर बन्द किया गया कि नहीं। यह बात सही है कि दफ्तर बन्द कुछ जगहों पर दर में हुए होंगे और कुछ दफ्तर तुरन्त ही बन्द हो गय होंगे और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के कागजात चूंकि जमा हो चुके थ, इसलिए वह दफ्तर उन कागजातों को निपटाने के बाद बन्द हुआ होगा। मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि दिन भर बन्द नहीं हो पाया, हम इसकी जाँच करवा लेंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, उस दिन जो दफ्तर बन्द नहीं हुआ, वहाँ पर किस अधिकारी ने अपने किस अधिकार से कार्यालय खोलकर काम किया ? क्या ऐसा अधिकारी दण्ड का भागी होगा कि नहीं ? मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि इस सवाल को गम्भीरता से लें, जिसने राष्ट्रीय शोक में विघ्न डाला और दफ्तर खोलकर कार्य किया उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जैसा मैंने बताया यह कुछ एक, दो घंटे का मामला है, जो लोग आये हुए थे उनकी एप्लीकेशन लेनें के लिये थोड़ी देर खुला रहा, जनता की सुविधा के लिये, तो मैनेजर सिंह इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मैनेंजर सिंह—

मैं कतई स्वीकार नही करूंगा, यह राष्ट्रद्रोह का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जवाब तो दे लेनें दीजियें।

श्री मैनेजर सिंह---

मान्यवर, यह राष्ट्रद्रोह का मामला है चाहे वह जनता की सुविधा के नाम दफ्तर खुला रहा; राष्ट्रीय शोक के समय, यह मैं सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

जवाब आने दीजिये।

श्री मैनेजर सिंह---

मान्यवर, मंत्री जी कहते हैं कि जनता की सुविधा के लिये खोला गया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठें।

श्री मधुकर दिघे---

उस दिन जगह-जगह सूचना पहुंचाने में बिलम्ब हुआ, जैसे-जैसे आदेश पहुंचे वहां कार्यालय बन्द हुए।

श्री मैनेजर सिंह---

यह मंत्री जी ने नहीं कहा कि कुछ बिलम्ब से सूचना पहुंची, इन्होंने कहा कि जनता की सुविधा के लिये यह कार्य किया गया, मान्यवर, यह राष्ट्रद्रोह है और अपमानजनक है।

श्री मधुकर दिघे---

जैसी अभी मैंने सूचना दी है कि जानबूझकर अपमानजनक स्थिति अगर किसी अधिकारी ने पैदा की है, तो मैंने जैसा श्री राम आसरे जी के उत्तर में कहा, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि शासनादेश यह है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी को वैसे छुट्टी रहती है लेकिन स्वतंत्रता दिवस है इसलिय जो अधिकारी मीटिंग नहीं करते, झंडा नहीं फहराते, उसको छुट्टी कही जाती है, तो उसी तरह से राष्ट्रीय शोक के लिये दफ्तर बन्द करना पड़ता है, शोक मनाना पड़ता है ? यदि हां, तो रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसाइटीज के द्वारा उस दिन दफ्तर बन्द नहीं किया गया और दफ्तर खुला रह गया और छुट्टी नहीं की गई, तो क्या इसकी जांच कर दोषी अधिकारी को दन्डित करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

वित्त मंत्री जी जवाब दे चुके हैं।

श्री ऊदल---

इसे जो मैंने कहा है यह है या नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो है।

श्री मधुकर दिघे---

ऊदल जी ने जो कहा तो शासनादेश है। श्री राम आसरे जी का आरोप है कि झंडा नहीं झुकाया गया, दफ्तर बन्द नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ इसके लिये कार्यवाही की जायगी, यह आश्वासन तो मैंने पहले दे दिया है। मैंने उसमें केवल इतना कहा कि जो लोग वहां उपस्थित थे, उनकी एप्लीकेशन लेकर बन्द किया गया, तो मैं कहूंगा कि इसको अधिक तूल नहीं देना चाहिये, क्योंकि यह मामला शासनादेश के पालन न करने का नहीं, बल्कि जो लोग उपस्थित थे, उनकी सुविधा का है।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो गया कि वह दफ्तर खुला रहा, शासनादेश के जाने के बाद दफ्तर खुला रहा, शासनादेश में यह नहीं था कि जो लोग आये हैं उनका

काम करने के बाद दफ्तर बन्द किया जाय, तो इससे स्पष्ट हो गया कि अवहेलना की गई शासनादेश की, राष्ट्रीय शोक का दिन मनाना था उसकी बेईज्जती की गई, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष---

जाँच तो करानी है ।

श्री रियासत हुसैन---

इंक्वायरी किस चीज की करायेंगे ?

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि दफ्तर खुला रहा, शासनादेश के विपरीत शासन की नीति के विपरीत दफ्तर को चालू रखा, मंत्री जी ने कहा जनता के काम से खुला तो यह तो स्पष्ट हो गया कि दफ्तर खुला रहा अब जाँच क्या करानी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

शाहजहांपुर के ग्राम बन्थरा निवासी श्री रमेश सिंह व श्री राजकिशोर सिंह पर शराब के ठेके की बकाया धनराशि

*2---श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहाँपुर) तथा श्री सत्य पाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश संख्या 7884/दिनाँक 1 जुलाई, 1978 राजस्व अनुभाग-7 के अन्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर की तहसील सदर के ग्राम बन्थरा के निवासी, श्री रमेश सिंह व श्री राज किशोर सिंह से शराब के ठेके की बकाया लगभग 30,000 (तीस हजार रु0) की चार छमाही किश्तों में की गयी थीं तथा किश्तों की रकम निश्चित समय के अन्दर न जमा करने पर कुल रकम एक ही बार में जमा करने के आदेश शासन ने साथ ही किए थे ! यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि उपर्युक्त तहसील के सम्बन्धित अधिकारियों ने शासनादेशों की अवहेलना करके उक्त बाकीदारों को अनुचित संरक्षण देकर माह अगस्त, 1979 में वाजिब रकम की किश्त अभी तक नहीं वसूली है और न ही बाकीदारों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही की है ? यदि हाँ, तो अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)---

जी हाँ। परन्तु प्रश्न के दूसरे अंश के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि शासनादेश की अवहलना नहीं हुई और न ही बाकीदारों को अनुचित संरक्षण दिया गया क्योंकि शासनादेशानुसार सितम्बर, 1979 में देय संदर्भित बकाए की दूसरी किश्त न जमा होने पर शासनादेश की शर्तों के अनुसार कुल बकाए की धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी की गई। उसके अदा न होने पर बाकीदारों की अचल सम्पत्ति की नीलामी हेतु घोषणा-पत्र जारी किया गया है। वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं पैदा होता है।

श्री मैनेजर सिंह---

(राजस्व मंत्री के उत्तर पढ़ने के बीच में)

माननीय उपाध्यक्ष, वहाँ क्या हो रहा है, लाबी की तरफ एक अलग माननीय सदस्यों की बैठक हो रही है, सदन के परिसर में ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह गैर मुनासिब बात है। गैलरी में बैठे व्यक्तियों से बात नहीं कर सकते।

श्री मैनेजर सिंह---

(फिर कुछ समय बाद) माननीय महादेव वर्मा मानते नहीं हैं, फिर विधायकों को बुला-बुला कर बातें कर रहे हैं। श्री महादेव वर्मा भूतपूर्व सदस्य हैं, इनको यहाँ के तरीकों की जानकारी नहीं है ।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

जिस तरह से बीड़ी, सिगरेट पीने की पाबन्दी सदन में लगा रखी है, क्या उसी तरह से पान के खाने पर पाबन्दी लगा रहे हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री कन्हई सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल धनराशि जमा करने की कब नोटिस दी गयी थी और किन-किन तिथियों मे कुल धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये थे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इसमें जो कुल बकाया है, उसमें आदेश हुये थें कि 1/4 धनराशि एक माह के अन्दर जमा कर दें और शेष धन 3 छमाही में वसूल किया जायगा, 24 अगस्त, 78 को यह आदेश जारी कर दिये गये थे । एक माह के अन्दर 6 सितम्बर को 1/4 धन जमा हो गया था, पहली किस्त जमा हो गयी थी । दूसरी किस्त जब नहीं जमा हुयी तब उसके बाद यह कार्यवाही की गयी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि धनराशि जमा करने के लिये नोटिस किस तारीख को जारी किया गया था और धनराशि कब तक जमा करने के निर्देश दिये गये थे और दूसरी बात नीलामी की तारीख आज तक निश्चित नहीं हुई अगर निश्चित नहीं हुयी, तो क्या तारीख निश्चित करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

12 दिसम्बर को नोटिस जारी हुआ और 21 दिसम्बर को पूर्ति की कार्यवाही की गयी और 2 फरवरी को तारीख नीलामी के लिये निश्चित हुयी थी ।

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[4 थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद जनपद को सूखा ग्रस्त क्षेत्र की घोषणा

*4—श्री भगवती प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद सूखा क्षेत्र होते हुए भी उसे सूखा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों और सारी राहत की सुविधाएं न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जनपद फैजाबाद को सूखा ग्रस्त क्षेत्र माना गया हैं । शासन की यह नीति रही है कि किसी जनपद अथवा क्षेत्र को सूखा ग्रस्त घोषित करने हेतु अलग से कोई विज्ञप्ति अथवा शासनादेश जारी नहीं किया जाता, बल्कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही उसे सूखाग्रस्त मान लिया जाता है और शासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत कार्य करने की कार्यवाही की जाती है । इस प्रकार प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत सम्बन्धी कौन-कौन से कार्य आते हैं और फैजाबाद में किस हद तक पूरा किया गया ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, वहाँ बहुत से काम हो रहे हैं । श्रम के बदले खाद्यान्न योजना चलायी जा रही है, लोगों को अनुदान, तकावी दी जा रही है, अपाहिजों को गेहूं दिया जा रहा है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

युद्ध स्तर की परिभाषा क्या है ? बातें गिना करके युद्ध स्तर पर किस तरह से काम किया जाता है ? कितने लोगों को यह सहायता दी गई है, इसका भी विवरण प्रस्तुत करें।

श्री उपाध्यक्ष—

युद्ध स्तर की बात इनको बता दें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

सूखा क्षेत्रों में राहत के जरिये खाद्यान्न योजना के तहत राहत पहुंचायी। ठेकेदारों से हमने लिखित लिया है कि 3 रुपये नकद उसी योजना के तहत दिया जा रहा है। उन्हें गल्ला नहीं दिया जा रहा है। 3 रुपये का गल्ला कितना मिलता है ? हमारे क्षेत्र में अभी तक किसी गाँव में सस्ते गल्ले की दुकान से किसी गरीब को गल्ला नहीं उपलब्ध कराया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने लिख कर भेजा ?

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

कार्यवाही करें, तो लिखकर दे दें।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

क्षेत्रवाइज तो ब्योरा नहीं है लेकिन अगर लिखकर दे दें तो कार्यवाही अवश्य होगी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस बात का सवाल है कि जो माननीय सदस्य ने कहा है कि मजदूरों को गेहूं की जगह रुपया देकर ठेकेदारी प्रथा चलायी जा रही है, तो केवल फैजाबाद में ही नहीं बल्कि यह लगभग सभी जगह है तो क्या मंत्री जी हमारी बात को सही मानकर गोरखपुर की भी जांच करा लेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इसमें कोई सुबहा नहीं है कि जगह-जगह से वह शिकायतें मिलती हैं। यह भी सही है कि शिकायतें मिलने पर जब हमने सरप्राइज इन्स्पेक्शन किया और मजदूरों से कसम रखी तो भी उन्होंने कहा कि उन्हें गेहूं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक परिपत्र हर कलेक्टर को जारी कर दें कि इस सम्बन्ध में शिकायतें मिलने पर वे वहां जाय और तुरन्त दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। आपकी तरफ से एक पत्र जारी होना मुनासिब है।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के कुछ बोलने पर।)

एक सदस्य—

मान्यवर, श्री सुखपाल पाण्डेय कौन ठीक करवा लें। ये सुनते कुछ हैं और कहते कुछ हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ये अपनी बात बहुत सुन लेते हैं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी हमारे जिले, विशेष कर हमारे क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकान से जिन गांवों के लोगों को राशन नहीं उपलब्ध हुआ है वहां के दोषी अधिकारियों, एस0 डी0 ओ0, ब्लाक के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और उन लोगों के कोटे को निलम्बित करवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप शिकायतें तो भजें, उनके पास।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

जलालपुर को ही ले लें ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

यह तो निर्देश दे दिये गये हैं कि जहां जरूरत हो, वहां दुकानें खोल दी जायें। अगर किसी स्पेस्फिक जगह को बता द तो उसमें जरूर कार्यवाही की जायेगी।

*5--श्री राम सजीवन--

[25-1-80 को तारांकित प्रश्न संख्या 43 द्वारा उत्तरित]

*6--श्री मित्रसेन--

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

*7-20--

[नियम 47 (1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण निरस्त]

*21-22--श्री बिहारी लाल हंस--

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

*23--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

बहराइच जिले के ग्राम धोलिया, जमुनी कलां एवं हेमपुर में भूमि आवंटन

1--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम धोलिया व जमुनी कलां, हेमपुर, परगना, व तहसील मिनगा, जिला बहराइच में भूमिहीनों के पट्टे वर्ष 1976 में बनाए गए थे ? क्या यह सही है कि उनका अनुमोदन आज तक न होने के कारण भूमिहीनों को पट्टे व आबंटित भूमि पर कब्जा नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए दोषी कौन ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं। वर्ष 1976 में केवल गांव सभा द्वारा आवंटन सम्बन्धी प्रस्ताव ही पारित किये गये थे। आवंटन पद्धति के अनुसार भूमिहीनों की सूचियों का सत्यापन न होने के कारण गांव सभा द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन सम्भव नहीं था। सम्बन्धित ग्रामों के भूमिहीनों की सूचियों का सत्यापन हो जाने के उपरान्त आवंटन का अनुमोदन कर दिया गया है तथा अब तीनों ग्रामों के पट्टे भी वितरित कर दिये गये हैं। चूंकि यह सभी ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत चल रहे हैं, अतः आवंटित भूमि के कब्जे दिलाने की कार्यवाही करने हेतु चकबन्दी अधिकारी को लिख दिया गया है। ऐसी दशा में मामले में किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर जिले के नगरा पम्प कैनाल हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बतान की कृपा करेंगी कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर खीरी जो कि सीतापुर जिले के ग्राम नगरा आदि के काश्तकारों को पम्प नहर के लिये अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा बांटने सीतापुर, दिनांक 31 अक्तूबर, 1979 को जाने वाले थे, उस दिन नहीं गये ? यदि हां, तो न जाने का क्या कारण था ?

नोटः--तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जनपद सीतापुर में नगरा पम्प कैनाल के निर्माणार्थ अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर वितरित करने हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 31–10–79 की तिथि निर्धारित की गयी थी, परन्तु 1–11–79 को बकरीद का त्यौहार होने के कारण राजकीय धन की सुरक्षा हेतु सशस्त्र पुलिस गार्ड की व्यवस्था न होने के कारण उस दिन प्रतिकर वितरण नहीं किया जा सका। सम्बन्धित काश्तकारों को प्रतिकर प्राप्त करने हेतु पुनः निर्धारित तिथि 7–11–79 की सूचना दी गयी तथा उस दिन प्रतिकर वितरण भी कर दिया गया।

3—श्री बिशुन दयाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा व नेबुआ नौरंगिया के अन्तर्गत हरिजन बस्ती का निर्माण

4—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा व नेबुआ रंगिया में कहां-कहां हरिजन बस्तियों का निर्माण हुआ है और वह किन-किन लोगों को आवंटित की गयी हैं और वास्तव में कौन-कौन लोग उसमें रह-रहे हैं ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

देवरिया जिले के विकास खण्ड, खड्डा में हरिजन बस्ती का निर्माण नहीं हुआ है।

विकास खण्ड, नेबुआ नौरंगिया में ग्राम रामपुर खुर्द, न्याय पंचायत, नौरंगिया के अन्तर्गत हरिजन बस्ती का निर्माण हुआ है। उसमें चार क्वार्टर हैं, जो निम्नलिखित व्यक्तियों को आवंटित हैं :—

1—श्री काउच पुत्र श्री कौलेसर—ग्राम रामपुर खुर्द।
2—श्री वल्ली पुत्र झपसी—ग्राम रामपुर खुर्द।
3—श्री ठगई पुत्र सरूप—ग्राम रामपुर खुर्द।
4—श्री उल्फत पुत्र तपेसर—ग्राम रामपुर खुर्द।

किन्तु उपरोक्त क्वार्टरों में कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है।

देवरिया जिले के हायर सेकेन्डरी स्कूलों में हरिजन हास्टल का निर्माण

5—श्री श्रीनारायण—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के किन-किन हायर सेकेन्ड्री स्कूलों को हरिजन हास्टल बनवाने हतु सन् 71 से अब तक अनुदान दिया गया है और कहां-कहां इसका सही उपयोग हुआ है ?

हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

देवरिया जिले के निम्नलिखित 9 हायर सेकेन्ड्री स्कूलों को हरिजन छात्रावास बनवाने हेतु वर्ष 1971 से अब तक अनुदान दिया गया है :—

1—मदन मोहन मालवीय इन्टर कालेज, भाटपार।
2—श्री नेत इन्टर कालेज, इन्दुपुर।
3—इन्टर कालेज, कन्हौली।
4—बुद्ध इन्टर कालेज, कुशीनगर।
5—श्री गांधी इन्टर कालेज, हाटा।
6—डी० एन० इन्टर कालेज, रुद्रपुर।

7--इन्टर कालेज, पिन्डी ।
8--इन्टर कालेज, मझगांवा ।
9--इन्टर कालेज, मनियारी ।

उपरोक्त छात्रावासों में से क्रम संख्या 1 से 6 पर अंकित तक के छात्रावासों का सहीं उपयोग हो रहा है । क्रम संख्या 7, 8 व 9 पर अंकित छात्रावासों का सही उपयोग नहीं हो रहा है ।

देवरिया जिले के ग्राम गढ़हिया बसन्तपुर में सीलिंग भूमि का आवंटन

6--श्री श्रीनारायण---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गढ़हिया बसन्तपुर विकास खण्ड, नेंबुआ नौरंगिया, तहसील हाटा, जिला देवरिया में सीलिंग स कुल कितनी भूमि उपलब्ध हुई और किन-किन लोगों को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गयी ? इन आवंटियों में से कितनों को अब तक किन-किन कारणों से भूमि पर कब्जा नहीं हो सका ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

ग्राम गढ़हिया बसन्तपुर, विकास खण्ड, नेंबुआ नौरंगिया, तहसील हाटा, जिला देवरिया में सीलिंग से कुल 4-17 एकड़ भूमि उपलब्ध हुई थी। उसे निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सामने अंकित क्षेत्रफल के अनुसार आवंटित किया गया है:--

	एकड़
1--श्री मथुरा पुत्र दौलत	.. 0·76
2--श्री छेंदी पुत्र लालमनि	.. 0·86
3--श्री बृजलाल पुत्र बुधई	.. 0·80
4--श्री राम भरोसा पुत्र सुक्खू	.. 0·87
5--श्री हनीफ पुत्र मोहरल्ली	.. 0·88
	4·17

उपर्युक्त सभी आवंटियों को आवंटित भूमि का कब्जा दे दिया गया है ।

प्रदेश के स्टेडियम के रख-रखाव पर व्यय की गयी धनराशि एवं स्टेडियम का निर्माण

7--श्री श्रीनारायण---

क्या खेलकूद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने स्टेडियम किन-किन जिलों में ह और उनके रख-रखाव में 1978--79 में कितने रुपए सरकार को खच करने पड़ ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)---

उत्तर प्रदेश में खेलकूद विभाग के 10 स्टेडियम हैं जो निम्न जिलों में बने हैं--

लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, झांसी, आगरा, गाजीपुर एवं बिजनौर ।

वर्ष 1978--79 में इन स्टेडियमों के रख-रखाव व विकास कार्य पर रुपये 12,23,235.89 की धनराशि व्यय हुयी ।

8--श्री श्रीनारायण---

क्या मन्त्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जुलाई, 77 से मार्च, 79 तक कितने स्टेडियम कहां-कहां बने और कहां--कहां निर्माणाधीन है ?

श्री हरि किशन श्रीवास्तव--

जुलाई, 1977 से मार्च, 1979 के मध्य पांच स्टेडियमों का निर्माण प्रारम्भ हुआ जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। ये स्टडियम निम्न स्थानों में हैं: --

सुल्तानपुर, उरई (जालौन), बस्ती, देवरिया व बांदा।

9-10--श्री श्रीनारायण--

[25-5-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 9 द्वारा उत्तरित]

देवरिया जिले के ग्राम भैसहा में भूमि का आवंटन

11--श्री श्रीनारायण--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के परगनाधिकारी, हाटा (श्री धनंजय सिंह) ने ग्राम भैसहा कानूनगो सर्किल, खड्डा में दिनांक 1 मई, 1977 को सवश्री उमा, मूरत कुमार, बंशी, विश्वनाथ आदि भूमिहीनों को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की थी? उनमें से किन-किन लोगों को कब्जा दिया गया? और जिनको अब तक कब्जा नहीं मिला हैं, उसके पीछे क्या कारण हैं? क्या मन्त्री महोदय उन्हें शीघ्र कब्जा दिलाने की कृपा करेंगें?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

देवरिया जिले के परगनाधिकारी, हाटा (श्री धनंजय सिंह) ने ग्राम भैसहा, कानूनगो सर्किल, खड्डा म दिनांक 1 मई, 1977 को निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके समक्ष अंकित सीलिंग की अतिरिक्त भूमि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया था तथा पट्टे भी जारी किये थे :--

	एकड़
1--सर्वश्री उमा व नरेश व राजेन्द्र, महेन्द्र अवयस्क पुत्रगण-जनक राज बली श्रीमती अकली (माता)।	0.51
2--श्री मूरत पुत्र रुपई ..	0.50
3--श्री कुमार पुत्र सौदागर ..	0.52
4--श्री बंशी पुत्र बुन्ना ..	0.48
5--श्री विश्वनाथ व गौरी पुत्रगण नौहर ..	0.51
6--श्री जगरनाथ, बदरी व श्याम सुन्दर, पुत्रगण फेकू ..	0.50

इन सभी आवंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19-5-77 द्वारा अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, श्री के० सी० चौबे, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

12--श्री श्रीनारायण--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी (श्री० के० सी० चौबे) के खिलाफ जनवरी, 78 से दिसम्बर, 78 तक कितनी शिकायती दरख्वास्तें शासन को मिली हैं? क्या उनमें श्री राजवंशी, हरिजन एवं समाज कल्याण सुपरवाइजर की भी कोई शिकायती दरख्वास्त है? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं? क्या उनकी जांच हो रही है? यदि हां, तो जांच कब तक पूरी होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती चन्द्रावती--

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी (श्री के० सी० चौबे) के खिलाफ 6 शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें श्री राजवंशी, हरिजन एवं समाज कल्याण सुपरवाइजर

का भी शिकायती-पत्र है। उत्पीड़न, घूस खोरी, नाजायज धन वसूलने एवं प्रतिष्ठा आदि गिराने की मुख्य शिकायतें हैं। शिकायतों की जांच हो रही है। जांच शीघ्र ही पूर्ण होने की सम्भावना है।

हरिजन प्राइमरी पाठशाला, लालकुर्ती, लखनऊ को दिया गया शासकीय आदेश और प्रधानाध्यापिका; श्रीमती चन्द्रावती सक्सेना का प्रत्यावर्तन

13--श्री श्रीनारायण--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री प्रश्नकर्त्ता के दिनांक 9-3-79 के नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन पाठशाला, लाल कुर्ती, लखनऊ के अधिकारियों ने शासन द्वारा दिये गये आदेश का अब तक पालन नहीं किया? यदि हां, तो उक्त पाठशाला को दी जाने वाली सरकारी सहायता अब तक बन्द न किए जाने का क्या कारण है?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी हां। यह सही है कि हरिजन प्राइमरी पाठशाला, लालकुर्ती, लखनऊ के अधिकारियों (प्रबन्धक) ने दिये गये आदेशों का अभी तक पूर्णतया पालन नहीं किया है।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग के छात्रों के हित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पाठशाला को दी जान वाली सरकारी सहायता बन्द नहीं की गई है परन्तु संस्था के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

14--श्री श्रीनारायण --

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन पाठशाला, लाल कुर्ती, लखनऊ के प्रबन्धक, प्रशिक्षित प्रधानाध्यापिका, श्रीमती चन्द्रावती सक्सेना को किन कारणों से निकाल दिया? उनके खिलाफ कौन-कौन से आरोप थे? क्या श्रीमती सक्सेना को वेतन आदि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती चन्द्रावती--

श्रीमती सक्सेना को निकाला नहीं गया है बल्कि उनके मूल पद (सहायक अध्यापक) पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

उनके विरुद्ध छुआछूत बरतने, छात्रों से फीस लन व अनुशासनहीनता के आरोप थे।

श्रीमती सक्सेना का माह जून, 1978 से 24 जुलाई, 1978 तक का वेतन देय है जो वे अब तक प्राप्त करने ही नहीं आई।

कोषागारों के कर्मचारियों के लिए गठित कमीशन की रिपोर्ट

15--श्री श्रीनारायण--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रेजरी विभाग के कर्मचारियों के कार्य इत्यादि पर विचार करने के लिये जो हाई पावर कमीशन नियुक्त हुआ था उसन अभी तक अपनी काई रिपोर्ट दी? यदि हां, तो उसकी प्रमुख संस्तुतियां क्या हैं और उस सरकार कब तक लागू करगी? यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट क प्राप्त की कब तक आशा है?

श्री मधुकर दिघे--

जी हां। समिति की प्रमुख संस्तुति कोषागारों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के कार्य के मापदण्ड के निर्धारण से सबधित है।

उपरोक्त संस्तुति पर विचारोपरान्त शासन ने निर्णय ले लिया है और शासनादेश संख्या एस–3–6491/दस–34 (76) 78 टी0 सी0, दिनांक 21–12–79 द्वारा आदेश निर्गत कर दिय गये हैं ।

श्री आद्या प्रसाद, संग्रह अमीन, जिला गोण्डा के विरुद्ध श्रीमती सुशीला देवी का प्रार्थना-पत्र

16––श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री रामपति (जिला गोंडा)––

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि श्रीमती सुशीला देवी, पत्नी स्व0 श्री रामजी लाल, संग्रह अमीन, ग्राम रामापुर, परगना डिकसिर, पोस्ट तरबगंज, जिला गोण्डा ने श्री आद्या प्रसाद, संग्रह अमीन तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद एवं राजस्व सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिया था और आयुक्त फैजाबाद, ने जिलाधिकारी, गोण्डा को पत्र संख्या 736/तीस–1 (76–77)–59, दिनांक 1–2–78 तथा पत्र सख्या मेमो/तीस–1(76–77), दिनांक 28–3–78 तथा राजस्व परिषद् ने पत्र संख्या 128/71–79 (294) राजस्व, 6, दिनांक 2–6–78 के अनुसार कार्यवाही करन के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां––

जी हां। श्रीमती सुशीला देवी के प्रार्थना-त्र पर आवश्यक जांच की गयी और जांच में श्री आद्या प्रसाद संग्रह अमीन के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

देवरिया जिले के ग्राम नरकहवा में भूमि का कथित पट्टा

17––श्री श्रीनारायण––

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के तहसील हाटा के परगनाधिकारी, ग्राम नरकहवा कानूनगो सर्किल, खड्डा के किन-किन लोगों को कितनी-कितनी भूमि का पट्टा सितम्बर, 1977 म दिया गया था ? उनमें से किन-किन लोगों को अब तक कब्जा दिया जा चुका है और अवशेष को किन कारणों से अब तक कब्जे नहीं दिए जा सके ? क्या सरकार उनको शीघ्र कब्जा दिलाने की कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां––

देवरिया जिले के तहसील हाटा के परगनाधिकारी द्वारा ग्राम नरकहवा, कानूनगो क्षेत्र, खड्डा में माह सितम्बर, 1977 में किसी भूमिहीन को पट्टा नहीं दिया गया है । अतः आवंटियों को कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले की न्याय पंचायत, पगरोई में निर्मित मार्गों की नाप

18––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील, सीतापुर की न्याय पंचायत पगरोई में बनन वाले सम्पर्क मार्गों की नाप के लिए तहसील में नियोजन विभाग की सूचना कब मिली तथा मार्गों की नपाई कब की गयी ? बिलम्ब का कारण क्या है तथा बिलम्ब के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां––

जिला सीतापुर की तहसील सीतापुर की न्याय पंचायत, पगरोई में बनने वाले सम्पर्क मार्गों को नाप के लिये तहसील में नियोजन विभाग की सूचना प्राप्त होने तथा मार्गों की नपाई करने की तिथियाँ निम्नांकित ह:––

क्रमांक	मार्ग का नाम	नियोजन विभाग से तहसील में सूचना मिलने की तिथि	मार्ग की नपाई करने की तिथि
1	––परनाग गौरिया से नउबावर होते हुए फरखपुर घाट मार्ग ।	25–9–79	2–11–79
2	––भरेखापुर से सेहानी पारा होते हुए गोरिया तक	25–9–79	2–10–7 3–10–79
3	––अरों खमाजतपर से नऊवा मुहम्मदपुर होकर फरखपुर घाट तक ।	25–9–79	6–10–79 7–10–79
4	––लखीमपुर रोड से बड़ा गांव पगरोई तक	25–9–79	12–10–79 18–12–79

क्रमांक–1 पर उल्लिखित मार्ग की नपाई के लिये तिथि नियोजन विभाग से देर से निर्धारित होने के कारण नपाई म बिलम्ब हुआ । अन्य तीन मार्गों की नपाई में अनावश्यक बिलम्ब नहीं हुआ है अत: किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में ऋण के वितरण के विरुद्ध की गयी जांच

19––श्री हुक्म चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में तकावी अधिनियम के अन्तर्गत बाढ़ और गर्की से पीड़ित किसानों को मकानों के लिए ऋण दन में जो भ्रष्टाचार जिला स्तर पर हुआ उसमें किसानों से लगभग 57 हजार रुपया रिश्वत के रुप में प्राप्त किया जिसकी शिकायत प्रश्नकर्त्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 9–4–79 को मुख्य मंत्री को की गयी जिस पर उन्होंने दिनांक 16–4–79 को आदेश पारित किया कि मुख्य सचिव सम्भागीय आयुक्त, आगरा से 15 दिन के अन्दर जांच कराकर सूचित करें ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई और इस जांच में शिकायतकर्त्ता से किस अधिकारी ने सम्पक किया और जांच का क्या परिणाम है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां––

मथुरा जनपद क बाढ़ पीड़ित किसानों को गृह निर्माण हेतु ऋण वितरण में हुये भ्रष्टाचार से संबंधित जिलाधीश, मथुरा को सम्बोधित एवं मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री तथा मुख्य सचिव को पृष्ठांकित प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र दिनांक 9–4–79 शासन को प्राप्त हुआ था। जिस पर आयुक्त आगरा मण्डल के माध्यम स जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा जांच करायी गयी ? जांच के उपरान्त आरोपों को सही नहीं पाया गया। प्रश्नकर्त्ता द्वारा की गयी मौखिक शिकायत पर पर ही जिलाधिकारी मथुरा न ऋण वितरण का कार्य रोक दिया था और ऋण से संबंधित समस्त स्वीकृत प्रार्थना-पत्र परगनाधिकारी/तहसीलदार को इस निर्देश के साथ दुबारा वापस कर दिय गये थ कि व उन प्रार्थना-पत्रों पर स्वयं: जांच कर और हर प्रकार स संतुष्ट होकर ऋण वितरण क प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्तुत कर । उपरोक्त जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का सम्पर्क जिलाधिकारी से हुआ था और मामले में जांच क दौरान की गयी कार्यवाही स प्रश्नकर्त्ता संतुष्ट है ।

सुल्तानपुर जिले में सूखे से हुई क्षति

20--श्री हरिचरन यादव (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर में पड़े भीषण सूखा से विभिन्न तहसीलों में अलग-अलग कितनी धनराशि की फसल की क्षति हुई और शासन की तरफ से क्या-क्या सहायता की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जनपद सुल्तानपुर में इस वर्ष पड़े भीषण सूखे से खरीफ फसल को रु0 12.10 करोड़ की अनुमानित क्षति हुई है। यह क्षति तहसील सदर में रु0 4.20 करोड़ तहसील, कादीपुर में 3.46 करोड़ तहसील मुसाफिरखाना में 2.19 करोड़ तथा तहसील अमेठी में रु0 2.25 करोड़ अनुमानित है। सूखे से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिय अहेतुक सहायता को पात्रता की परिधि सीमान्त कृषकों तक बढ़ाने, जिन कृषकों को फसलों को सूख से 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है उनके सभी कृषि देयों की वसूली स्थगित करन, कक्षा 7 से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के जिन छात्रों के अभिभावकों के जोतों से सूख स 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है उनकी ट्यूशन फीस माफ करने , सीमान्त लघु एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को कृषि के कृषि निवेश (inputs) में छूट देने, उपलब्ध डीजल का 60 प्रतिशत भाग कृषि कार्यों हेतु देने, ग्रामीण तथा शहरी क्षत्रों में उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध करने आदि जैसी व्यवस्था क अतिरिक्त जिला सुल्तानपुर को निःशुल्क सहायतार्थ रु0 7.94 लाख की धनराशि तथा रु0 4.80 लाख धनराशि तकावी बांटने हेतु आवंटित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त असहाय एवं निराश्रतों को भुखमरी से बचाने के लिये 320 मी0टन गेहू निःशुल्क वितरण हेतु आवंटित किया गया है तथा सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु श्रम के बदले खाद्यान्न योजना व्यापक स्तर पर चलायी जा रही है।

बहराइच जिले में सूखा एवं दी गयी सहायता

2--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में पिछले चार माह से पर्याप्त पानी न बरसने के कारण शत प्रतिशत खरीफ की फसल क्षतिग्रस्त हो गयी और रबी की बुआई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो बहराइच जनपद को सूखा ग्रस्त जिला घोषित न करने का क्या कारण है तथा सूखे से निपटने के लिए क्या-क्या उपाय किय गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

बहराइच जिले में प्रश्नगत चार माह तक पर्याप्त वर्षा न होने क कारण खरीफ की फसल को भारी क्षति पहुंची जिससे 32,07,81,901 रु0 की अनुमानित हानि हुई। वर्षा के अभाव में रबी की बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी परन्तु माह दिसम्बर, 1979 में वर्षा हो जाने क फलस्वरूप रबी की बोआई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। किसी जिले अथवा क्षेत्र को सूखा ग्रस्त घोषित करने हेतु शासन द्वारा कोई शासनादेश अथवा विज्ञप्ति जारी करने की नीति नहीं है बल्कि जिलाधिकारी की रिपोट के आधार पर उसे सूखा ग्रस्त मान लिया जाता है। इसी प्रकार बहराइच को सूखा ग्रस्त जनपद मान लिया गया है। सूखे से निपटने के लिए निम्नलिखित कार्य किय गये हैं :--

(1) सिंचाई साधनों को ईधन तथा विद्युत की आपूर्ति द्वारा गतिशील बनाया गया ।

(2) श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 988 ग्रामों के भूमिहीन व्यक्तियों तथा श्रमिकों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। उक्त योजना में लगभग 12,000 व्यक्ति प्रति सप्ताह कार्यरत हैं जिन्हें लगभग 1918 मी0 टन गेहूं तथा 831 मी0 टन चावल बांटा जा चुका है।

(3) 11324 कृषकों को 6,53,000 रु0 तकावी के रूप में वितरित किया जा चुका है।

(4) सूखा पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने हेतु 729 सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 59 दुकानें शहरी क्षेत्रों में खोली गई हैं, जो कार्यरत है।

(5) 8,974 व्यक्तियों को जो असहाय, अक्षम अथवा वृद्धावस्था के कारण श्रम के बदले खाद्यान्न योजना में कार्य करने में अक्षम पाये गये, उन्हें 1346.10 कुन्तल गेहूं अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया तथा वितरण कार्य निरन्तर जारी ह।

(6) सूखा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक हानि पहुंची ह समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी है।

(7) सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु अहेतुक सहायता की पात्रता की परिधि सीमान्त कृषकों तक कर दी गयी है। कक्षा 7 से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के जिन छात्रों के अभिभावकों की जोतों को सूखे से 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची हुई है उनकी ट्यूशन फीस माफ कर दी गयी है।

(8) सीमान्त, लघु एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों को कृषि के कृषि निवेश (infat) में छूट दे दिया गया है।

(9) उपलब्ध डीजल का 60 प्रतिशत भाग कृषि कार्यों हेतु आरक्षित करने का प्राविधान किया गया है।

बहराइच जिले की तहसील भिनगा के लेखपालों के स्थायीकरण की मांग

22--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार बतायेगी कि वहराइच जनपद की तहसील भिनगा में नियुक्त कितने ऐसे लेखपाल हैं जो तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष से ऊपर से सेवारत ह जिन्हें अब तक स्थायी नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों और कब तक उन्हें स्थायी कर दिया जायगा?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जनपद बहराइच की तहसील भिनगा में केवल तीन ऐसे लेखपाल हैं जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरी हो गयी किन्तु अभी वह अस्थायी हैं। उनमें से दो स्थायीकरण की शर्तें पूरी नहीं करते, शेष एक के स्थायीकरण का प्रश्न विचाराधीन है।

प्रदेश में भर जाति की संख्या और कथित भर जाति में एम०एल०सी० एवं० एम०पी०

23--श्री मन्नूराम (जिला बलिया)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) में भर जाति की संख्या कितनी ह और इनका जिलेवार विवरण क्या है?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

जनगणना 1971 में जातिवार जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित नहीं किये गये थे। अतः भर जाति की जनसंख्या का विवरण देना सम्भव नहीं है।

24--श्री मन्नू राम--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजादी के बाद से अब तक क्या कोई भर जाति का विधान सभा सदस्य, एम0एल0सी0 अथवा उत्तर प्रदेश से एम0पी0 किसी भी दल से चुन कर आया है अथवा राज्यपाल महोदय द्वारा अब तक नामांकित हुआ है?

[श्री मन्नूराम]
यदि नहीं, तो ऐसा न होने के क्या कारण हैं ? क्या इस सन्दर्भ में दिनांक 14 दिसम्बर, 1978 को महामहिम राज्यपाल महोदय को कोई पत्र लिखा गया है ?

श्री बनारसी दास--

संविधान के उपबन्धों के अधीन जाति विशेष के आधार पर न तो विधान सभा/संसद के चुनाव होते ह और न ही विधान परिषद् में मनोनयन जाति के आधार पर किये जाते ह। अतः वांछित ब्योरा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। महामहिम राज्यपाल महोदय को सम्बोधित पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 1978 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ह।

आजमगढ़ जिले के ग्राम हमीदपुर में हरिजनों को भूमि का आवंटन

25--श्री रामजी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय ग्राम हमीदपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में कुल कितने एकड़ ग्राम समाज की भूमि है ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम हमीदपुर में कितने हरिजन परिवार हैं तथा उनमें से प्रत्येक के पास कितनी भूमि है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

ग्राम हमीदपुर में इस समय ग्राम समाज की कुल 87.768 एकड़ भूमि है। इस ग्राम में कुल 41 हरिजन परिवार रहते हैं। उनके नाम तथा भूमि का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1147-1148 पर)

ग्राम मोमिनपुर, जिला फैजाबाद में भूमि का कथित नाजायज पट्टा

26--श्री जयराम (जिला गाजीपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय में 17 दिसम्बर, 1979 को श्री प्रेम नारायण अहेरवार, सदस्य, विधान सभा के पत्र के साथ ग्राम मोमिनपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र ग्राम समाज की भूमि का नाजायज पट्टों तथा सार्वजनिक आबादी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जे के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ह ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

प्रश्न का प्रथम भाग--

जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग--

मामले में जांच करायी गयी। जांच से यह ज्ञात हुआ कि ग्राम मोमिनपुर में गांव सभा की भूमि का कोई नाजायज पट्टा नहीं किया गया है, किन्तु कतिपय सार्वजनिक भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने भवन आदि निर्माण करके अवैध कब्जा अवश्य कर लिया है। उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी गयी ह।

27--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

28--श्री बाबू लाल वर्मा--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम रानीपुर तप्पा पच्चीसी, जिला गोरखपुर की आराजी संख्या 185/125 सम्बन्धी निर्णय

29---श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)---

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील बांसगांव के ग्राम रानीपुर बिटहा तप्पा पचीसी, परगना के भवापार में दिनांक 8 सितम्बर, 1971 को आराजी नं0 185/125 में 9 डिशिमिल पर तत्कालीन जिलाधिकारी (श्री एन0 सहगल) व चकबन्दी अधिकारी, कौड़ीराम (श्री ए0के0 मुखर्जी) द्वारा दिये गये निर्णय का पालन किया गया है? यदि हां, तो यह भूमि किसके कब्जे में है?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

जनपद गोरखपुर की तहसील बांसगांव में रानीपुर बिटहा नाम का कोई ग्राम नहीं है। ग्राम रानीपुर तप्पा पचीसी के गाटा संख्या 185/125 रकबा 0.09 डिसमल के सम्बन्ध में तत्कालीन जिलाधिकारी (श्री ए0एन0 सहगल) के आदेश दिनांक 8 सितम्बर, 1971 तथा चकबन्दी अधिकारी (श्री ए0 के0 मुखर्जी) के आदेश दिनांक 30 मई, 1972 के अनुसार अब यह 0.09 क्षेत्रफल आबादी श्रेणी 6 (2) ग्राम समाज दर्ज है। प्रश्नगत भूमि के काबिज के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

झांसी मण्डल में स्टेडियम का निर्माण

30---श्री देव कुमार (जिला बांदा)---

क्या क्रीड़ा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि झांसी मण्डल के किन-किन जिलों में स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रारम्भ ह? मण्डलीय क्रीड़ा अधिकारी, झांसी न किन-किन तिथियों में उनका निरीक्षण किया? क्या यह सत्य है कि बांदा जिले में गत वर्षों में जिला खेलकूद अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

झांसी मण्डल के बांदा, हमीरपुर, उरई (जालौन) जनपदों मे स्टेडियम निर्माणाधीन हैं।

मण्डलीय क्रीड़ाधिकारी झांसी, बांदा दिनांक 21, 22 अगस्त, 1979 उरई (जालौन) 27 से 29 अप्रल, 1979 व दिनांक 21, 22 जुलाई, 1979 को निरीक्षण के लिए गये।

जी नहीं।

खेलकूद निदेशालय के अधीन जिला खेलकूद अधिकारी का कोई पद नहीं है, परन्तु खेल के प्रसार हेतु बांदा जिले में अप्रल, 1976 से जून, 1977 तक क्रीड़ाधिकारी कार्यरत रहे। पुनः जुलाई, 1979 से उप क्रीड़ाधिकारी नियुक्त हैं।

चकबन्दी अधिकारी श्री राधा कान्त पाण्डे, जिला गोण्डा के विरुद्ध आरोप एवं स्थानान्तरण

31---श्री बिन्दु लाल (जिला गोंडा)---

क्या राजस्व मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि चक बन्दी अधिकारी, राधा कान्त पाण्डेय, जनपद गोंडा के विकास खण्ड पचपेड़वा में सन् 1974 में कार्यरत थ इनके विरुद्ध क्षेत्रीय जनता द्वारा भ्रष्टाचार के कई गम्भीर आरोप लगाये गये हैं जिसके जांचों परान्त इनका स्थानान्तरण किसी अन्य जनपद में कर दिया गया था? यदि हां, तो फिर इनका जनपद गोंडा में उसी क्षेत्र में स्थानान्तरण करने का क्या कारण है?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

श्री राधा कान्त पाण्डेय चकबन्दी अधिकारी वर्ष 1974 में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पंचपेड़वा में कार्यरत थे। इनके विरुद्ध परिवाद प्राप्त हुए थे जो जांच के उपरान्त

[श्री मोहम्मद मसूद खां]

गलत पाये गये, परन्तु जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी गोण्डा की संस्तुति पर श्री पाण्डे का स्थानान्तरण जनपद गोण्डा से बाहर कर दिया गया था। श्री पाण्डेय का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 5 अक्तूबर, 1979 द्वारा जनपद बस्ती से गोण्डा जनपद का बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इकाई बलरामपुर के लिए किया गया है।

विकास खण्ड, पचपेड़वा के सहायक चकबन्दी अधिकारियों का स्थानान्तरण

32--श्री बिन्दू लाल-

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा के सर्किल राम नगर के पांच सहायक चकबन्दी अधिकारियों का सामूहिक स्थानान्तरण अन्य स्थान पर कर दिया ह? क्या यह सही है कि इनको इस सर्किल में आए एक वर्ष भी नहीं हुआ था? यदि हां, तो स्थानान्तरण करन का क्या कारण है?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां। स्थानान्तरित पांच सहायक चकबन्दी अधिकारियों में केवल एक को छोड़ कर शेष को सर्किल रामनगर जनपद गोण्डा में आये एक वर्ष पूरा नहीं हुआ था। यह सभी स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किये गये हैं।

33--श्री कन्हई सिंह--

[4थें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

34--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

ग्राम सभा बूढ़ाडीह कलां, जिला गोरखपुर के प्रधान का निलम्बन

35--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बूढाडीह कलां, ब्लाक निचलौल (गोरखपुर) के ग्राम प्रधान द्वारा भूमिहीनों को भूमि आवंटन में भ्रष्टाचार की शिकायत 6/19 जून, 1979 को प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी थी जिसकी जांच रिपोर्ट अ0शा0प0स0वि0 458/1-2/79, रा0अनु0-2, लखनऊ द्वारा 27अक्तूबर, 1979 को प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश पारित हो जाने की सूचना दी गयी है? यदि हां, तो अभी तक प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि हां, तो आज तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां। परगनाधिकारी के द्वारा दिनांक 7 मार्च, 1979 को ही प्रधान को निलम्बित कर दिया गया था किन्तु इस आदेश के विरुद्ध प्रधान द्वारा अपील दायर कर के स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतिरिक्त जिलाधिकारी का स्थगन आदेश दिनांक 20 अगस्त, 1979 को समाप्त हुआ और तहसीलदार द्वारा प्रधान से चार्ज लेने का प्रयास किया गया किन्तु वे उपलब्ध नहीं हो सके जिसके बारे में तहसीलदार द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 1979 को थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी। इसी बीच माननीय राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के न्यायालय का एक आदेश दिनांक 19-9-79 प्राप्त हुआ जिसमें यह उल्लेख था कि प्रधान ने उपरोक्त मामले में स्थगन आदेश हेतु प्रार्थना पत्र दिया है जिसकी सुनवाई के लिए 30-10-79 नियत की गयी है। तत्पश्चात् राजस्व परिषद् न्यायालय से कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तथा परिषद् के आदेशों की प्रतीक्षा में तहसीलदार द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी है।

36--श्री दया राम भास्कर--

[4थे मंगलवार म अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले के पिछड़ी जाति के छात्रों को दी गयी छात्रवृत्ति और समस्त हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति और दिये जाने की मांग

37--श्री श्रीनारायण तथा श्री कृष्ण राय (जिला देवरिया)--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वित्तीय वर्ष देवरिया जिले को पिछड़ी जाति के छात्रों के वजीफे के लिए कितनी धनराशि दी गयी थी ? उसमें से देवरिया जिले के किन-किन विद्यालयों को कितनी-कितनी किस मद म दी गयी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

देवरिया जिले की पिछड़ी जाति के छात्रों को गत वित्तीय वर्ष 1978-79 में दशमोत्तर तथा पूर्वदशम कक्षाओं में पढ़न वाले छात्रों क लिए क्रमशः 18.00 लाख रु0 तथा 6.25 लाख रुए की धनराशि छात्रवृत्ति एव अनावर्तीय सहायता हेतु आवंटित की गयी थी ।

दशमोत्तर कक्षाओं में 104 सघन पूर्व दशमोत्तर कक्षाओं में 230 शैक्षिक संस्थाओं को छात्रवृत्ति तथा पूर्व दशम् कक्षाओं म 286 शैक्षिक संस्थाओं को अनावर्ती सहायता संलग्न सूची† के अनुसार स्वीकृत की गयी ।

38—श्री श्रीनारायण तथा श्री कृष्ण राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के सूख से प्रभावित समस्त हरिजन छात्रों को वजीफा देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो, हरिजन छात्रों को क्षात्रवत्ति कब तक मिल जायगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । प्रदेश भर में दशमोत्तर कक्षाओं के अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्राविधान पहले से ही है। इस वर्ष के पूर्व दशम कक्षाओं के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है न ही सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में उन सब को छात्रवृत्ति देन की फिलहाल कोई योजना है ।

39--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[4थे मंगलवार म अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोरखपुर जिले के ग्राम सोहगीबरवा शिकारपुर मोथहा आदि को देवरिया जिले में सम्मिलित किये जाने पर विचार

40--श्री श्रीनारायण--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के ब्लाक निचलौल के ग्राम सोहगीबरवा शिकारपुर, मोथहा आदि जिनको बड़ी गण्डक नदी गोरखपुर जिले से अलग करती ह और बरसात के दिनों में 6 महीन गोरखपुर जिले से बिलकुल सम्बन्ध तोड़ देती ह ? क्या सरकार इन गांवों को देवरिया जिले में मिलाने का विचार कर रही ह ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

यह विषय शासन के विचाराधीन ह ।

41--श्री श्रीनारायण--

[25 जनवरी, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 33 द्वारा उत्तरित]

---

†छापी नहीं गयी ।

42--श्री हुक्म चन्द्र तिवारी--

[4 थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मण्डलीय क्रीड़ा परिषद् झांसी की बैठक और बालक व बालिका प्रतियोगिताओं के लिए धन राशि का आवंटन

43--श्री देव कुमार--

क्या स्पोर्ट्स मन्त्री कृपया यह बताबेगें कि वर्ष 1975-76 से वर्ष 1978-79 तक मण्डलीय क्रीड़ा परिषद् झांसी व जिला क्रीड़ा परिषदों की कोई भी बैठकें नहीं हुई ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

वर्ष 1975-76 से वर्ष 1978-79 तक की अवधि में मंडलीय क्रीड़ा परिषद, झांसी की 2 बैठकें (दिनांक 8-7-77 एवं 13-2-78 को) हुई तथा जिला क्रीड़ा परिषद् की एक बैठक दिनांक 9-11-76 को हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

44--श्री देव कुमार--

क्या स्पोर्ट्स मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78 व 1978-79 म झांसी मण्डल के किन-किन जिलों म जनपदीय व मण्डलीय बालक बालिका प्रतियोगिताओं के लिए कोई धन आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

जनपदीय व मंडलीय प्रतियोगिताओं हेतु धनराशि जिलों को अलग से नहीं दी जाती है, क्योंकि जिला स्तर पर आहरण एवं वितरण प्राप्त अधिकारी तैनात नहीं है। ये धनराशि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों को उनके मण्डल म निर्धारित प्रतियोगिता कार्यक्रमों के अनुसार आवंटित की जाती ह। वर्ष 1974-75, 1975-76 एवं 1976-77 में झांसी म क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त न होन के कारण कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी। वर्ष 1977-78 एवं वर्ष 1978-79 में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, झांसी को जनपदीय व मण्डलीय बालक/बालिका प्रतियोगिताओ हेतु निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गई थी।

बालकों हेतु--	1977-78	रु0 8,300
बालिकाओं हेतु--	----------	रु0 4,500
	1978-79	
बालकों हेतु--	----------	रु0 16,000
बालिकाओं हेतु--		रु0 6,000

45--श्री हरिश चन्द्र--

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांसी तहसील, जिला बस्ती के चकबन्दीविहीन ग्राम

46--श्री हरिश चन्द्र (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में कितने ऐसे ग्राम है जिनकी चकबन्दी अभी तक नहीं हो सकी है ? और क्यों ? इन ग्रामों की चकबन्दी कब तक करा दी जायगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

बस्ती जिले की बांसी तहसील के 119 ग्रामों मे चकबन्दी नही हो सकी है । इन ग्रामों को विभिन्न कारणों से चकबन्दी के लिए अनुपयुक्त किया गया। इन ग्रामों की चकबन्दी कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सहारनपुर जिले के चकबन्दी लेखपाल श्री रघुवीर सिंह एवं श्री सुरेन्द्र कुमार का स्थायीकरण

47—श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर के अस्थायी लेखपाल श्री रघुवीर सिंह तथा सुरेन्द्र कुमार को लेखपाल की ट्रेनिंग से छूट दे दी गयी ह ? यदि हां, तो इनको ट्रेनिंग से छूट देने के क्या-क्या आधार हैं ? क्या सरकार अन्य ऐसे कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग से छूट दिलाने की अबिलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सर्वश्री रघुवीर सिंह तथा सुरेन्द्र कुमार की चकबन्दी लेखपाल तथा रेगुलर लेखपाल पदों पर दस वर्ष से अधिक की सन्तोषजनक सेवा के आधार पर उन्हें विशेष परिस्थितियों में लेखपाल प्रशिक्षण की शर्तों से मुक्त किया गया था। इस समय ऐसे अस्थायी लेखपालों को प्रशिक्षण से छूट देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

राजस्व विभाग में रेगुलर लेखपाल पदों पर कार्यरत अस्थायी रूप से नियुक्त किए गये अप्रशिक्षित लेखपाल, जिनकी 19 जून, 1979 को तीन वर्ष की सेवा पूरी हो गयी थी, शासनादेश दिनांक 19 जून, 1979 द्वारा विशेष लेखपाल परीक्षा पास करने तथा उनका कार्य अच्छा होन पर ट्रेनिंग से छूट देकर उनकी सेवायें विनियमित किए जाने के आदेश प्रसारित कर दिए गय है ?

श्री जवाहर लाल, लेखपाल, जिला हरदोई का ट्रेनिंग से छूट दिए जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

48—श्री झामलाल अहेरवार—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जवाहर लाल लेखपाल, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई न लेखपाल की ट्रेनिंग से छूट के विषय में जी0ओ0स0 7665/09-76-29/2(1)-173 दिनांक 1-9-77 के अन्तर्गत दिनांक 19-5-79 तथा 10-10-79 को बोर्ड आफ रेवेन्यू तथा दिनांक 11-9-79 को कमिश्नर, लखनऊ को प्रार्थना-पत्र दिए ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ह ? क्या सरकार समस्त कार्यवाही सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्न में उल्लिखित दिनांकों के प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुए हैं। एक दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, हरदोई के पत्र दिनांक 11-9-79 के साथ आयुक्त, लखनऊ मण्डल को प्राप्त हुआ था जिसे मण्डलायुक्त ने अपने पत्र दिनांक 10-10-79 के साथ-राजस्व परिषद् को भेज दिया था। परिषद् ने आवेदक को लेखपाल की ट्रेनिंग से छूट देन का औचित्य नहीं पाया ? इसके पूर्व ही शासन न 19-6-79 को यह सामान्य आदेश राजस्व परिषद् को भेज दिए थे कि राजस्व विभाग में रेगुलर लेखपाल पदों पर कायरत ऐसे अप्रशिक्षित लेखपाल जिनकी सेवा अवधि 19-6-79 को 3 वर्षकी हो चुकी थी और जो उस दिनांक को कार्यरत थे , के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाय, जो परीक्षा में उत्तीण हो उनको लेखपाल स्कूल सर्टीफिकेट दे दिया जाय और उनमें से जिनका काय अच्छा रहा हो उनकी सेवायें नियमानुसार विनियमित कर दी जायं। इस आदेश के हो जानें के बाद ट्रेनिंग से छूट देनें की प्रार्थना पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

49—श्री मित्रसेन—
[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

50—श्री नारायण सिंह भैंसोरा—
[3रे गुरुवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

51—श्री सत्यपाल सिंह यादव—
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

देवरिया जिले में स्टेडियम का निर्माण एवं उप क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति

52—श्री श्रीनारायण—
क्या क्रीड़ा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के स्टेडियम का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? इसका कुल अनुमानित खर्च कितने रुपए का है?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—
देवरिया जनपद में स्टेडियम का निर्माण चार चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण का निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण होना, धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

इस पर लगभग 5 लाख रु0 व्यय होने का अनुमान है।

53—श्री श्रीनारायण—
क्या क्रीड़ा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति कब हुई? उनको कितने लोगों का स्टाफ दिया गया ह तथा उनके आफिस का प्रति माह खर्च कितना ह और उनको कौन-कौन से खेल कूद के सामान दिए गय हैं?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—
देवरिया जिले में कोई क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त नहीं है बल्कि उप क्रीड़ाधिकारी की नियुक्ति जुलाई, 1979 से की गयी है।

उप क्रीड़ाधिकारी हेतु प्रथक से आफिस की आवश्यकता नहीं है। अतएव उनके आफिस का व्यय शून्य ह। देवरिया मे हाकी, वालीबाल तथा एथलेटिक्स हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गये है?

प्रदेश के स्टेडियमों के रख-रखाव पर व्यय होने वाली धनराशि

54—श्री श्रीनारायण—
क्या खलकूद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कुल कितने स्टेडियम किन-किन जिलों मे बन हुए हैं? और उनके रख-रखाव म सरकार को वर्ष 1977–78 में कितना रुपया खर्च करना पड़ा था?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—
उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स विभाग के 10 स्टेडियम हैं जो निम्न जिलों में बने हैं :—
लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, झांसी, आगरा, गाजीपुर एवं बिजनौर।

इन स्टेडियमों के रख-रखाव में वर्ष 1977–78 में रु0 6,65,452.00 व्यय हुआ।

55—श्री राम जी—
[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

कृषि विभाग के छटनी शुदा अमीनों को राजस्व विभाग बस्ती में नियुक्ति

56—श्री श्रीनरायण—

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1977 में बस्ती जनपद के राजस्व विभाग में अनेकों अमीनों को जिसमें राजस्व विभाग में कार्यरत कृषि विभाग के छटनी शुदा अमीनों को भी उनकी कृषि विभाग की सेवाओं को मिलाकर, ज्येष्ठता देकर स्थायी किया गया था? यदि हां, तो वे क्या उक्त जनपद में इस समय किए जाने वाले स्थायीकरण में उक्त सिद्धान्त का अनुसरण किया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

सिसवा, खुर्द जिला गोरखपुर के श्री चेतन सिंह का चकबन्दी के विरुद्ध शिकायती पत्र

57—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या राजस्व मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि सिसवा खुर्द ब्लाक सिसवा, गोरखपुर के श्री चतन सिंह ने चकबन्दी विभाग द्वारा गलत तौर पर चक देन की लिखित शिकायत शासन को नवम्बर, 78 एवं जनवरी, 1979 को भजी? यदि हां, तो आज तक उपरोक्त शिकायती-पत्रों की जांच न करने का कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

श्री चेतन सिंह का कथित शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इसकी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के ग्राम करवतही की जनता का चकबन्दी संबंधी शिकायती पत्र

58—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील महराजगंज के ग्राम सभा करवतही उर्फ कटका की जनता न चक पमाइश न होनेका शिकायती-प्रार्थनापत्र दिनांक 21 मई, 1979 को दी थी? उक्त पत्र को प्रश्नकर्ता द्वारा पुन. चक पमाइश हतु शासन को लिखा गया किन्तु उक्त शिकायती पत्र पर आज तक पैमाइश न कराए जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जनपद गोरखपुर के तहसील महराजगंज के ग्राम सभा करवतही उर्फ कटका की जनता का शिकायती पत्र दिनांक 21 मई, 1979 शासन को प्राप्त नहीं हुआ और न ही इस संबंध में प्रश्नकर्ता का ही कोई पत्र प्राप्त हुआ अतः पुनः चक पैमाइश कराने का प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय श्री ख्याली राम गौतम चकबन्दी अधिकारी, फर्रुखाबाद की पेंशन एवं ग्रेजुएटी

59—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ख्याली राम गौतम सी0 ओ0 उमर्दा, की (जनपद फर्रुखाबाद) 12-11-76 को मृत्यु हो गयी और उनके परिवार को कोई पेंशन ग्रच्युटी अभी तक नहीं दी गयी? क्या इस सम्बन्ध में उनकी पत्नी का कोई प्रार्थना-पत्र जुलाई, 1977 व अप्रैल, 1978 में शासन को प्राप्त हुए? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां, स्व० ख्याली रामगौतम, चकबन्दी अधिकारी की पत्नी का कथित शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ परन्तु उनके एक अन्य प्रार्थना पत्र पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि स्व० श्री गौतम की सेवाएं उनके मृत्यु के लगभग 6 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गयी थीं। वह किसी भी पद पर स्थायी नहीं थे अतः उनके परिवार को पेंशन तथा ग्रेच्युटी नियमानुसार देय नहीं है ?

60—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

भूतपूर्व सदस्य, प्रोफेसर राम सरन के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त दुख के साथ इस प्रदेश के महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम सरन जी के निधन पर आज समवेदना प्रकट करना है। श्रीमन, प्रोफेसर राम सरन उन व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने सन् 1920 में महात्मा गाँधी के आवाहन पर अपना सर्वस्व निछावर किया और 1920 से लेकर 1942 तक जितने आन्दोलन हुए, 1920–22, 1930–32, 1941–42 सभी में सक्रिय भाग लिया। जब असहयोग आन्दोलन चला तो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को महात्मा गाँधी ने परिचालित किया। वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। प्रोफसर राम सरन उसमें अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। कुछ समय के बाद वह वहाँ के कुलपति भी रहे। सर्व-प्रथम 1937 में वे विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए फिर 1946 में दोबारा निर्वाचित हुए। कन्सटीटुएन्ट असेम्बली के सदस्य भी थे। 1951 से लेकर 1961 तक बराबर वे संसद सदस्य रहे। जिला परिषद् मुरादाबाद के भी वे काफी समय तक अध्यक्ष रहें। उनकी आयु इस वक्त लगभग 85 साल की थी। वह नियमित रूप से घूमने जाते थे और अन्तिम समय तक वह अपना कार्य करते थे। सन् 1932 में जब महात्मा गाँधी ने हरिजन आन्दोलन शुरू किया तब वे शुरू से ही उत्तर प्रदेश के हरिजन सेवा संघ से सम्बन्धित थे। मन्दिरों में प्रवेश, अस्पृश्यता-निवारण और हरिजन वर्ग की शिक्षा-दीक्षा, यह सब काम उनके स्वभाव के अन्तर्गत थे। वे अत्यन्त ही सरल और अहंकार रहित आदमी थे। उनके 3 फरवरी के निधन से राष्ट्रीय आन्दोलन की जो कड़ी थी वह टूटी है। प्रोफेसर राम सरन के निधन से इस प्रदेश को बड़ी क्षति हुई है। मैं अपनी हार्दिक समवेदना प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी समवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दें।

*श्री काली चरण (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने प्रोफेसर राम सरन के दिवंगत हो जाने पर जो भावनाएं और उद्गार व्यक्त किए है उससे में अपने को और अपने दल जनता पार्टी को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, यह पुरानी पीढ़ी के जन-सेवक थे, विद्वान् थे, राष्ट्रीय आन्दोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। सन् 1937 में पहली बार इस विधान सभा के सदस्य चुनकर आये थे। सन् 1923 में काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे। लोक सभा के भी सदस्य रहे। ऐसे पुराने लोग जिनका जीवन त्याग और बलिदान का जीवन रहा है, जिन्होंने नयी पीढ़ी को एक रास्ता दिखाया है, वह धीरे-धीरे करके इस संसार से उठते जा रहे हैं। निश्चय ही इस क्षति की किसी भी हालत में पूरा होने की सम्भावना नहीं है। कम से कम मार्ग-दर्शन और प्रेरणा के स्रोत में इन लोगों की बड़ी उपयोगिता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही है। श्रीमन् मैं दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक सन्तप्त परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे और मेरे दल की भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, उपाध्यक्ष जी, स्वतन्त्रता संग्राम के एक महान सेनानी प्रोफेसर राम सरन जी का निधन 3 फरवरी को हुआ। हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग धीरे-धीरे करके हमसे विलग होते ह।

हमें बहुत वेदना होती है। प्रोफेसर राम सरन जी स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी थे। 1922 से लेकर एक वर्ष तक वह असहयोग आन्दोलन में कारावास में रहे। 1937 की पहली विधान सभा में वह सदस्य निर्वाचित हुए। सन् 46 से लेकर सन् 52 तक वह इस सदन के माननीय सदस्य रहे। इसके उपरान्त 1952 से लेकर 1962 तक वह लोक सभा के सदस्य रहे। वह एक शिक्षाविद भी थे। उनका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ी बात थी कि स्वतन्त्रता संग्राम की जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, गाँधी जी के सिद्धान्तों के प्रति उन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है, गाँधी जी के जीवन को अपने जीवन में उतारा है ऐसे लोग जब हमारे बीच से विलग होते हैं तो उनका विलग होना वास्तव मे दुख की बात होती है। जो माननीय नेता सदन ने भावनाएं और उद्गार प्रकट किए हैं और जनता पार्टी की ओर से श्री कालीचरण जी ने जो उदगार प्रकट किए हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे दल की ओर से उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी समवेदनाए पहुंचा दें।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रोफेसर राम सरन जी के बारे में जो उद्गार माननीय नेता सदन, नेता जनता पार्टी कालीचरण जी ने तथा गुलाब सेहरा जी ने व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, प्रोफेसर राम सरन जी स्वतन्त्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी थे। शिक्षाविद् तो थे ही लेकिन सादगी के प्रतीक थे। सबसे बड़ा कार्य जो उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए किया है, मैं समझता हूं कि वह बहुत ही अनुकरणीय है। आज जो हमारे समाज में छुआछूत और तमाम समाज की कुरीतियाँ व्याप्त है। ऐसे लोगों का उठ जाना, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों से लड़ा था और पूरे समाज को प्रेरणा दी थी, ऐसे लोगों के उठ जाने से प्रदेश का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए श्रीमन, उनके निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करे।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, प्रोफसर राम सरन जी को मैं बहुत निजी तौर से जानता था। वह हमारे साथ 1952 से संसद सदस्य रहें थे। जितनी सरलता उनमें थी और जिस तरह से वह काम करते थे, जैसी कार्य-प्रणाली उनकी थी वह सचमुच रचनात्मक थी। वह नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बड़े मित्रों में से थे और अनेक संस्थाओं को उन्होंने रचनात्मक तरीके से रचा और उनको चलाया। उन्होंने न केवल उस जिले का जिसके वह प्रतीक थे, बल्कि अन्य स्थानों का भी उन्होंने भ्रमण किया। वह इतने सरल थे कि उनकी स्मृति हमारे सामने खड़ी है। मैं अपन को नेता सदन, नेता विरोधी दल; नेता काँग्रेस, नेता सी0पी0 आई0 की श्रद्धांजलियों के साथ और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, प्रो0 राम सरन जी जो आज, मुरादाबाद की जनता के बीच में नहीं रहे है। मुरादाबाद में जब किसी बातों में प्रोफेसर कहा जाता था तो समझा जाता था कि प्रो0 राम सरन कीबात कही जा रही है। श्रीमन्, नेता सदन, नता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओ ने जो उनके सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और इतनी बात कहना चाहता हूं कि जैसा कि नेता सदन ने कहा है कि एसेम्बली और लोक सभा के वह मेम्बर रहे, तो उनके अन्दर खूबी थी कि जहां वह इतनी बड़ी-बड़ी संस्थाओं के मेम्बर रहे, वह साथ ही साथ वह नीचे स्तर पर गली-कूचों में सर्वोदय और खादी का काम बड़ी लगन से करते थे। वह प्रभात-फेरी के लिए निश्चित समय पर, जैसा तय होता था, 4 बजे आ जाते थ। मान्यवर, हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से उनके शोक सन्तप्त परिवार तक समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन, प्रो0 राम सरन के बारे में जो नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किए है उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी समवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, श्री काली चरण, श्री श्यामधर मिश्र, श्री ऊदल, श्री रियासत हुसैन और श्री भगवती प्रसाद सिंह ने जो शोक संमवेदनाएं प्रो0 राम सरन के प्रति व्यक्त की है, मैं अपने को और सदन को उससे सम्बद्ध करता हूं। प्रो0 साहब बहुत ही उच्च कोटि के समाजसेवी और कार्यकर्ता थे। उनकी मृत्यु से प्रदेश ने एक बहुत उच्च कोटि समाजसेवी और कार्यकर्ता को खो दिया है। मैं आपकी समवेदनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार तक भिजवा दूंगा।

अब दो मिनट के लिए सदन के सदस्य खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

प्रोफेसर राम सरन के निधन की सूचना देर से दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुखपाल पाण्डय (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पहले नियम 301 लेता हूं। श्री अजीत सिंह सेठी....

श्री सुखपाल पाण्डेय—

व्यवस्था का प्रश्न सुन लें.....

श्री मैनेजर सिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष—

मने उनको बुला लिया है.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजर सिंह---

बुलाने से पहले मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था आप उस पर निर्णय दे दें उसके बाद बुला ले। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज 8 फरवरी है। 3 फरवरी को जैसा कि आपने सदन को सूचित किया है माननीय प्रोफसर राम सरन जी का स्वगवास हो गया। 8 फरवरी को सदन को सूचित किया जा रहा है। श्रीमन, जो निदेश ह उनके अनुसार जिलाधिकारी को, प्रशासन को तुरन्त भूतपूर्व माननीय सदस्यों के स्वर्गवास, मृत्यु की सूचना देनी चाहिए। श्रीमन्, इस म. अत्यधिक विलम्ब हुआ है। क्या आप कोई व्यवस्था करेंगे और एसा प्रबन्ध करेंगे कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको दंडित किया जाय और इस प्रकार की लापरवाही न करें।

श्री उपाध्यक्ष---

5 फरवरी को डी0एम0 से सूचना आई है।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

मनजर सिंह जी को सुनने दिया गया मेरी बात भी सुन लें। यदि उनको आप नहीं सुनते तब.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठें, आप को अभी समय मिलेगा, नियम 301 के बाद।

पुनर्वास विभाग द्वारा बसाए गये रिफ्यूजी मार्केट को मेरठ प्रशासन द्वारा उजाड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)---

मान्यवर, अर्सा 30 साल से पुनर्वास विभाग द्वारा बसाए गये रिफ्यूजी दूकानदार भाइयों को मेरठ का प्रशासन षड़यन्त्र द्वारा उजाड़ फकना चाहता है।

मान्यवर, प्रसंग इस प्रकार है वर्ष 1947 में पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी भाइयों को पुनर्वास विभाग नें आर्थिक दृष्टिकोणों से मेरठ टाउन हाल के समीप लकड़ी के खोखे में मारकेट बना कर बसाया। तत्पश्चात पुनर्वास विभाग बन्द हो जानें पर यह मारकेट नगरपालिका के अधिकार में सौंप दी गयी। गरीब दूकानदारों ने मारकेट को पक्की बनाने के लिए नगरपालिका बोर्ड से संघर्ष किया तथा बोर्ड के भंग हो जाने पर प्रभारी अधिकारियों से संघर्ष चलता रहा। वर्ष 1980 के प्रारम्भ में नगरपालिका अधिकारी ने मारकेट को पक्का बनाना स्वीकार कर काम प्रारम्भ कर दिया। 8 फुट बाई 14 फुट दुकान की लागत बोर्ड द्वारा 10 हजार रुपया आंकी गयी तथा खोखे में बसें दूकानदारों से अग्रिम 5000 रुपया (5 हजार रुपया) जमा करा लिया। दुकानें बन जाने के उपरान्त अधिकारी साहब लागत आधार पर गरीब दुकानदारों को दुकान न देकर खुली नीलामी पर दुकानों को छोड़ना चाहते हैं। दूसरी ओर उन दुकानदारों को मजबूर कर रहा है कि यदि नीलामी रोकना दरकार हो तो 30 हजार रुपया प्रति दूकान उन्हें देना होगा।

मान्यवर, गरीब दुकानदारों के साथ यह घोर अन्याय है कि षड़यन्त्र द्वारा उनको दूकानों से वंचित रखा जाय। न ही 30 हजार रुपया वे दे सकें और न ही दुकान ले सकें। मेरा आप के माध्यम से स्वायत्त शासन विभाग से अनरोध है कि पुनर्वास विभाग की सदभावना में बनाई रिफ्यूजी माकट कोउजड़ने से रोकने के लिए सरकार तुरन्त जिला प्रशासन तथा नगरपालिका अधिकारी, मेरठ को सख्त आदेश दे कि पुराने बसे गरीब दुकानदारों की लागत के आधार पर दुकानें आवंटित कर दी जायं। इस प्रकार उत्पन्न तनावपूर्ण वातावरण को शान्त किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, * * * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

आज असरकारी दिन भी है.....

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर..... (व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

[* * *]

प्रदेश को खाण्डसारी इकाइयों को डीजल न देने के सरकार के आदेश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)—

महोदय. मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त लोक महत्त्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार द्वारा कल जिलाधिकारियों, उद्योग अधिकारियों एवं खाद्य निरीक्षकों को यह आदेश प्रसारित किए गये हैं कि आज से किसी भी खण्डसारी इकाई को डीजल न दिया जाय इससे देश की 7000 इकाइयाँ तुरन्त बन्द हो जायेंगी और इन इकाइयों में लगे लाखों मजदूर बेकार हो जायेंगे, इसके साथ ही साथ प्रदेश के किसानों क गन्ना मूल्य में भी एकदम गिरावट हो जायगी जो गन्ना इन इकाईयों में 20 रुपए व 22 रुपए कुन्तल बिक रहा है 15-16 रुपए पर आ जायेगा। किसानों को गन्ना मूल्य में करोड़े रुपयों का नुकसान होगा. लगता है यह आदेश सरकार ने प्रदेशके बड़े-बड़े गन्ना मिल मालिकों के हित में संरक्षण हेतु उठाया है।

मान्यवर, खाण्डसारी का प्रदेश के वर्हिगमन के प्रतिबन्ध से भ्रष्टाचार को बढावा मिलेगा, भ्रष्ट कर्मचारियों की चान्दी होगी गरीब खण्डसारी बर्बाद होंगे। खण्डसारी उद्योग में लगे लाखों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे उनके परिवार भूखों मरेंगे प्रदेश सूखे की चपेट में है जो राहत खण्सडारी उद्योग से मिल रही ह वह भी समाप्त हो जायेगी।

अतः सरकार से अनुरोध ह कि सरकार गन्ने का अच्छा मूल्य दिलावे व बेरोजगारी पर नियन्त्रण पाने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु खण्डसारी का वहिर्गमन आदेश पुनः प्रसारित करे और . डीजल का कोटा पुनः देने की व्यवस्था करे।

राज्य सरकार द्वारा गुड तथा खण्डसारी के प्रदेश के बाहर निर्यात करने पर रोक लगा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा गुड़ तथा खांडसारी को प्रदेश के बाहर निर्यात करने पर रोक लगाने से गन्ना किसानों को हो रही क्षति का मामला आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाना चाहती हूं। मान्यवर, निर्यात पर रोक से गुड़ तथा खांडसारी बनना बन्द हो रहा ह जिससे कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य जो अब तक पश्चिमी जिलों में 20 रुपया प्रति कुंटल की दर से था अब उसकी कीमत 10, 12 रुपया रह गयी है। खरीददार नहीं हैं।

मान्यवर, मेरे जनपद मुजफ्फरनगर की दशा इस सन्दर्भ में बड़ी दयनीय हो गयी। काश्तकार का गन्ना नहीं बिक रहा है। गुड़ का व्यापार भी ठप्प है। इस कुटीर उद्योग में लग बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। जो काश्तकार स्वयं गुड़ बनाते है वह भी बरबाद हो रहे हैं। अतएव लोक महत्त्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से माननीय खाद्य मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देती हूं।

नोट:—[****] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद लखनऊ के गोसाईगंज विकास खण्ड के कतिपय ग्रामों में ओला वृष्टि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड गोसाईगंज, जनपद लखनऊ के विभिन्न ग्रामों में दिनांक 4 फरवरी, 1980 को सायं 5 बजे भारी ओला वृष्टि के कारण हजारों एकड़ फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है। जिससे लाखों रुपयों की क्षति हुई है। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम अमेठी, मोहम्मदाबाद, काजी खेड़ा, गोसाईगंज, मसौली, कोरियानी, चांदसराय, कासिमपुर, बिरुहा, नवाब अली का पुरवा और कबीरपुर आदि ग्रामों में 100 ग्राम से ले कर 500 ग्राम तक वजन का पत्थर गिरा जिसके कारण रबी की फसल 60 से 70 प्रतिशत नष्ट हो गई है। इस क्षेत्र में पोस्ते की खेती 100 प्रतिशत नष्ट हो गई है।

मान्यवर, इस ओलावृष्टि के कारण किसान भूखमरी की स्थिति को पहुंच गये हैं तथा भविष्य में पशुओं के चारे का भीषण संकट उत्पन्न हो जायगा। इस ओला वृष्टि के कारण जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अविलम्ब सम्बन्धित ग्रामों के ओला से प्रभावित लोगों की सहायता करने एवं अन्य बकायों की वसूली स्थगित करने तथा मजदूरों के सहायतार्थ टेस्ट वर्क प्रारम्भ करने की मांग करता हूं।

प्रदेश में गुड़ तथा खाण्डसारी के निर्यात पर लगी रोक को समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न बाद में कर लीजिएगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीया मालती शर्मा ने जो नियम 301 के अन्तर्गत गुड़ और खाण्डसारी के सम्बन्ध में सदन को सूचना दी थी उसके बारे में आप शासन को यह निर्देश दे दें कि वह आज किसी भी समय इस सूचना पर अपना बयान दे दे। मान्यवर, यह बहुत लोक महत्व का प्रश्न है। आप जानते हैं कि गुड़ और खाण्डसारी के निर्यात पर रोक लगी हुई है और उससे प्रदेश के किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर आज ही शासन बयान दे दे।

श्री उपाध्यक्ष—

खाद्य मन्त्री इसको देख लेंगे और इसके सम्बन्ध में यदि वे आज सदन को कोई सूचना दे दें तो अच्छा है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, ऐसा लग रहा है कि आज सदन का आखिरी दिन है। श्रीमन, आप जानते हैं कि इस समय प्रदेश में गुड़ और खाण्डसारी पर रोक लगी हुई है जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस रोक को हटाने के लिए क्या सरकार कुछ विचार कर रही है, इसका भी कुछ बयान शासन अपने वक्तव्य में दे दे तो अच्छा होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—
मैंने कह दिया कि आज इस सम्बन्ध में उनका बयान आना चाहिए।

फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ नगरपालिका के माध्यमिक शिक्षकों को हाउस रेन्ट एलाउन्स न दिए जाने से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—
महोदय, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ नगरपालिका की वर्तमान आबादी एक लाख से कहीं अधिक है और उसके अन्तर्गत एक दर्जन से अधिक इण्टरमीडिएट व हायर सेकेन्डरी स्कूलों में लगभग 700 अध्यापक, अध्यापिकाएं सेवारत हैं। उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार एक लाख से अधिक आबादी व उसके 10 किलोमीटर आस-पास स्थित संस्थाओं के कर्मचारियों को उनके मिलने वाले वेतन के साढ़े सात प्रतिशत के हिसाब से हाउस एलाउन्स मिलता है। किन्तु खेद का विषय है कि पिछले तीन वर्ष से फर्रुखाबाद के इन माध्यमिक शिक्षकों व 10 किलोमीटर के अन्तर्गत आने वाले शिक्षकों को अभी तक हाउस एलाउन्स नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ पर अन्य विभाग के कर्मचारियों को यह एलाउन्स बराबर मिल रहा है। इससे इन कर्मचारियों में घोर असन्तोष व रोष व्याप्त है और बाध्य होकर वे प्रदर्शन, सत्याग्रह, आन्दोलन और धरने का सहारा ले रहे हैं, जिससे स्थिति विस्फोटक बन रही है और प्रशासन के ठप्प होने की आशंका पैदा हो गयी है।

अस्तु अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उनको तत्काल हाउस एलाउन्स दिलाए जाने के आश्वासन की मांग करता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री आज इस सम्बन्ध में हमको आश्वासन दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—
शिक्षा मन्त्री इसको देखें।

जिला सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिर खाना में हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामफेर कोरी (जिला सुल्तानपुर)—
मान्यवर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1972-73 में भूमिहीन अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को जमीन के पट्टे किए गए थे। खसरा खतौनी में इन्दराज भी हो गया है और यह लोग लगान भी दे रहे हैं परन्तु अभी तक पूरे रकबे पर कब्जा नहीं मिला है। अधिकांश में कागज पर पट्टा दे दिया है और भूमि पर रकबा है ही नहीं। अब चकबन्दी होने जा रही है उसमें उन हरिजनों को कोई भूमि नहीं दी जा रही है। जिससे कि हरिजनों में चिन्ता व्याप्त है। आवश्यक होगा कि चकबन्दी होने के पूर्व सभी पट्टेदारों को भूमि पर कब्जा दिलाया जाय। उसके बाद ही चकबन्दी कराना हरिजनों के हित में होगा। यहां शासन की गलती से पट्टा मिला परन्तु भूमि है ही नहीं। वहां की ग्राम सभाओं की भूमि से जमीन दिलाकर पट्टों को सार्थक किया जाय और उसके बाद चकबन्दी में बचत की जमीन छोड़ी जाय। इसके बारे में कई बार शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया परन्तु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई।

अतः मामला प्रशासन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर जनपद की फरेंदा तहसील के कतिपय ग्रामों में बन्दोबस्त कराए जाने से फसल की बरबादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम नारायन तिवारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, गोरखपुर जनपद के फरेंदा तहसील के कहरौली, धानी कानापार सिकन्दरा-जीतपुर, कोइलाडाड़, गिरवी बुजुर्ग आदि गांवों में जहां पिछले चार फसलें सूखा अकाश से नष्ट हो चुकी हैं। अब बन्दोबस्त के पैमाइश की कार्यवाही से लगी अरहर तथा गेहूं की फसलों के किए जाने वाले बरबादी से प्रभावित अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उक्त गांव के किसानों की बराबर मांग रही ह कि यहां बन्दोबस्त न कराकर चकबन्दी कराई जाय। जो स्वयं में एक बन्दोबस्त है। यहां लगे गांवों में चकबन्दी चल भी रही ह। इस तरह किसानों तथा सरकार को दोहरे आर्थिक एवं अन्य परेशानी से बचत होगी।

जनहित के इस लोक महत्त्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल पैमाइश की कार्यवाही को रोकवाने की मांग करता हूं जिससे फसलों की बरबादी तुरन्त रुके और बन्दोबस्त रोक कर चकबन्दी कराने के लिए गजट कराया जाय।

श्रम प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा मथुरा शहर में बिना पूर्व सूचना के तोड़-फोड़ किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मथुरा शहर में श्रम प्राधिकरण के अधिकारी बड़ी भारी संख्या में दूकानों की तोड़-फोड़ बिना किसी पूर्व सूचना के कर रहे ह। लाखों रुपयों का नुकसान पूरे शहर का कर डाला ह। इस घटना से सारे शहर म रोष उत्पन्न हो रहा है। स्थिति को विस्फोटक होने से पहिले मेरी सरकार से जोरदार मांग है कि जनहित में उचित कार्यवाही तत्काल करे। अन्यथा किसी भी वड़ संघर्ष की नौबत जनता व कर्मचारियों के बीच आ सकती है।

डीजल न मिलने के कारण जिला शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र में रबी की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, इस वर्ष भीषण सूखे की चपेट में जनता में बेहद क्षोभ एवं रोष व्याप्त है। इस वर्ष वर्षा जुलाई के द्वितीय पक्ष से प्रारम्भ होकर अगस्त के मध्य तक ही समाप्त हो गयी। जहां किसानों ने अपने अटूट परिश्रम से खरीफ की फसल में गल्ला पैदा किया वह परिश्रम किसानों का सराहनीय ह। नहर, नदी, नलकूप, सिचाई कूप, रहट, पंपिंग सेट द्वारा पलेवा आदि करक जुताई खुदाई कर ज्वार, बाजरा, मक्का तथा धान आदि की बुवाई रूपाई की तथा फसल को हरा भरा किया। पंपिंग सेटों को अधिकतर इतेस्माल किया गया परन्तु समय पर डीजल न मिलने के कारण जो भी फसल ब्लैक मार्केट आदि से डीजल प्राप्त कर पैदा कर ली वह कर ली, शष सारी फसल सूख गयी। रबी की फसल के लिए खेतों में पलेवा कर जुताई खुदाई कर गेहूं, चना आदि बोया, लोक सभा चुनाव के पहले डीजल तेल आदि डीजल पम्पों पर अथवा ब्लैक से काश्तकारों को मिलता रहा जिससे सिचाई होती रही परन्तु लोक सभा के चुनाव के उपरान्त डीजल तेल गायब हो गया। काश्तकार डीजल की परेशानी से त्राहि-त्राहि कर रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हई सिंह]

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा है पिछली साल सैलाब से डूबा रहा और सारी फसल नष्ट हो गयी। इस साल सूखा में किसान की फसल में अधिक परिश्रम से जूझते हुए भी समय पर डीजल न मिलने पर परिश्रम का सही फल नहीं उठा सके। अब रवी की फसल में अटूट परिश्रम से जुटे हुए हैं फसल रबी की फूलने पर है परन्तु लोक सभा के चुनाव के उपरान्त डीजल तेल गायब हो जाने से गेहूं की फसल का काफी नुकसान हो रहा है। डीजल 60 लीटर तक मिलना कठिन हो गया है। ऐसी हालत में सरकार से अनुरोध है कि डीजल तेल की सरकार तत्काल समुचित व्यवस्था कर रबी की फसल की नुकसान होने से बचा कर किसानों को राहत दे ताकि गरीब जनता को भुखमरी से बचाया जा सके।

गोंडा के करनैलगंज क्षेत्र में डीजल व मिट्टी के तेल के विवरण में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री त्रिवेनी सिंह (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गोण्डा जनपद के करनैलगंज क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, थानेदार तथा विकास खण्ड अधिकारी, परसपुर द्वारा डीजल के वितरण में की जा रही धांधली से पूरे क्षेत्र की जनता भुखमरी का शिकार हो रही है। थानेदार तथा विकास खण्ड अधिकारी चोरबाजारियों से मिल कर सारा डीजल एवं मिट्टी का तेल चोर बाजारी में ही फर्जी कार्ड के नामों से विकवा रहे हैं। अतः जिससे डीजल के अभाव में रबी की पूरी फसल चौपट हो रही है। चारों तरफ त्राहि- त्राहि मची है। जनता में व्याप्त असंतोष भीषण रूप धारण कर सकता है। हरिजनों को खाद में दी जाने वाली छूट भी नहीं मिल पा रही है। तथा सरकारी सस्ते गल्ले के कानदारों ने तहसील हाकिम तथा खाद्य पूर्ति इस्पेक्टर द्वारा घूस लेकर ही भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं और गरीबो को गल्ला नहीं मिल रहा है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि क्षेत्र की जनता को राहत दिलाने हेतु माननीय मंत्री जी से तुरन्त उचित कार्यवाही का आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं।

विविध विषय

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

एक औचित्य का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(श्री गुलाब सेहरा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाँडेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दीप नरायन—

मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि आप इजाजत दे देंगे।

श्री सुखपाल पाँडेय—

माननीय उपाध्यक्ष जी.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने लिख कर भेजा नहीं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

आपके सम्बन्ध में है । कल अध्यक्ष का चुनाव था ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो स्थगित हो गया ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

चुनाव की तारीख निश्चित थी । दस बजे से 12 बजे तक नामिनेशन पेपर दाखिल हुए और आपने भी नामिनेशन पैपर दाखिल किया । उस समय आपने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया । मावलकर जी की व्यवस्था है, जब लोक सभा में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था उस समय उपस्थित उपाध्यक्ष की हैसियत से परचा दाखिल किया था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था । बिना इस्तीफे के निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पायगा । इसलिए आपको त्यागपत्र का परचा दाखिल करना चाहिए था ।

श्री उपाध्यक्ष —

यह कोई आवश्यक नहीं है । चुने जाने के बाद फिर इस्तीफा देने की प्रक्रिया है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मैंने श्रीमन्, एक प्रस्ताव दिया था जिसको आपने स्वीकार कर लिया था । उस पर सदन में चर्चा कब करा रहे हैं । वह प्रस्ताव मैं रख देता हूं, आपकी आज्ञा से । आपको निश्चित करना है किस वक्त चर्चा करवायेंगे । यह सदन. . .

(व्यवधान)

श्री शतरूद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है । किस नियम के तहत यह रखा जा रहा है ? क्या आपने अनुमति दे दी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्य मंत्रणा समिति में आया था । मैंने कल इसको ग्राह्य किया था । लेकिन मैंने यह कहा था कि आज जिस प्रकार कल मतदाता सूचियों वाला जो प्रस्ताव था, उसके ऊपर सुना था, उसी प्रकार इसमें भी मैं ग्राह्यता के बारे में सुनने की अनुमति दे ूंगा और उसके बाद अपना निर्णय दूंगा ।

श्री शतरूद्र प्रकाश—

यह औचित्य के प्रश्न उठाने का समय है ? आपने न नियमों को निलम्बित किया है, किस नियम के तहत प्रस्ताव रखा जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

कई माननीय सदस्य औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं । लेकिन श्री गुलाब सेहरा बै भी रहते हैं तो आप बुला लेते है । न उन्होंने यह बताया कि वह किस नियम के तहत रख रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री गुलाब सेहरा नेता हैं, जब वह खड़े होते हैं तो उनको सुना जाता है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री फजलुलबारी--
मैं खड़ा हो गया था। आप मुझे इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष --
कई लोग एक साथ बोल रहे हैं। मैं जिसको बुलाऊं वही बोले।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--
इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष--
मैं पहले औचित्य के प्रश्न ले लूं, 3-4 मेरे सामने है फिर सेहरा जी, आपको सुनूं।

दि इन्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली द्वारा कैम्फर एण्ड एलाइट प्रोडक्ट्स के साथ टर्पेन्टाइन की आपूर्ति के सेम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत लम्बित चर्चा को पूरा कराने सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--
मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है, उसके पहले कि गुलाब सेहरा को प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दें, मुझे आप सुन लें...

श्री उपाध्यक्ष--
आप अपने औचित्य के प्रश्न पर बोलिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--
मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि नियम 52 के अन्दर मेरा एक प्रस्ताव आपने ग्राह्य किया था--दि इंडियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा कैम्फर एण्ड एलाइड प्रोडक्टस लि0 के साथ टर्पेन्टाइन की आपूर्ति तथा उसकी शर्तों के संबंध में मई, 1978 में हुए समझौते से उत्पन्न स्थिति पर नियम 52 के अन्तर्गत सदन में चर्चा को आपने स्वीकार किया था और उस पर चर्चा भी हुई थी जून के महीने में 15 तारीख को। उस पर मेरा भाषण भी हुआ था, लेकिन चूंकि उस दिन उद्योग मंत्री जी यहाँ अनुपस्थित थे, इसलिये आपने उस चर्चा को अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया था। उसके बाद मान्यवर, अगस्त, 79 में अगला सत्र आया, वह उसमें नहीं लिया गया। अब उसके बाद यह तीसरा सत्र आया है और इसके बावजूद इसमें भी नहीं लिया गया। मान्यवर, मैं नियम 53 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं--यदि अध्यक्ष को सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी माँगने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है तथा इतने महत्व का है कि सदन में किसी दिन शीघ्र ही उठाया जाना चाहिये, तो वे सूचना ग्रहण कर सकेंगे और सदन नेता के परामर्श से उस विषय को चर्चार्थ लेने के लिये तिथि व समय निश्चित कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--
आप लोग सदन में शान्ति रखें।

(व्यवधान)

आप लोग शान्त रहें। अपने असरकारी दिवस पर तो कम से कम आप शान्ति बनाए रखें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

यदि आप यह समझेंगे कि उसका शीघ्र ही उठाया जाना नितान्त आवश्यक है, तभी आप उसे स्वीकार करेंग। आपने शीघ्र ही उठाए जाने लायक समझा तब उस पर जून मास में चर्चा शुरू हुई। मैं यह तो नहीं कहता कि वह जबाव नहीं देना चाहते या क्या कारण थे जिससे माननीय उद्योग मंत्री जी उस दिन अनुपस्थिति हो गए। लेकिन आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए यह विनिश्चय किया कि यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है, शीघ्र उठाया जाना चाहिए। अगले सत्र में चर्चा स्थगित करने का आपने आदेश दिया, किन्तु किन्हीं अज्ञात कारणों से अगले सत्र में भी नहीं आया और इस सत्र का भी यह आखिरी दिन है और आज तक भी यह नहीं आया। तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में नियम 52 के प्रश्न टाले जा सकते हैं? क्योंकि अब तक पीठासीन अधिकारियों द्वारा जितने भी नियम 52 के सम्बन्ध में विनिश्चय हुए हैं, उसमें यही है कि इसकी चर्चा टाली नहीं जाएगी। मंत्री जी की अनुपस्थिति का बहाना लेकर चर्चा टाल गये। इस लिए मैं चाहता हूं, मुझे मालूम देता है कि शासन इस प्रश्न को बराबर टालना रहता है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार के निश्चित और गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे अधिकार की रक्षा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रस्ताव सदन में लम्बित है और कार्य मंत्रणा समिति ने उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया है। मैं समझता हूं कि यह गैर मुनासिब होगा कि इतने दिनों तक इसका उत्तर शासन न दें। मैं उद्योग मंत्री जी से इसकी स्थिति के बारे में जानना चाहूंगा। अगले अधिवेशन में यह आवश्य ही आ जाए, मैं ऐसा चाहूंगा।

प्रदेश के पुनर्गठन के सम्बन्ध में लम्बित प्रस्ताव को न लिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैंने औचित्य के प्रश्न की सूचना आपको दी है। आपने नियम 103 में मेरे प्रस्ताव को कि इस प्रदेश का पुर्नगठन किया जाए, ग्राह्य किया था। उसमें एक दिन चर्चा हुई थी और आपको याद होगा सरकार ने बराबर उसको टालने की सदन में कोशिश की। आपके ही हस्तक्षेप पर ही, जब आपने कहा था कि मैं स्वयं समय निश्चित कर सकता हूं, तब इसे किया गया था। इसके बाद आप देखें नियमावली के नियम 18 में है कि "जब सभा सत्रावसित हो जाय तो—(क) सब लम्बित सूचनायें व्यपगत हो जायंगी और आगामी सत्र के लिए फिर से सूचनायें दी जायेंगी, परन्तु जो प्रश्न कार्य सूची में प्रविष्ट हो चुके हों किन्तु पिछले सत्र की समाप्ति पर स्थगित किए गए हों और उत्तर के लिए लम्बित हों, वे व्यपगत नहीं होंगे। (ख) सत्रावसान के समय जो विधेयक सदन में लम्बित हों वह सदन के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा।" अब मान्यवर कार्य मंत्रणा समिति के कृत्य नियम 224 में दिये हैं। (1) समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे विधेयकों तथा अन्य सरकारी कार्य के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिये समय नियत करने के सम्बन्ध में सिफारिश करे जिन्हें अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से समिति को निर्दिष्ट करने के लिए निर्देश दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोहन वीर सिह तोमर]

(2) समिति को प्रस्थापित समय सूची में यह दर्शाने की शक्ति होगी कि विधेयक या अन्य सरकारी कार्य के विभिन्न प्रक्रम किस समय पूरे होंगे। यह तो सरकार का अधिकार है परन्तु नियम 51 और नियम 52 में तो आपको अधिकार है और संविधान में हमें संरक्षण दिया गया है। सरकार जिन प्रस्तावों की इच्छा न करे उनको टालती रहे ऐसा नहीं है। मेरा प्रस्ताव सूबे के बटवारे के सम्बन्ध में था और उस पर विचार किया गया था। असरकारी प्रस्ताव, नियम 103, 51 और 52 के प्रस्तावों को क्या कार्य मंत्रणा समिति तय करेंगी ? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जिस प्रकार से श्री तिवारी का प्रस्ताव लम्बित है उसी प्रकार से आपका भी प्रस्ताव लम्बित है। जो अगला अधिवेशन करते जा रहे हैं उसमें समय निर्धारित कर दूंगा।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

सेशन होगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

सेशन होगा या नहीं, लेकिन हम तो यह मानकर चलते हैं कि होगा।

सदन में अव्यवस्था

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

नरायनपुर के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है आप कोई न कोई रूप निकाल कर इसे दुबारा लाना चाहते हैं।

श्री मन्जूर अहमद—

अगर प्रधान मंत्री पर यहाँ चर्चा की गयी तो सदन को नहीं चलने दूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। मान्यवर, मेरी बात तो सुन ले।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 15 सदस्य एक साथ बोल रहे हैं।

श्री मान सिह आजाद (जिला लखनऊ)—

पूरे हिन्दुस्तान पर मीसा लगाया और लोगों को जेल में बन्द कर दिया ऐसा क्यों करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए। इसको मैंने औचित्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आपको इसको अस्वीकार करने का अधिकार है, लेकिन एक मिनट सुन लें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठें। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। मैंने औचित्य का प्रश्न अस्वीकार कर दिया है। इसके ऊपर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप प्रति दिन

किसी न किसी रूप में उसी विषय को लाये हैं। मैं इस पर आपको (श्री शतरुद्र प्रकाश) बोलने की इजाजत नहीं देता हूं और यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर कुछ सुनाई नहीं दिया)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय, यह सदन की गरिमा से सम्बन्धित प्रश्न है। आप मुझे एक मिनट के लिए सुन तो लें ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ जोर-जोर से बोलने पर)

अगर आप हल्ला मचाते रहेंगे तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

श्रीमन्, आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिए।

(सर्वश्री मान सिंह आजाद, राम आसरे वर्मा, श्यामधर मिश्र आदि कई सदस्यों के खड़े होकर अत्यधिक जोर से बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप सब लोग बैठें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

श्रीमन्, प्रधान मंत्री का क्या औचित्य है....

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे और कुछ सुनाई नहीं दिया।)

श्री उपाध्यक्ष --

आप कृपया सदन में शांति बनाये रखिए ? आप कृपया बैठिए। जिस प्रकार से आप सदन में लड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, यह गरमुनासिब है। यह लड़ाई तो आप अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर लड़िए लेकिन सदन को आप नियम के अनुसार चलाइये। (श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होकर कुछ बोलने पर) श्री श्यामधर मिश्र जी, आप तो पुराने सदस्य हैं, नियमों के ज्ञाता भी हैं और सबसे अधिक नियमों का उल्लंघन आप ही करते हैं। कल भी आपने किया। आप कृपया बैठिए।

(पुनः कई सदस्यों के खड़े होकर जोर-जोर से बोलने पर)

अब मैं माननीय नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपने दलों के सदस्यों को बठायें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय, मैंने एक औचित्य का प्रश्न आपको दिया है। उसके बारे में आप मुझे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है। आप कृपया बैठें। जब मैंने उसे अस्वीकार कर दिया तो क्या आप जबरदस्ती उस पर बोलना चाहते हैं ? मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा ?

(घोर व्यवधान होने पर)

अब मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बज कर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। 12 बज कर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

नरायनपुर, जिला देवरिया की घटना तथा प्रधान मन्त्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष---

नारायणपुर के बारे में दो औचित्य के प्रश्न आये थे। एक को मैंने अस्वीकार किया है। एक के बारे में, जो सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश, श्यामधर मिश्र, राम आसरे वर्मा व जगदीश प्रसाद त्रिवेदी का है, उसमें से एक माननीय सदस्य संक्षेप में कह सकते हैं। (व्यवधान) दो दिये गये थे, एक को मैंने अस्वीकार किया है। दूसरे पर संक्षेप में मैं बोलने की इजाजत दूंगा। और उसके ऊपर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य दिला दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)---

आज अतारकारी दिवस है और बड़ी मुश्किल से यह समय मिला है। इस दिवस की महत्ता का स्वीकार न करते हुये शासन पक्ष के बैठे हुये लोग इसका समय. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

नियमावली में इसके लिये समय 2 बजे से 5 बजे तक होता है, इस बीच और काम होते हैं।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार---

नारायणपुर के बारे में तो काफी चर्चा हो चुकी है. . . . . .फिर आप इजाजत. . (व्यवधान) अवसर दे रहे हैं . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

सदन का संचालन मैं करता हूं आप कृपया बैठें। मैंने इजाजत दी है बोलने की।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात मान्यवर, रखूंगा. . . .

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[कांग्रेस (आई) पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर]

श्री उपाध्यक्ष---

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं

(इस समय श्री शतरुद्र प्रकाश, डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश,' श्री राम रतन सिंह, श्री मंजूर अहमद आदि कई सदस्य एक साथ बोलते रहे जो समझ में न आने के कारण लिखा नहीं गया।)

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रदेश की घटना से संबंधित मामला है, मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया इस पर प्रकाश डालें।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

श्रीमन्, जो प्रश्न सदन के माननीय सदस्यों ने उठाया है उसका बड़ा गहरा संबंध इस सदन की गरिमा और सदन के अधिकारों से है। और इस सदन के कार्यकाल से है, अभी इसी सदन ने प्रस्ताव किया था कि विधान सभा भंग न की जाय। यह भी प्रस्ताव किया था कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मतदाता सूची जब तक संशोधित न हो, उस वक्त तक चुनाव न कराये जायं। श्रीमन्, प्रधान मंत्री जी ने संविधान के प्रति सत्य निष्ठा बिला राग और बिला द्वेष, बिला किसी ईष्या के अपना कर्तव्य पालन की शपथ ली है। श्रीमन्, जो प्रधान मंत्री का वक्तव्य है वह भ्रम पदा करता ह। उन्होंने पहली बात यह कही कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना को हश-अप किया। दूसरा उनका कथन है कि कोई सहायता नहीं दी गयी।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठिये। सुनिये।

श्री बनारसी दास--

अरेभाई मैं कहता हूं कि यहाँ सदन के अन्दर कोई मल्ल-युद्ध नहीं है। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि आप को कोई इन्जेक्शन मैं लगा रहा हूं। तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई सहायता नहीं दी गयी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी को दंडित नहीं किया गया। चौथी बात उन्होंने कही कि स्वतंत्रता प्राप्ति क बाद इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई। सरकार की तरफ स कोई व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं नं0 1--क्या इस घटना को छिपाया गया? श्रीमन्, 18 तारीख को जागरण में प्रकाशित हुआ कि पुलिस और ग्रामीणों में जमकर टक्कर हुई। फिर 23 तारीख को आया कि तमाम गाँव में सामूहिक रेप किया गया। तो श्रीमन्, उसके बाद वहाँ के थानेदार को लाइन हाजिर किया और मोहन सिह को निर्देश किया कि वह जाकर स्वयं देखें। 28 तारीख को जो श्री मोहन सिह ने वक्तव्य दिया आपको स्मरण होगा, मैने स्वयं कहा था कि राज्य मंत्री मोहन सिह घटना स्थल पर गये है, वह स्थिति पर प्रकाश डालेंगे और उनका वक्तव्य सदन का अन्दर है। उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा कि थाना हाटा और थाना कप्तानगंजकी पुलिस ने 14 तारीख की रात्रि के 10 बजे वहाँ पर अत्याचार किया। नृशंस कार्य किया।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा--

क्या सदन क नेता नियमावली से परे हैं? श्रीमन् जिस पर इतनी चर्चा हो चुकी हो, उस पुर पन: इतनी चर्चा करा रहे हैं? नरायनपुर की घटना पर इस सदन में चर्चा 3 बार हो चुकी है, आप नेता सदन से फिर वक्तव्य दिलवा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं वक्तव्य नहीं दिलवा रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह क्या नियमित है? यह वक्तव्य नहीं दिलवा रहे हैं तो फिर क्या है?

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियमित है।

श्री बनारसी दास--

काँग्रेस (आई) के लोग सत्य पर पर्दा डालना चाहते हैं और वह जो सत्य है, उसे सुनना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, आपको याद होगा कि यह घटना 14 की है और 23 तारीख को समाचार पत्रों में छपा है। आप बताइये 8 दिन कहाँ चला गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग खामोश रहिये।

श्री बनारसी दास--

श्रीमन्, मैं श्री गुलाब सेहरा जी से कहूंगा कि और विरोधी दल से कहूंगा कि विरोधी दल एक सजग प्रहरी रहता है। 14 तारीख की घटना है आपकी आँखें कहा रहीं, आपके कान कहाँ गये थे, आपन इस घटना की.....श्रीमन्, इस प्रश्न को विरोधी दल न श्रीमन्, श्री मोहन सिह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इनके अन्दर अन्याय, अत्याचार नृशंस रूप स किया गया ह, मैंने तत्काल आदेश दिया एस0 पी0 का स्थानान्तरण किया जाय, डी0 आई0 जी0 को स्थानान्तरित किया जाय, प्रधान मंत्री जाने वाली थी उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कल तक वह रहे और आज डी0 आई0 जी0 नें चार्ज दे दिया, 3 थानेदारों को निलम्बित किया, 25 सिपाहियों को बाहर भजा, 9 थानेदारो को जिले से बाहर भेजा। वहाँ पर श्रीमन्, श्री लारी साहब गय, श्री हरीकिशन श्रीवास्तव वहाँ गमे और 35 हजार रुपया, 25 हजार रुपया सरकार की तरफ से और वहाँ के अधिकारियों ने 5 हजार बस मालिक से और 5 हजार रूपया एक अन्य सज्जन ने सहायता में दिया, उनके खिलाफ मुकदमें रजिस्टर्ड है, न्यायिक जाँच की घोषणा की। तो श्रीमन्, यह कहना कि इस मामले को दबाया गया यह कहाँतक सही ह, आप निर्णय करें। आप सोचें क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है। श्रीमन्, मैं आपको साक्षी में रखूंगा ? 29, 30 नवम्बर, 75 को नसबन्दी की पार्टी गई, गाँव वालों के अन्दर.....

श्री गुलाब सेहरा--

जब केन्द्र सरकार कोई चार्जशीट दें तब इसका स्पष्टीकरण देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुन लें।

श्री बनारसी दास--

श्रीमन्, उस पार्टी पर गाँव वालों ने थोड़ा पथराव किया और कलेक्टर और एस0 पी0 4 ट्रकों में पहुंचे, हरिजनों का गांव था। 8 जगहों पर आग लगाई और 80-100 घरों में सामूहिक बलात्कार किया गया।

(शेम-शेम की आवाजें)

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, आप सन् 75.. ..

श्री गुलाब सेहरा--

75 को 80 में याद आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

उदाहरण दे रहें हैं आपके समय का।

श्री बनारसी दास--

श्रीमन्, यह नासिरपुर की घटना, आप लोग शान्त रहिये। अब श्रीमन् 78 का चुनाव हुआ, हैदराबाद के अन्दर सखिया बेगम अपने पति से मिलने थाने में गई, सिपाहियों ने बलात्कार किया और अभी चुनाव से कुछ पहले सखियाबेगम एक महीने तक थाने में पकड़कर रखी गयी और थानेदार तथा सिपाहियों ने थाने में बलात्कार किया। श्रीमन्, सन 75 में सेखुपुरा गाँव में लाखों रुपये के खलियान जला दिये गये और 4 भूमिहार मारे गये। उस जगह

पर दो हरिजन भी जला दिये गये और श्रीमन् ढाई सौ हरिजनों के घर जलाकर खाक कर दिये गये। श्रीमन्, रनखेड़ी के अन्दर सन् 76 में.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी, सन् 77 का आपने फायदा उठा लिया।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह जो हमदर्द हरिजनों के बनते हैं और यह कहते हैं कि नारायणपुर काण्ड में कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। लेकिन मैं कहता हूं कि कितनी हमदर्दी प्रधान मंत्री जी ने नासिरपुर, शेखूपुर व रनखेड़ी में जताई और इनसे पूछिए कितनी हमदर्दी मुजफ्फरनगर के खाला बाजार और सखिया बेगम के परिवार से इन्होंने जताई। श्रीमन्, मैंने ऐक्शन लिया और 35 हजार रुपया दिया। पहले प्रधान मंत्री के राजा बेटे गये। प्रधान मंत्री की वह हैसियत है और प्रधान मंत्री की एक कांग्रेस आई की अध्यक्षा की हैसियत है। मैं स्पष्ट करता हूं कि यह वक्तव्य प्रधान मंत्री का नहीं है। यह वक्तव्य प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का नहीं, इंदिरा कांग्रेस की अध्यक्षा का है जो कि राजनीतिक विद्वेष के कारण है। एन-केन प्रकारेण वह तीनों की तलाश करके षडयंत्र फैलाने की साजिश है क्योंकि राज्य सभा के चुनाव आने वाले हैं। वही प्रासीक्यूटर है और वही जज और हमारी प्रधान मंत्री को उन पर विश्वास नहीं। लेकिन दल की नीति अलग है और प्रधान मंत्री का कर्त्तव्य अलग है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधान मंत्री अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही हैं...

(शेम-शेम की आवाजें)

एक तरफ उन्होंने 2 फरवरी के अपने पत्र में लिखा कि मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहती। मेरा मकसद, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इससे है। यह वक्तव्य श्रीमन्, इसीलिए दिया गया है कि इस सदन के माननीय सदस्यों के आत्म-सम्मान को धक्का लगाने के लिये है ताकि ऐसा डर का वातावरण पैदा किया जाए कि माननीय सदस्य डरने लगें कि कहीं विधान सभा भंग न हो जाये। इस वक्त उनकी और कोई मन्शा नहीं है। प्रधान मंत्री का वक्तव्य निराधार और असत्य पर आधारित है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, एक छोटा सा स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी से दिलवा दीजिए इसी सिलसिले में।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से एक छोटा सा स्पष्टीकरण दिलवा दीजिए, जिस संबंध में आपने अभी वक्तव्य दिया है। इनसे इस बात को स्पष्ट करवा दें कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब 23 तारीख को जागरण की सूचना छपी उस समय से आपने कार्यवाही इस मामले पर प्रारम्भ की और वह घटना 14/15 तारीख की है इस 23 और 15 तारीख के बीच आपके किसी अधिकारी ने आपको इसकी सूचना नहीं दी। यदि तारीख 23 को अखबारों में यह सूचना न छपती तो आपको इस संबंध में कोई जानकारी भी न हो पाती। तो आपका इन्टेलीजेन्स, आपका कमिश्नर, कलेक्टर जो सारा डिपार्टमेन्ट है, उनकी इन्फार्मेशन पर कोई कार्यवाही न करते ?

श्री बनारसी दास—

श्री रियासत हुसैन का यह प्रश्न नहीं है। वहां के एस0 पी0, डी0 आई0 जी0 ने उपेक्षा की और यह सही है कि जागरण के द्वारा हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ। इसीलिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]

एस0पी0 को हटाया, डी0 आई0 जी0 को हटाया और यह कहा है कि एस0पी0 को जिला का चार्ज न दिया जाये। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ केसेज रजिस्टर्ड किये गये हैं, विवेंचना करके उनका प्रासीक्यूशन किया जावेंगा। गवर्नमेन्ट का तरीका है, गवर्नमेंट सर्वेन्ट को प्रोसीक्यूट करने का एक तरीका है। बड़ी घोर उपेक्षा वहाँ के अधिकारियों ने की।

एक सदस्य—

जिलाधिकारी ने कोई सूचना दी या नहीं ?

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि सरकार के ज्ञान में यह घटना 28 तारीख को आयी, मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया, जो कार्यवाही की उसके प्रति बड़ा आभारी हूं। मैं लेकिन जानना चाहता हूं कि 14–15 की घटना है, 28 को जानकारी हुई शासन को। जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा हो गयी है लेकिन उसके बाद डी0 आई0 जी0 ने 10 पेज की एक रिपोर्ट भेजी। हरिजन सेल के सचिव गये थे, उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी। आप कह रहे हैं कि श्रीमती इंदिरा गाँधी राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं तो उनको इसका अवसर क्यों मिला ? इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो रिपोर्ट डी0 आई0 जी0 ने भेजी वह तमाम अखबारों में छप गयी और उसमें यह साफ-साफ इंकार किया है कि वहाँ पर बलात्कार की घटना हुई। एक तरफ जुडिशियल इन्क्वायरी टर्म्स आफ रिफरेंस को तय करने और दूसरी तरफ डी0 आई0 जी0 का बयान। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो स्वतंत्र भारत में साफ-साफ छपा है फिर उनकी उदारता, जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा और उस पर अमल करने के लिए जो भी कर रहे हैं उसके बाद अधिकारियों का बयान न्यायिक जाँच को प्रभावित तो नहीं करेगा ? मेरी निश्चित सूचना है कि इसके बाद 2 आदमियों की मृत्यु, एक नन्हू की औरत और एक कोई और आदमी मर गया। अगर आज भी उसकी लाश कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम कराया जाये तो मालूम हो जायेगा।

श्री बनारसी दास—

इसमें जो न्यायिक जाँच होती है उसमें कोई प्रासीक्यूशन नहीं हुआ है। उसके जो टर्म्स आफ रिफरेंस है, घटना कैसे हुई, कौन जिम्मेदार था, उसकी पुनरावृत्ति कैसे रोकी जाये। यह तो मान लिया कि वहाँ पर अत्याचार हुआ है, किसने किया, ऐसा तो नहीं है कि जब तक किसी विशेष व्यक्ति का नाम न लिया जाये, या जो व्यक्ति सम्बन्धित है, पीड़ित है उनकी एफ0 आई0 आर0 पर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। न्यायिक जाँच अपना काम करेगी। जहाँ तक हरिजन सेल के डी0 आई0 जी0 को यहाँ से भेजने की बात है यहाँ से शिड्यूल कास्ट एण्ड शिड्यूल ट्राइब्स के कमिश्नर को भेजा गया। रिपोर्ट आ गयी है उसमें भी मुख्यतः कहा गया कि वहाँ की पुलिस दोषी थी। यह उन्होंने बतला दिया। अब किसको पकड़ा जाये। कतल होता है पुलिस को बहुत दिनों तक पता नहीं चलता, अन्त में फाइनल रिपोर्ट लग जाती है। जब तक उन मुल्जिमों का पता नहीं चलता, कैसे हो कुछ। इस काम को सी0 आई0 डी0 करती है। या तो रिपोर्ट गाँव वालों की तरफ से होती, प्राइमा-फेसी केस बनता, उन पर अभियोग चलाया जाता। गवर्नमेंट की तरफ से न्यायिक जाँच करा ली। रिपोर्ट के आधार पर प्रासीक्यूट करेंगे। सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आ जाये। कानपुर की रिपोर्ट, लखनऊ की रिपोर्ट, बनारस की रिपोर्ट नहीं आई। गोरखपुर की रिपोर्ट दो साल बाद आई। न्यायिक जाँच से शासन का मकसद हल नहीं होता जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रासीक्यूशन से सम्बन्धित है। डी0 आई0 जी0 दूसरे पहुंच गये, उन्होंने चार्ज भी ले लिया। निलम्बित तो किया है, वहाँ पर मुकदमा चलाना चाहिये। मुकदमा चलाने के बाद अगर गाँव वाले साक्ष्य देंगे तो सजा भी होनी चाहिये। सजा होनी चाहिये जिससे आगे इस तरह की घटना की पनरावृत्ति न हों सके। यह सरकार इस मामले के अन्दर किसी भी दोषी को माफ करने वाली नहीं है। जिन लोगों को चोट पहुंची है हमने 35 हजार रुपया दे दिया है।

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 14 तारीख की घटना है 22 तारीख हो गयी थी। मुख्य मंत्री जी ने ठीक काम किया जो मोहनसिंह जी को भेज दिया, हरीकिशन जी को भेज दिया। प्रधान मंत्री के जाने में आपत्ति है। जब रिपोर्ट आ गयी थी तो इन्होंने घटना पर जाकर राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा क्यों नहीं की ?

श्री बनारसी दास—

मैंने ऐक्शन ले लिया है। मेरे जाने पर रामरतन सिंह जी को यह शिकायत होती और प्रधान मन्त्री जी यह कहतीं कि मुख्य मंत्री जी जाकर जाँच को प्रीजुडिस कर रहे हैं। इसलिये यह उचित नहीं समझा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर इजाजत नहीं दूंगा।

(श्री हरिकेवल प्रसाद लगातार बोलते रहे)

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का षष्ठम प्रतिवेदन†

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं सदस्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1979–80) का षष्ठम प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश शासन के कतिपय विभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित हैं, प्रस्तुत करता हूं।

(श्री हरिकेवल प्रसाद के कुछ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं, आप बैठ जायं।

(श्री हरिकेवल प्रसाद के लगातार बोलते रहने पर)

आप बिना इजाजत बोल रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का सप्तम प्रतिवेदन†

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं सदस्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की अनुसूचित जातियों,

†छापा नहीं गया।

[श्री रियासत हुसैन]

अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1979–80) का सप्तम प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग के अधीन विभागाध्यक्षों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा निगमों की सेवाओं, पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रथम प्रतिवेदन के अनुच्छेद 27 और 28 में की गयी सामान्य संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु जारी शासनादेशों के अनुपालन पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

(श्री हरि केवल प्रसाद लगातार बोलते रहे)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री हरि केवल प्रसाद—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। आपको मैं आज्ञा नहीं देता।

(शोर)

श्री हरिकेवल प्रसाद—

[× × ×]

(श्री हरिकेवल प्रसाद के बोलते रहने के बीच में)

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का अष्टम प्रतिवेदन †

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं सदस्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1979–80) का अष्टम प्रतिवेदन, जो दिनांक 20 मई, 1979 को ग्राम अतरौली, विधान सभा क्षेत्र जामो, थाना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में हरिजनों के घरों को जलाने तथा दो हरिजनों को जिन्दा जलाने के प्रयास से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

(श्री हरिकेवल प्रसाद के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की अनसूचित जातियों, अनसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का नवम प्रतिवेदन

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं सदस्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1979–80) का नवम् प्रतिवेदन, जो ग्राम लोहारी, थाना हुसेनगंज, जिला फतेहपुर तथा ग्राम कुम्हावर, थाना बसरेहर, जिला इटावा में हरिजनों के उत्पीड़न से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

नोट—(×××) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†छापा नहीं गया।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—
मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—
आप कृपया बैठें या सदन छोड़ें ।
(शोर)

श्री हरिकेवल प्रसाद—
सदन तो, सब लोग मुख्य मंत्री भी छोड़ने वाले हैं । इंदिरा गांधी अपने आप छुड़वाने का षडयंत्र कर रही हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—
आप कृपया सदन छोड़ दें ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—
श्रीमन्, यह सदन स्पष्टीकरण, आश्वासनों और जनता के हितों के लिये है ।
(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—
मान्यवर, इनको मौका दे दीजिये, इनके क्षेत्र का मामला है ।
(व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद—
मुख्य मंत्री जी ने सदन में जो बयान दिया है उस पर मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—
बिल्कुल नहीं । यदि वे नहीं बैठते हैं, तो इनको मार्शल के द्वारा सदन से हटाया जाय ।
(श्री हरि केवल प्रसाद अपने स्थान पर बैठ गये ।)
एक सीमा होती है, अनुशासन भंग करने की ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—
माननीय मुख्य मंत्री जी तो बोल चुके ।
(श्री मोती लाल देहलवी का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री सुखपाल पांडेय—
मान्यवर, इनके क्षेत्र का मामला है ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—
मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । आप इसको स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—
किसके संबंध में ? जो आपको रिपोर्ट पेश करनी है उसके बारे में ? उसके बारे में हो तो कहें, नहीं तो औचित्य का प्रश्न उठाने की आज्ञा नहीं दूंगा ।
(श्री राम रतन सिंह का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री मोती लाल देहलवी—
मान्यवर, अखबारों में छपा है कि मोतीलाल देहलवी ने अपने दल से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गये हैं । मैंने तो आपको लिखकर दिया नहीं है । न मैंने अपने दल से इस्तीफा दिया ह न मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं आया है, अखबारों की खबर पर आप न जायं। जो हमने सूचना दी है उसको देखें, मानें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का नवां विशेष प्रतिवेदन

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं सभापति आश्वासन समिति आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का नवां विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का दसवां विशेष प्रतिवेदन

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं सभापति, आश्वासन समिति आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का दसवां विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं सदस्य याचिका समिति, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दण्डित करने की व्यवस्था करने सम्बन्धी संस्तुति के प्रस्ताव को लिए जाने पर आपत्ति

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, यह प्रस्ताव जो आपने ग्राह्य किया है मैं आपत्ति इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन संस्तुति करता है कि वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दण्डित करने की व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

श्रीमन्, यह मामला गंभीर है। माननीय राधेश्याम शर्मा ने.....

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

श्रीमन्, आप प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं–नियम 103 में। आपने स्वीकार किया लेकिन न तो उसको बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने समय दिया न नियमों को निलम्बित करने का प्रस्ताव रखा। फिर उस कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने नही है जिस रिपोर्ट के आधार पर यह प्रस्ताव ह। इसलिय जब तक वह रपोर्ट सामने न हो यह प्रस्ताव अवैधानिक है क्योंकि हम किस आधार पर संस्तुति करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता सदन ने जो आपत्ति उठायी है उस पर मुझे कहना है कि इस संबंध में मुझे कल एक नोटिस श्री गुलाब सेहरा और 2–3 माननीय सदस्यों की मिली थी। नियम 106 के अन्तर्गत इसे स्वीकार किया। आज कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक जब चल रही थी तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है जो फैसला आप करेंगे वह शिरोधार्य होगा। यह कार्य सूची में नहीं आया है अभी इन्होंने

---

†छपा नहीं था।

रखा है यह केवल रखने की बात कह रहे है। इसलिये इजाजत दिया । सदन के पटल पर अभी रखा नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि माननीय गुलाब सेहरा के पास वैंलिगम कमेटी की रिपोर्ट हो तो उसे जानकारी हेतु सदन को उपलव्ध करा दें तभी ग्राह्यता पर विचार हो सकता है और आप अनुमति देंगे अन्यथा उसकी कापी के बिना ग्राह्यता में कैसे भाग लेंगे ? (श्री गुलाब सेहरा के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो कार्य सूची है उसमें आपका यह प्रस्ताव नहीं आया है। मैंने केवल उस ग्राह्य किया है। तो पहले यह प्रस्ताव लायेंगे कि नियमों को निलम्बित करके यह ले लिया जाय। आप बात तो सुन लीजिये ..... (व्यवधान) नियम 106 में स्वीकार किया है। कार्य सूची में जब तक कोई चीज नहीं आती...

श्री गुलाब सेहरा—

उसकी जरूरत नहीं है। इसमें आपका साधिकार है। आप निर्णय कर सकते हैं। आपको याद है आपने परसों और कल दो दिन जो प्रस्ताव आये उनमें कार्यमंत्रणा में विचार नहीं हुआ और न ही नियमों में निलम्बन का प्रस्ताव आया और आपने स्वीकार करके सीधे चर्चा करा दी। मेरा कहनें का केवल आशय यह है कि नियम 108 के अन्तर्गत आप जिस वक्त चाहें निश्चित कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के सामाजिक जीवन.....

(व्यवधान)

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

किस नियम के अन्तर्गत बहस कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

(श्री पालीवाल और श्री सेहरा एक साथ बोलते रहे।)

(शोर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

उस समय माननीय सेहरा जी ने अगर आपत्ति उठाई होती तो उनकी आपत्ति वैलिड होती। उस मौके को उन्होंने अवेल नहीं किया। मेरा निवेदन यह है कि उनकी आपत्ति प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय होती तब आप सुनिश्चित करते। आप ही की व्यवस्था है कि एक बात.....

श्री उपाध्यक्ष—

ग्राह्यता के बारे में नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आज इसको लिया जाय। इस के लिए नियमों का निलम्बन कर.....(व्यवधान) (शोर) आप बैठें। लिखा नहीं जायगा। कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हैं। श्री कालीचरण.....

•श्री काली चरण (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, जिस 108 के अन्तर्गत चर्चा माननीय सहरा जी ने की है मैं केवल उसी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष सदन की कार्य की स्थिति पर विचार

•वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काली चरन]

करने के बाद ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेंगे जिसका उन्होंने हवाला दिया है आज जो काम होने हैं उनको आपने कार्य सूची में नियत कर दिया है। या तो यह सदन उन कार्यों को समाप्त करने के लिये अपनी सम्मति दे या आप अपने किसी अधिकार का प्रयोग करके उन कार्यों को समाप्त कर दें तब तो यह बात आज आ सकती है। अन्यथा नहीं। आपने अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी दूसरे दिन जितना समय उचित समझें उसे नियत कर दें तभी यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रकार बिना नियमों को निलम्बित किये कोई भी चर्चा आज इस प्रस्ताव पर माननीय सेहरा जी नहीं कर सकते हैं।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन, आप देखें कि नियम 103 में प्रस्ताव आते हैं उसकी एक प्रक्रिया है कि आपको सूचना दे दी जाती है। आप उसे स्वीकार करते हैं। आपने स्वीकार भी कर ली है। वह सूचना फिर कार्य मंत्रणा समिति में जाती है और उसके लिये समय घोषित होता है और उसका फिर कार्य सूची में समावेश होता है। अगर वैसा न हो फिर नियम 311 में नियमों के निलम्बन की प्रक्रिया है जैसे एक-दो बार यहाँ करने की कोशिश की गयी। इन सब बातों को देखते हुए गुलाब सेहरा जी को चाहिये था कि पहले ऐसा प्रस्ताव ले आते। फिर आज अन्तिम दिन है। वह प्रस्ताव ले भी आते। आज आप उसे ले नहीं सकते थे बिना नियमों के निलम्बन के। लेकिन उसमें एक अधिकार इस सदन को आज नहीं मिल पाता। बिना दिमाग लगाये हुए हम इसमें संशोधन आज नहीं दे सकते थे। संशोधन का अधिकार हमको है, 24 घंटे के लिये हमको चाहिये। इसीलिये कार्य सूची में आप देते हैं हम क्या संशोधन करेंगे। एजेंडे में वह आया नहीं। अब गुलाब सेहरा जी ने दो दिन का तर्क दिया--एक भंग होने के बारे में, दूसरा मतदाता सूची ठीक करने के बारे में। दोनों दिन की कार्य सूची में वह बात लिखी थी, यह नहीं हुआ था कि उसी दिन की कार्य सूची में आपने स्वीकार किया था। आज के कार्यक्रम में बिना सदन की इच्छा के, बिना नियमों के निलम्बन के यह कदापि नहीं लिया जा सकता। नियम 313 में आपको शक्ति प्राप्त है लेकिन यह ऐसा विशिष्ट कार्य नहीं है जिसके लिये आप उसका इस्तेमाल करें। यह अनावश्यक है। फिर एक बात यह है कि अभी इस रिपोर्ट का ब्योरा भी नहीं आया है। हमारे पास कोई चीज नहीं है तो फिर हम क्या बहस करें? अखबार के बेसिस पर बहस करना मेरी समझ में नहीं आता, न वह विशेषाधिकार का प्रश्न ही है। इसलिये आज इसे कदापि नहीं लेना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मैं यह महसूस कर रहा हूं कि इस प्रश्न पर आपने चर्चा करने की स्वीकृति दे दी है और आपने इसे ग्राह्य कर लिया है और उसकी घोषणा भी आपने सदन में कर दी। जब घोषणा हो गयी तो 314 को आप देखें। मिश्र जी ने 313 तक तो पढ़ा है लकिन 314 छोड़ दिया। 314 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस रिजोल्युशन के सम्बन्ध में आप समय दे देंगे, घोषणा कर देंगे तो उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आपन जब घोषणा कर दी, इसे ग्राह्य कर लिया तो फिर 314 के मातहत इसे आपके सामने आ जाना चाहिये। फिर तो आप सुप्रीम हो गये। चर्चा होने दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, आपने इसको ग्राह्य किया। मुझे इस पर आपत्ति नहीं जैसा कि श्री रियासत जी ने कहा नियम 314 में आपके विनिश्चय में कोई आपत्ति नहीं हो सकती जब आपने ग्राह्य कर लिया। तो नियम 103 में जिसको कहते हैं "नो डेट प्रस्ताव" कोई तारीख नहीं है। 103 में आपने 20 प्रस्ताव स्वीकार किये। अगर माननीय सेहरा जी की तरह से प्रत्येक प्रस्ताव को लेकर खड़े हो जायें तो मैं समझता हूं कि सारा समय उस पर लग जायेगा। नियम 108 में लिखा है कि अध्यक्ष विनिश्चय करेंगे—एक या दो दिन नियत कर सकेंगे। विनिश्चय में यह है कि अध्यक्ष कार्यमंत्रणा समिति के सम्मुख रखते हैं। आपने इसको ग्राह्य कर लिया है। माननीय सेहरा जी और राकेश जी, नियमों के भिज्ञ है। उनकी कठिनाई मैं समझ सकता हूं। वे चाहते हैं कि नियम हो या न हो कम से कम हम अपनी बात तो कह ही दें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने इसको ग्राह्य कर दिया और श्री सेहरा ने इसके गुण दोषों पर चर्चा की है तो उनको इस सदन की कार्यवाही से निकाल ना चाहिए क्योंकि ब स की आज्ञा आपने नहीं दी। उन्होंने नियम 110 के अनुसार किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव भी नहीं रखा। तब आप नियम 108 के अनुसार समय निर्धारित कर सकेंगे। तब हमको अधिकार होगा कि हम यह कहें कि इस बहस को स्थगित किया जाय। श्रीमन्, उसके बाद यह देखना होगा कि जिस रिपोर्ट के बार में कहा जा रहा है, वह रिपोर्ट भी यहाँ पर नहीं है जिसको कहते हैं घोड़े के आगे गाड़ी। यही वे कर रहे हैं। अखबारों में छपी खबर को इस तरह से नोटिस में नहीं लिया जा सकता है। अगर उस पर बहस होती तो हमारा अधिकार यह होता कि जब तक रिपोर्ट नहीं आयी. . . . . (व्यवधान) आपने इसको ग्राह्य कर लिया है, ठीक किया है। लेकिन गुलाब सेहरा पहले नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव लावें।

***डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—**

मान्यवर, यह बड़े आश्चर्य का विषय ह कि माननीय नेता सदन हमारे बुजुर्ग हैं और जानकार हैं। 108 नियम के अन्तर्गत आपको एक दिन का समय निश्चित करने का अधिकार है। मैं नियम 314 इसलिए नहीं कहता कि आपके विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। मान्यवर, आपकी रूलिंग में नेता सदन बहस करें, मैं यह भी नहीं चाहता क्योंकि आप भी अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने कहा कि नियम 108 निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। इसमें किसी सापेक्षता की आवश्यकता नहीं है। मैं यह नहीं जानता कि कहाँ क्या है लेकिन इतना जानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का जनमानस बहुत विक्षुब्ध है और मैं चाहता हूं कि इस पर आप 1/2 घंटे का समय चर्चा के लिये दें।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

आज तो असरकारी दिवस है और उसमें मेरा संकल्प है, अगर यह होता है तो मैं उसको वापस ले लूंगा, लेकिन आप चर्चा के लिये समय दे दें।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मान्यवर, यह कैसा प्रस्ताव है? किसी भी प्रस्ताव पर जब हम विचार करते हैं तो उसके लिए दो चीजों की मांग हम कर सकते हैं। एक तो यह कि उससे सम्बन्धित सामग्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम दत्त पालीवाल]

हमारे पास होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि इस पर आज विचार करने के लिय, नियमों का निलम्बन करना ही पड़ेगा। तो यदि गुलाब सेहरा साहब चाहें तो सदन से नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव स्वीकार करा लें। वर्ना नहीं होगा। इस सम्बन्ध में हम को संशोधन देने का समय भी होना चाहिये जिस पर हम संशोधन देंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

आप नियम 23 देखें "असरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय नियतन (1) प्रत्येक शुक्रवार को दो बजे अपरान्ह से पाँच बजे अपराह्न तक असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायगा और जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें उसको सरकारी कार्य पर अग्रेता प्राप्त होगी ।

(2) जब अध्यक्ष ने उपनियम (1) के अन्तर्गत पूर्वोक्त रीति से अन्यथा निदेश दिया हो तो वह सदन-चेता से परामर्श करके असरकारी सदस्यों के कार्य के लिए किसी सप्ताह में कोई अन्य दिन नियत कर सकेंगे।"

तो इस समय अगर हम इसको लेते हैं तो नियमों का निलम्बन आवश्यकीय है जैसा कि कालीचरण जी ने कहा। लेकिन आज कार्य समाप्त होने के बाद अगर हम लेते हैं तो नियम 108 में अध्यक्ष को अधिकार है। तो मैं सेहरा साहब से कहूंगा .....

श्री गुलाब सेहरा––

इससे पहले दो प्रस्ताव आ चुके हैं उसमें कोई निलम्बन का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

श्री उपाध्यक्ष––

तो वह मैंने सदन की कार्यवाही के बाद रखा। आज भी मैंने कहा....

श्री गुलाब सेहरा ––

इससे पहले दो प्रस्ताव आ चुके हैं .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

आप गुस्से में बात कर रहे हैं। मैंने यह निर्णय दिया कि इस समय अगर आना है तो नियमों का निलम्बन आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर आपत्ति उठाई गई है। लेकिन समय समाप्त होने के बाद मैं इजाजत देता हूं तो उसमें नियमों के निलम्बन की आवश्यकता नहीं है। यह मैंने बहुत अच्छी तरह देख लिया है। दो में से एक चीज तय कर लें। अगर इसी समय लाना है तो नियमों का निलम्बन अवश्य कराना होगा। उसके लिए आप प्रस्ताव लायें म सदन की राय के लिये उसको उपस्थित कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––

आप बोल रहे हैं और गुलाब सेहरा साहब खड़े हैं.....

श्री उपाध्यक्ष––

अगर इस समय डिसकशन चाहते हैं तो नियमों का निलम्बन आवश्यकीय होगा अन्यथा मैं इसको जैसा दो प्रस्तावों में कर चुका हूं, सदन की आज की कार्य सूची समाप्त होने के बाद लूंगा।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

बहुमत के प्रभाव से दो प्रस्तवों को पास किया जा चुका है नियमों को बलाएताक रख कर ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने निर्देश दिया है कि सदन का कार्य समाप्त होने के बाद यह लिया जायेगा ।

श्री गुलाब सेहरा—

नियमों को निलम्बित करने की बात करना औचित्यपूर्ण नहीं लगती । इससे पहले आप ले चुके हैं . . . .

श्री उप्राध्यक्ष—

आप दो में से एक रास्ता तय कर लें ।

श्री गुलाब सेहरा—

इससे पहले आपने यह नहीं किया । निलम्बन का प्रस्ताव नहीं रखा गया और सदन में चर्चा हुई तो इस पर वह क्यों लागू होता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आज की जो कार्य सूची है उसके पूरा होने के बाद इसको ले लूंगा तब निलम्बन की आवश्यकता नहीं. . . . . .

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

आज सदन का आखिरी दिन है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

फिर आप नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव लायें (व्यवधान) आपने इसको समझा नहीं । इसी समय चर्चा चाहते हैं तो नियमों का निलम्बन आवश्यकीय है ।

(शोर के मध्य)

श्री अरुण कुमार—

मथुरा के माननीय सदस्य शर्मा जी बैठे हैं । स्थिति साफ हो जायेगी । इस पर चर्चा करवा लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह प्रस्ताव अगर इस समय लाते हैं तो नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव आपको लाना होगा । सदन की अनुमति आवश्यकीय होगी । अन्यथा नियम 108 के अन्तर्गत आज के कार्य के बाद कार्य सूची में रखे जाने का निर्देश दिये देता हूं ।

श्री अरुण कुमार—

व्यवस्था की बात आप तय कर लें । लेकिन वैद्यलिंगम रिपोर्ट पर चर्चा जरूर करवाई जाय ।

डाक्टर अश्विनी कमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

हम आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए आपकी आज्ञा के सामने नमन करते हुए केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे कुछ मित्र यहाँ पर हंसमुख हो गये हैं, प्रश्न

[डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

बहुत गम्भीर है। आज देश के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास में यह पहली चीज है कि दल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री की पत्नी ने किसी के ट्रांसफर में घूस ली हो।

(व्यवधान)

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आरोप है। आरोप लगाना अनुचित है। आज के कार्य के बाद यह प्रस्ताव लिया जायगा यह निर्देश दे रहा हूँ।

(डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी कुछ बोलते रहे जो बिलकुल सुनाई नहीं दिया।)

एक सदस्य—

यह कार्यवाही का अंग न माना जाय यह आक्षेप है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आक्षेप किया होगा तो देखकर निकाल दूंगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

कोई आक्षेप नहीं है। आयोग की रिपोर्ट है। निश्चित रूप से ट्रांसफर में घूस ली।

एक सदस्य—

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आक्षेपात्मक शब्द होंगे वह कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे। आज के कार्य के बाद है, जो आपका प्रस्ताव है उसे कार्य सूची में शामिल किये जाने का निर्देश तो है।

श्री अरुण कुमार—

मेरा विनम्र निवेदन है कि इस आयोग की स्थापना जनता पार्टी के शासन काल में प्रधान मंत्री ने की थी। आज जनता पार्टी के लोकदल के सारे सदस्य मौजूद हैं। आज उस रिपोर्ट के आधार पर, उस मान्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। यह इतना घटिया काम है। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन की छवि जनता में धूमिल हो रही है। यह बात पूरी तरह से साफ हो जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य मंत्री जवाब दे देंगे बात साफ हो जायगी। वैद्यलिंगम आयोग की स्थापना जनता पार्टी के शासन में प्रधान मन्त्री के द्वारा की गयी है। आज उस मान्यता को स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री अरुण कुमार आप बिना इजाजत बोल रहे हैं।

श्री अरुण कुमार—

वह न्याय और प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा, यह न्याय पर कुठाराघात है।

(शोर के बीच कई सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग क्या चाहते हैं? मैंने निर्देश दे दिया आज का काम समाप्त होने के बाद इसे हम ले लेंगे। (कई सदस्य एक साथ बोलने लगे) कोई बात समझ में नहीं आ रही है। आप सुन लें। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा इतना शोर हो रहा है कि किसी की

बात समझ में नहीं आ रही है आप कृपया बैठ जायं। अगर आप बराबर बोलते जायेंगे तो सदन को फिर स्थगित करना पड़ेगा।

(घोर व्यवधान)

व्यवस्था के प्रश्न पर भी कोई बोलता है और अगर कई सदस्य साथ साथ बोलते हैं तो कैसे उसे सुना जा सकता है? आपके ही दल के लोग बोल रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, जनतन्त्र की हत्या हो गई है और आप कहते हैं कि इसको नहीं लेंगे। (व्यवधान)..... आज सदन नहीं चलेगा, यदि आपने उसको नहीं लिया। चाहे डंडा चले या आप गोली चलाएं।...

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या एक आदमी पर निर्भर है कि वह सदन न चलने दें?

(व्यवधान)

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

आपने मुझे समय दिया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इस विषय को लेकर पूरे देश और प्रदेश में एक राजनीतिक पृष्ठभूमि बन गई है.... (व्यवधान).....माननीय, जहां तक नियमों की बात है आप पूर्णतया सक्षम हैं। आपने कहा है कि दिन की कार्यवाही होने के बाद हम समय दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी से समय फिक्स कर दें— तीन बजे अथवा साढ़े तीन बजे.....

श्री उपाध्यक्ष—

आज का कार्य समाप्त होने के बाद समय देंगे। जो हमने निर्णय लिया है इसमें नेता सदन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति होती तो वह कहते।

श्री अरुण कुमार—

इस पर चर्चा हो जाना नितान्त आवश्यक है। जो भी अभियुक्त हैं और जिन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रशासन में दखल दिया है, उनको सजा मिलनी ही चाहिए।

श्री बनारसी दास—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही का संचालन नियमानुसार ही हो सकता है। कांग्रस (आई0) के जो सदस्य हैं, जैसा अभी मंजूर साहब ने कहा—हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे, तो यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध और इस सदन का भी अपमान है। जब तक कोई नियम न हो और इसमें 103 में आपने इसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कल 2 प्रस्ताव लिये गये। उस प्रस्ताव को लेने से पहले आपने स्वयं पूछा था कि हम इस पर बहस करें। तो आपने सदन का कांसस लिया। तो अब सेहरा जी को क्या आपत्ति है कि वह नियमों को निलंबित करने का प्रस्ताव यहां रखे।

श्री गुलाब सेहरा—

कल दो केस लिये गये। जब दो प्रस्ताव लिये गये और निलम्बन का कोई प्रस्ताव नहीं आया तो इसी में क्यों?

श्री उपाध्यक्ष—

काम के बाद ही तो रखा गया था, बाद में कार्य सूची का कार्य समाप्त होने के बाद रक्खा गया था।

श्री बनारसी दास—

इस प्रस्ताव को आपने ग्राह्य किया, लेकिन मैं माँग करता हूं कि इस पर कोई बहस ही नहीं हो सकती है, जब तक उक्त रिपोर्ट हमारे पास न हो। आप किस आधार पर यहाँ बहस कराना चाहते हैं ? इसमें जो, आप माननीय सदस्य कहना चाहते हैं, उसक बारे में तो स्वयं चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि प्रधान मंत्री जी प्रासीक्यूशन करें। तो आप संस्तुति क्या करेंगे ? अभी यह रिपोर्ट हमारे पास नहीं हैं। इस पर बहस को आपने ग्राह्य अवश्य किया, लेकिन मान लीजिए नियम निलम्बन हो जाए और चर्चा हो, तो उस पर औचित्य का प्रश्न रखने का हमें पूर्ण अधिकार हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक उस पर विचार न किया जाय। आप सदन का मत लेंगे तो मैं कहता हूं कि अगर इसी से उनका फैसला करना है वह इस प्रश्न को रखें, मान लीजिये नियम आपने निलम्बित कर दिया तो फिर मेरी आपत्ति हैं कि वह रिपोर्ट रखी जानी चाहिए। आप किसी को कंडम्न करना चाहते हैं यह इस सदन के लोगों का अपमान हैं। जो मेटेरियल हैं वह क्या हैं, वह रिपोर्ट क्या है, उसकी प्रति आपके पास हैं, तो कहें श्री गुलाब सेहरा आपके पास रिपोर्ट रख दें। मुझे भी रिपोर्ट दिखा दी जाय तो मैं कहूंगा कि बहस हो जाय, रिपोर्ट आप ले लीजिए।

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय मुख्य मंत्री जी जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने बतौर स्पीकर स्वीकार किया था। यह प्रस्ताव 28 दिसम्बर, 1978 का है। शाह आयोग की रिपोर्ट नहीं आयी थी फिर भी उस पर चर्चा हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको मैंने देख लिया है। 2–3 मामले पहले हुए हैं। शाह आयोग वाले के अलावा एक और प्रस्ताव आया है। उसमें रिपोर्ट नहीं आयी थी, लेकिन जहाँ तक इस प्रस्ताव को रखने की बात ह, जब तक नियमों का निलम्बन न हो, तब तक इसी समय लिया जाना स्वीकार नहीं हो सकता है। इसको सदन के कार्य के बाद रख सकते हैं, जिसकी इजाजत दे दी ह। अब हम आगे चलते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, आपने इसको ग्राह्य किया है और समय भी दे दिया है। जब आपने समय दे दिया है उसके बाद भी यह इस समय चाहते हैं। तो नियमों का निलम्बन आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको तो मैंने कह दिया है।

श्री गुलाब सेहरा—

प्रस्ताव के बारे में क्या होना है ?

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य सूची के बाद लेंगे।

श्री मन्जूर अहमद—

हाउस उठने वाला है और फिर चलने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप चलाना चाहते हैं तो चल सकता है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

आप लोग बैठिए। शान्ति रखिए। श्री मन्जूर अहमद, आप कृपया बैठिए।

(श्री मन्जूर अहमद के खड़े रहने पर)

आप कृपया बैठ जाएं। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, आज यह सदन उठने जा रहा है और फिर चलने वाला नहीं है। इसलिए मेरी आप से दरख्वास्त है कि .....

(व्यवधान)

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि—

"यह सदन संस्तुति करता है कि वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों को केन्द्र सरकार तत्काल दंडित कराने की व्यवस्था करें।

(अत्यधिक शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इसके ऊपर निर्णय ले लिया है।

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे जो सुनाई नहीं पड़ा)

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, आज यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बज कर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः स्थगित हुई। 2 बज कर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा कि मैंने पहले निर्णय लिया था, आज सदन की कार्यवाही के बाद श्री गुलाब सेहरा जी का प्रस्ताव लिया जायेगा। (व्यवधान) अगर 4 बज सारा काम समाप्त हो जाता है तो 4 बजे लिया जा सकता है, नहीं तो 5 बजे काम समाप्त होने पर लिया जायेगा। कार्य सूची में 21 आइटम के बाद 22 वाँ आइटम यह रख दिया जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

समय निश्चित कर दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष —

एक घंटा इस पर चर्चा होगी।

दिनांक 8 जून, 1979 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में संशोधन वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खाँ)—

दिनाँक 8–6–79 को श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये ताराँकित प्रश्न संख्या 1 के संदंध में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य; विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न म पूछा था कि माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में क्या यह सही है कि

[श्री मोहम्मद मसूद खां]

श्री राजेन्द्र नाथ ने चकबन्दी विभाग तथा राजस्व विभाग में मिलाकर कुल लगभग 20 वर्ष तक लेखपालों के पद पर कार्य किया है तथा राजस्व परिषद् के आदेश संख्या 8121–71–14–181/77, दिनांक 4–6–77 के द्वारा रेगुलर लेखपाल पदों पर छटनीशुदा लेखपालों को ही खपाये जाने के स्पष्ट आदेश हैं ? यदि हाँ, तो इस मामले में इस शासनादेश को न लागू करने का क्या कारण है ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मान्यवर, अगर एक लेखपाल की जगह पर दूसरा रखा जाता है और वह टेम्पोररी होता हैं और अगर चकबन्दी में कोई लेखपाल है उसका 3 या 3 साल से अधिक का अनुभव है तो उसको प्रशिक्षण से मुक्त कर देते हैं ।"

उक्त उत्तर ीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है:—

"मान्यवर, अगर एक लेखपाल की जगह पर दूसरा रखा जाता है अगर वह टेम्पोरेरी होता है और यदि कोई अप्रशिक्षित चकबन्दी लेखपाल चकबन्दी विभाग में 3 वर्ष या इससे अधिक अवधि तक कार्य कर चुका हो और उसका कार्य संतोषजनक रहा हो तथा वह सहायक संग्रह अमीन या मुहर्रिर के पदों पर नियुक्त किया गया था और उसकी छटनी कर दी गयी हो तो वह प्रशिक्षित माना जायेगा । "

इसी क्रम में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में यह भी पूछा था कि श्री राजेन्द्र नाथ, ने 15 वर्ष तक चकबन्दी लेखपाल की हैसियत स काम किया और 5 वर्ष तक राजस्व विभाग में काम किया। श्री परशुराम ने केवल चकबन्ी विभाग में 3 वर्ष काम किया है। अगर मुकाबिले का सवाल था तो वह 20 वर्ष की सेवा कर चुके हैं और वह 3 वर्ष की सेवा किये हैं तो 20 साल वाले को प्रशिक्षित न मानकर 3 साल वाले को प्रशिक्षित माना गया, इसका क्या कारण है ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "माननीय सदस्य ने जो नाम लिया है शायद राजेन्द्र प्रताप, इनका नाम तो आपके सवाल में कहीं पर है नहीं जिससे मुझे जानकारी होती, ज्योतिष से ज्ञान हो जाता । खैर, सुरेन्द्र नारायण एक परमानेन्ट लेखपाल अवश्य था और मेरी जानकारी में शुरू में एक साल 6 महीने का चार्ज मिला था और जिस समय सुरेन्द्र नाथ की मृत्यु हो गयी उसके बाद जो चकबन्दी में लेखपाल श्री परशुराम थे और जो 3 साल तक काम कर चुके थे उनको रखा गया था। अगर माननीय सदस्य की जानकारी है कि 20 साल किसी को हो गये हैं तो वह उसकी सूचना मुझे दें और मैं स्वयं इसकी तहकीकात करूंगा ।"

'उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है:—

"माननीय सदस्य ने जो नाम लिया है शायद राजेन्द्र प्रताप, उनका नाम तो आपके सवाल में कहीं पर है नहीं जिससे मुझे जानकारी होती, ज्योतिष से ज्ञान हो जाता। खैर, सुरेन्द्रनारायण एक परमानेन्ट लेखपाल अवश्य है । मेरी जानकारी में शुरू में एक साल छः महीने का चार्ज मिला था और जिस समय सुरेन्द्र नारायण की मृत्यु हो गयी उसके बाद श्री परशुराम जी चकबन्दी विभाग के छटनी शुदा प्रशिक्षित लेखपाल थे, उनको रखा गया था । अगर माननीय सदस्य की जानकारी है कि 20 साल किसी को हो गये हैं तो वह उसकी सूचना मुझे दे दें । मैं स्वयं उसकी तहकीकात करूंगा ।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 1149 पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1980†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा स उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

यह आज नियम 56 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्रीमती मालती शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने गुड़ तथा खांडसारी को प्रदेश के बाहर निर्यात करने पर रोक लगा दिये जाने के कारण गन्ने के मूल्य में गिरावट होन के सम्बन्ध में दिया है। इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री विचार करेंगे और इस पर आज ही वक्तव्य देंगे।

श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, इसके बारे में दो मिनट सुन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

पहल वक्तव्य आ जाने दीजिए।

श्रीमती मालती शर्मा--

तो यह वक्तव्य आज ही दिला दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरी सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री त्रिवेनी सिंह, श्री श्री नारायण, श्री विश्वनाथ पाँडेय, श्री विद्याशंकर, श्री श्याम देव, श्री रामफर श्री श्यामदत्त पालीवाल न सहकारिता विभाग में एक जाति विशेष के अभ्यर्थियों को वरीयता देन के सम्बन्ध में दिया ह, मैंने इसको अस्वीकार किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन ह.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम 301 में उठाया जा चुका ह, तो इसको मैं अस्वीकार करता हूं। शेष दो सूचनाएं भी अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

डा0 अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, 'राकेश' नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा समाप्त की जाती है।

(श्री विश्वनाथ पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

---

†दिनाँक 13 फरवरी, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशष्ट में छपा है

श्री ऊदल द्वारा दी गयी नियम 51 की सूचना स्वीकार होने के उपरान्त आज की कार्य-सूची में छाप जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आज के एजेंडे को मैंने देखा, नियम 51 के अन्तर्गत एक प्रश्न मैंने दिया था, आपने उसको आज के लिए स्वीकार किया था वक्तव्य देने के लिए और उस एजेंडे में श्रीमन्, छपा नहीं है और आज सम्भवतः सदन उठ रहा है, श्रीमन्, वह बहुत महत्वपूर्ण मामला था, अगर उसका वक्तव्य आज दिलवा दें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कल माननीय मंत्री की तरफ से इस बारे में सूचना आई थी कि वह तैयार नहीं हो पाया है, तो वह मैंने 11 के लिए दिया था, लेकिन मैं शासन से कहूंगा कि यदि सूचना उपलब्ध हो गयी हो तो आज सदन उठने से पहले दे दें।

राज्य में कक्षा 6 से 8 तक के लिए त्रिभाषा फार्मूले में संस्कृत भाषा के अनिवार्य रूप से रखे जाने के सम्बन्ध में संकल्प

*श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस राज्य में कक्षा 6 से 8 तक के लिए त्रिभाषा फार्मूले में संस्कृत अनिवार्य रूप से एक भाषा रखी जाय। मान्यवर, इस बात को छिपाया नहीं जा सकता कि संस्कृत भाषा के साथ मौजूदा सरकार ने घोर अन्याय किया है। अभी कुछ दिन पूर्व इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है कि हम इस नीति पर पुनः विचार करेंगे। मान्यवर, प्रश्न यह है कि संस्कृत को हटाया गया किन परिस्थितियों में प्रश्न इस बात का है। चुनाव के ऐन मौके पर किसी विशेष समुदाय का वोट प्राप्त करने के लिये संस्कृत एसी भाषा के साथ खिलवाड़ किया गया। इस सरकार ने संस्कृत ऐसी उच्च और मान्यता प्राप्त भाषा को अपने चुनाव का हथियार बनाया यह एक लज्जा का विषय है।

मान्यवर, संस्कृत हमारी आदि भाषा है। जहाँ भारत का नाम आता है वहीं संस्कृत का नाम आवश्यक हो जाता है। आजादी आने के तुरन्त बाद हमारे उन नेताओं ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन लोगोंने आजादी की प्राप्ति के तुरन्त बाद संस्कृत को बढ़ाने का अनेक प्रयास किया, उसके लिये अनेकों योजनायें बनी। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने इसके लिये विश्वविद्यालय की स्थापना किया था प्रदेश में और संस्कृत प्रमी लोगों के मन में इस बात का विश्वास बढ़ा कि वह संस्कृत जिसके आधार पर हमारा वश जिन्दा ह जिसे हम इस देश का प्राण कह सकते हैं, उसको पुनः बढ़ावा मिलने का अवसर आया है और यह बात भी सही है कि इसके पहले की सरकार ने भी संस्कृत को बढ़ाने का काम किया था। मान्यवर, काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिम से लेकर पूरब तक हिन्दुस्तान के हर प्रान्त में संस्कृत की मान्यता है। इसमें कोई दो राय नहीं है संस्कृत भाषा में वास्तविक भारत का चित्र छिपा है। हम सबको पता है हर देश अपनी संस्कृति और इतिहास तथा सभ्यता के ऊपर जीवित रहता है।

मान्यवर, संस्कृत एक ऐसी भाषा जो न केवल ज्ञान देती, न केवल बुद्धि देती है, बल्कि उससे हमें अपनी संस्कृति का आभास होता ह। इस संस्कृत ऐसी पुनीत भाषा के साथ मौजूदा लोक दल की सरकार ने अपने चुनाव के मौके पर अपने किंचित स्वार्थ के कारण अन्याय किया है। यह एक निन्दा का विषय है। मान्यवर, अंग्रजों के बाद अंग्रेजी राज्य के बाद मैंने पहले बताया कि संस्कृत की तरक्की की योजना बनी। कोई काम करने का तरीका अगर गलत हो, लेकिन दृष्टिकोण उसका सही हो, यह हो सकता है अगर दृष्टि-

(इस समय 2 बज कर 47 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोण गलत हो तो बहुत से कामों के करने का तरीका भी अच्छा हो सकता ह । लेकिन मान्यवर, दुख का विषय तो यह है कि संस्कृत को हटाने के दृष्टिकोण भी गलत हैं और तरीका भी गलत है । मान्यवर, मैं इसकी निन्दा करता हूं और मौजूदा सरकार से माँग करता हूं कि यह सरकार अपने द्वारा की गई गलतियों पर पुनर्विचार करें और संस्कृत को पहले की तरह से 6 से 8 तक की पढ़ाई में त्रिभाषा फार्मूले में शामिल करें।

मान्यवर, जैसा हम सब को पता है कि शिक्षा संस्थाओं में आये दिन अनेकानेक आन्दोलन हो रहे हैं, जिससे सारा समाज दूषित हो रहा है । इन्हीं बातों क आधार पर शिक्षा सस्थाओं में एक नये आन्दोलन क बीच इस सरकार ने एक नया कदम उठाया है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मौजूदा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार ने इस पर पुनर्विचार न किया तो संस्कृत के सवाल पर इस प्रान्त में एक तूफान उठ खड़ा होगा । जिस तूफान स यह सरकार तो बहगी ही, पूरा समाज इससे अस्तव्यस्त हो जायेगा । इस संबंध में मेरा निवेदन है कि सरकार अपनी की गयी इस गलती के कार्य को, और गलत नीतियों की ओर पुनः विचार करें । मान्यवर, कितना माखौल है संस्कृत भाषा के साथ । मेरा किसी भाषा स विद्वष नहीं है । हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है कि इसमें अनेकानेक भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने 10 की जगह हिन्दी के साथ 25 नम्बर कर दिये हैं । अभी तक तो हम लोग जानते थे कि संस्कृत हमारी मातृ-भाषा ह और बाकी सब भाषाएं, हिन्दी व अ य भाषाएं इसी संस्कृत भाषा से निकली हैं ।

इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है और आपके माध्यम से कि मैं उपस्थित सभी माननीय सदस्यों सें निवेदन करूंगा कि वे सभी इस संकल्प को स्वीकार करें कि इस राज्य म कक्षा 6 से 8 तक के लिए त्रिभाषा फार्मूले में संस्कृत अनिवार्य मानी जाए । कुछ लोगों का कहना है कि संस्कृत लोग रुचि से नहीं पढ़ते । लकिन मान्यवर, यदि लोग इसे रुँचि से नहीं पढ़ते तो इसमें भी सरकार की खामी है, क्योंकि इसे रुचिकर नहीं बनाया जा रहा है कि लोग इसमें रुचि लें। इसलिए इस संकल्प को पुनः दोहराते हुये इस सरकार से माँग करता हूं कि यह सरकार इस संबंध में अपने दृष्टिकोण बदलकर, जैसे पूर्व में था, घोषित करें तभी प्रान्त की जनता का कल्याण होगा तभी पूरे हिन्दुस्तान के समाज का कल्याण होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अपने संकल्प प्रति अपना मत प्रकट करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता ——

माननीय मंत्री जी आप बैठ जाएं । श्री शतरुद्र प्रकाश. . .

एक सदस्य——

यहाँ माननीय मंत्री जी कहाँ बोलने के लिए खड़े हैं ?

श्री अधिष्ठाता——

श्री शतरुद्र प्रकाश आप बोलें, मैंने पहले ही कह दिया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)——

मान्यवर, एक संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है इस भाषा के संबंध में । जो लोक सभा के चुनाव के चलते सामन आया है उससे काफी कौतूहल हुआ है और कुछ राजनीतिक आधार पर भी लाभ हानि हुई है । बनारस में भी इसका काफी असर रहा है । लोक सभा के चुनाव में भी इसका काफी असर पड़ा है । हालाँकि इससे कोई खास असर नहीं पड़ा है। जैसी कि यह भ्रान्ति फैलायी गयी कि संस्कृत को हटा दिया गया ह, मैं समझता हूं कि हटाया नहीं गया । पहले यह था कि हिन्दी अंग्रेजी के साथ-साथ एक विषय था जिसमें संस्कृत या दक्षिण भारत की किसी भाषा को ले लिया जाय उसमें संस्कृत भी थी ।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

दक्षिण भारत की भाषा में कोई कन्नड़ लेता था कोई कुछ, कोई संस्कृत। पहले हिन्दी के साथ-साथ 10 नम्बर भी रहते थे संस्कृत के, उसके अलावा भी कोई संस्कृत पढ़ना चाहें तो पढ़ सकता था। मेरी जानकारी के आधार पर जो पहले 10 नम्बर की संस्कृत थी वह अब 25 नम्बर की हो जायेगी और तीसरा विषय जो है उसमें उर्दू या दक्षिण भारत की कोई भाषा हो जायगी। अब इस सवाल को लेकर के उर्दू या संस्कृत का झगड़ा शुरू कर दे तो यह दकियानूस का परिचय हो जायेगा।

संस्कृत सभी भाषाओं का माँ हो सकती है, सबसे बड़ा साहित्य हो सकता है, सभी भाषाओं की जननी भी हो सकती है लेकिन संस्कृत जन्म भाषा नहीं हो सकती। बड़ लोगों की भाषा है, उसका साहित्य बड़ा है, शब्द कोष बड़ा है, वह ऐसी गंगोत्री है जिसमें से कई नदियाँ निकलती हैं। आम आदमी संस्कृत को जन भाषा के रूप में रोज की जिन्दगी में पढ़ता नहीं है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी संस्कृत भाषा के पढ़ने वालों की है। बनारस यूनिवर्सिटी...

एक सदस्य--

यह बनारस के रहने वाले हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शाँति रखें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

श्री मुख्तार अनीस हमारे साथी हैं। अब सीतापुर चला है बनारस का मुकाबला करने। सीतापुर में रहिये बनारस की बात न करें।

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)--

हमारे जिले को कह रहे हैं छोटा जिला है। वह सीता जी का जिला है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी को ले लीजिये वहाँ जितने छात्र हैं उतने ही अध्यापक हैं। लोग नाराज हो जायेंगे, हमारे साथी, हम चाहते हैं कि संस्कृत का विकास हो, संस्कृत को पढ़ें लेकिन जबरन न पढ़ें। अगर कहीं जबरदस्ती पढ़ाना है इसलिए पढ़ाई जाये तो बे रोजगारों की फौज तैयार हो जायेगी।

आज युग है आधुनिक विज्ञान का, युग है उत्पादन बढ़ाने का, खाली शादी कराना, मुण्डन कराना, जनेऊ कराना ही केवल नहीं है। संस्कृत को आज के समाज से जोड़िये, उपयोगिता से जोड़िये। खाली चोटी लम्बी बढ़ा कर पुष्पक विमान की चर्चा करना इससे काम चलने वाला नहीं है। संस्कृत कोई पढ़ना चाहे पढ़े। इसमें कोई गोता लगाना चाहे लगाये, उसमें डूब कर कोई मोती और सीप इकट्ठा करना चाहे तो इकट्ठा करे और प्रकाण्ड विद्वान बन कर आचार्य भीष्म और वृहस्पति की डिग्री लेना चाहे, ले लें। आज की शिक्षा से प्रगति को अगर जोड़ना है तो उसका कोई उपयोग होना चाहिये। संस्कृत का 300-400 वर्ष पुराना स्वरूप है, इसको छोड़कर आधुनिक संदर्भ में इसका स्वरूप पेश करना चाहिये। उत्तर प्रदेश की सरकार ने थोड़ी गल्ती कर दी। इनका सूचना विभाग थोड़ा सुस्त है। सूचना विभाग चाहता तो इसकी सफाई बड़ी अच्छी तरह से कर सकता था। छपा यह कि यह जो बनारसी दास सरकार है, इसके शिक्षा मंत्री कैलाश नाथ सिंह जी है, अगर फैसला नहीं हुआ तो यह इस्तीफा देने जा रहे हैं। यह बात उड़ाई गई कि सरकार संस्कृत को हटाकर उर्दू को लादने जा रही है। यह सफाई, अगर सरकार कर दे कि न तो संस्कृत हटाई

गयी और न ही उर्दू को लादा गया। जो संस्कृत के साथ-साथ दक्षिण भारत की किसी भाषा का प्राविधान था वैसा ही कर दें कि अगर कोई संस्कृत पढ़ना चाहें तो पढ़े, उर्दू पढ़ना चाहे पढ़े, दक्षिण भारत की भाषा पढ़ाना चाहे तो पढ़े। यह तो हुआ नहीं। यह तस्वीर सामने रखी गयी कि उर्दू बनाम संस्कृत की लड़ाई हो गयी। यह सफाई हो जाय तो मैं समझता हूं कि यह झंझावात, यह विरोध न हो। मैं पाण्डे जी से कहूंगा कि वह उर्दू विरोधी नहीं है, संस्कृत के समर्थक हैं। संस्कृत के समर्थन का मतलब उर्दू का विरोध नहीं है, हिन्दी के समर्थन का मतलब उर्दू का विरोध नहीं है। हम सारे लोगों को इस सवाल पर जो साम्प्रदायिक झगड़े होते हैं उनको दबाना चाहिये। मैं कैलाशनाथ जी से चाहूंगा कि वह इसमें अगुवाई करें। आप संस्कृत भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं। जो भाषाओं का मेल है, भाषाओं की महत्ता है उसको समझते हुए उर्दू और संस्कृत के विरोध को समाप्त करना चाहिये। कोई उर्दू पढ़ना चाहें उर्दू पढ़े, संस्कृत पढ़ना चाहे संस्कृत पढ़े। उर्दू को मजहब के लिये न उठायें संस्कृत हमारा धर्म नहीं हो गयी। धर्म और मजहब, उर्दू और संस्कृत इन बातों को लेकर लड़ते चलेंगे तो लोकतंत्र कहाँ जायेगा।

(इस समय 3 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

वाराणसी संस्कृत का गढ़ है। करीब 400–500 पाठशालायें होंगी। वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय भी हैं। मोहल्ले-मोहल्ले में संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। वाराणसी के आम आदमी को ठेस पहुंची है। मैं यह चाहता हूं कि यह जो गलतफहमी फैली है, इस गलत फहमी को दूर किया जाय। आज संस्कृत, उर्दू और जो अन्य भाषाओं का समर्थन करने वाले लोग हैं, इन सारे लोगों को एक जगह बुला कर विचार करें, सकल्प प्रस्तुत करने वाले को भी बुलायें जिससे एक निष्कर्ष निकाला जा सके। और इसमें कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय जिससे न उर्दू वालों को ठस पहुंचे, न हिन्दी वाले को ठेस पहुंचे और न जन भाषा को चलाने वालों को ठेस पहुंचे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस संकल्प को वापस ले लेना चाहिये। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जल्दी ही बैठकर सारे लोग इस संबंध में कोई फैसला करें।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता—

मानसिंह जी, जरा आप बैठें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह बड़ा अहम प्रश्न है। शिक्षा मंत्री जी बैठे है, उचित होगा कि सदन के सामने यह जो विषय है, इसमें पहले मौजूदा पालिसी क्या है, विशेष बातें क्या हैं वह माननीय मंत्री जी सदन के सामने रख दें तो डिबेट चलने में आसानी होगी।

श्री मान सिंह आजाद—

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं। इस विधान सभा में यह जो चर्चा चल रही है मुझे यह नही मालूम हो रहा है कि चुनाव में अपनी गद्दी बचाने के लिये किस-किस भाषा को इस्तेमाल करेंगे या जाति का परिवर्तन करेंगे या दलबदलू बनेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सारे लोग हिन्दुस्तान में पैदा हुये हैं। हिन्दी, उर्दू, संस्कृत सभी लोग पढ़ते हैं और सभी को पढ़ना चाहिये। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो स्कूलों में बोरिया भर किताबें भेजते हैं तो किताब में कमी करें तभी गरीब आगे बढ़ सकते हैं। माननीय चन्द्र भानु गुप्त जी थें, हिन्दी उर्दू बराबर भाषा रखी थी।

एक सदस्य—

मान सिह जी आजाद कितना पढ़े हैं।

श्री मानसिंह आजाद—

हिन्दी भाषा जो पढ़ना चाहे पढ़ायी जाय, उर्दू भाषा जो पढ़ना चाहे पढ़ायी जाय। मैं हिंदी भी बोलता हूं मैं नहीं चाहता हूं कि भाषा के कारण कोई चुनाव में गद्दी पर बैठे। जो भाषा के नाम पर जाति-पाँति को बढ़ावा देना चाहते हैं वह देश की आजादी के गद्दार हैं। मैं सभी से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि मुसलमान, हिन्दू, सिक्ख, ईसाई जो भी अपनी भाषा पढ़ना चाहें उन्हें पढ़ाया जाय। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सस्कृत सारे स्कूलों में कर दें और लाला लाजपत राय, चन्द्रशेखर आजाद इनकी कहानियाँ उन किताबों में दें।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री मानसिंह आजाद—

अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू बराबर करिये और बी0ए0 तक और मुसलमानों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिये। मुसलमानों ने देश की आजादी में जानें दी हैं। असफाकउल्ला फांसी पर चढ़ गये। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता जी, यह जो विषय है यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इससे हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीयों की जिन्दगी से इसका बहुत ही घनिष्ट संबंध है। पहले तो मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे देश की जो भाषायें हैं वह सभी विकास करें इसमें विरोध नहीं हो सकता। लेकिन किसी को धर्म से च्युत करने के लिये किसी को लालच देने के लिय घूस के रूप में कोई भी चीज दी जाय तो इससे अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है और नैतिक पतन होता है। जिस समय संस्कृत को त्रिभाषा फारमूले से हटाया गया और उसके स्थान पर उर्दू को त्रिभाषा फारमूले में लाया गया, उस समय कतई उचित नहीं था। 18 दिसम्बर, 1979 को मंत्रि मंडल की बैठक हुई उसमें निर्णय हुआ तब जबकि 3 जनवरी को आम चुनाव लोक सभा के थे। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आ गयी थी कि भाषा में परिवर्तन का प्रश्न प्रदेश के सामने या देश के सामने उठ गया हो। यदि यह होता तो सत्र जब शुरू होने को होता तो उसके 2–3 महीने पहले आवश्यकता समझते तो शिक्षाविदों से सलाह लिये होते, प्रदेश चिन्तन करता तब उसके बाद आप निर्णय लेते। इसलिये इस निर्णय से सभी लोग समझ गये कि 18 दिसम्बर को जो मंत्रि मडल ने, फैसला किया है वह केवल मतदाता को घूस देने के लिये है कि वह अपना वोट दे दें। मुझे जानकारी मिली हुआ भी ऐसा ही है कि किन्हीं प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर यह फैसला सरकार ने लिया। इसलिये यह घोर अनैतिकता का काम सरकार ने किया है। यदि नेता घूस देने लगे तो आये दिन कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं, जैसे स्थानीय निकाय, जिला परिषद् पंचायत राज, विधान सभा, लोक सभा आदि, तो आप अपनी नैतिकता को कहाँ तक बेचते रहेंगे केवल वोट पाने के लिये और वह कितने दिनों के लिये होगा।

इसलिये मान्यवर, मैं आपके मध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप गहराई से अध्ययन करें और अपने निर्णय को वापस लें। वापस लेने में कोई शर्म नहीं सरकार को आनी चाहिये। जैसे महात्मा गाँधी ने 1921 में असहयोग आन्दोलन को गोरखपुर में चौरी चौरा काँड को लेकर अपना असहयोग आन्दोलन बड़ी दिलेरी के साथ वापस ले लिया था और कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने माना कि जो ट्रेनिंग असहयोग आन्दोलन की सत्याग्रहियों को देना थी वह ठीक से मैं नहीं दे सका, इसलिये मैं इसे वापस लेता हूं। इसलिये सरकार को वैसे ही मानना चाहिये क्योंकि उसका परिणाम सामने आ'

गया है। जिस उद्देश्य से इसको लागू किया वह सामने आ गया है। इसलिये ऐसा गलत काम सरकार को नहीं करना चाहिये और प्रायश्चित स्वरूप मंत्रि मंडल विचार करके अपने निर्णय को वापस ले ले पहले की स्थिति में।

मान्यवर, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हर भाषा की जननी है। इसका जन्म कितने दिनों से हुआ है इसको कोई इतिहास नहीं बता सकता है, यह सबसे पुरानी भाषा है। भारत के किसी भी प्रदेश में संस्कृत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती ह। इसमें नैतिकता का भण्डार भरा है। शिक्षा मंत्री ने नैतिक शिक्षा का एक प्रोग्राम चलाया है। तो जिस नैतिकता का भण्डार व जननी संस्कृत भाषा है, उसको तो आपने मार दिया दूसरी भाषाओं को लेकर सस्कृत को हटाकर आपने नैतिकता का दमन कर डाला, तो भारत की जो संस्कृति है उसकी आप क्या रक्षा कर पायेंगे। उर्दू को पढ़ा कर क्या आप ऐसा ज्ञान दे पायेंगे जिससे बच्चे आगे उसका उपयोग कर सकें? मैंने भी उर्दू पढ़ी है लेकिन उसका उतना उपयोग नहीं है जितना कि संस्कृत का है। इसलिये हिन्दी की जननी जो संस्कृत है उससे जो राष्ट्र भाषा हिन्दी है उसको बल मिलता है। संस्कृत ऐसी भाषा है जिसका दुनिया में कोई भी भाषा मुकाबला नहीं कर सकती। एक बार स्वामी विवेकानन्द हिन्दुस्तान से बाहर गये तो यह भाषा विदेशों में फैल गयी। इसमें विश्वभाषा होने की क्षमता है और यह दुनिया में अपना स्थान ग्रहण कर सकती है। यह सर्वसाधारण की भाषा हो सकती है। यह मैं कहता हू कि इसे पुनः वापस लीजिए। मान्यवर, मेरा यही निवेदन आप के माध्यम से सरकार से है।

डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)---

हमारे देश में संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिये मैं माननीय पाण्डे जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिये आपके माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मान्यवर, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था उस समय चौदह भाषाओं को रखा था। उसमें उर्दू भाषा थी, संस्कृत भाषा थी और हिन्दी भाषा थी। हमारे देश के विद्वानों ने जो ग्रन्थ आज हम पढ़ते हैं सारे संस्कृत में लिखे। हमारे देश की बहुमूल्य निधि बाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गयी। ऐसी संस्कृत भाषा को त्रिभाषा फार्मूले में कक्षा 6 से 8 तक ही क्यों मैं तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसे इन्टर तक रखा जाय जिससे हमारे देश का खास कर हमारे इस प्रदेश का जो नैतिक स्तर है, वो इतना गिर गया है कि हमारे विद्यार्थी जो आये दिन हड़ताल करते हैं, आये दिन अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसमें कुछ विकास हो। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि यदि हमारे विद्यार्थी संस्कृत भाषा को पढ़ कर नौकरी में जायेंगे तो उनको नैतिक शिक्षा मिलेगी, आने वाली पीढ़ी का इससे उद्धार होगा। इसके साथ ही जो उर्दू पढ़ने वाले हमारे भाई हैं उनको उर्दू पढ़ने का मौका मिलना चाहिये। इसमें प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये कि हर व्यक्ति पढ़े।

मेरे पूर्व वक्ता ने वोटो के विषय में बातें कहीं। वोटों से इस विषय को संबंधित नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारे राष्ट्र की, अपने प्रदेश की जो माँगें हैं उसे देख कर भाषा ग्रहण करनी चाहिये। माननीय मंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं और मैं समझता हूं, हमारे मंत्री जी आर्य समाजी भी हैं। आर्य समाजी संस्कृत को जिस दृष्टि से देखते हैं वह हमारे देश में बहुत ही अनुकरणीय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूं कि त्रिभाषा फार्मूले को जरूर अपना कर संस्कृत की भाषा को कक्षा 12 तक जरूर लागू किया जाय।

[डाक्टर बंगाली सिह]

, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस भाषा को अच्छे से अच्छा स्थान देंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिह)---

मैं एक स्पष्टीकरण कर देता हूं ।

(श्री हामिद रजा खां का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कैलाश नाथ सिह---

मैं पहले स्पष्टीकरण कर दूं । माँग यह की गयी है "इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य म कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिये त्रिभाषा फारमूले में संस्कृत अनिवार्य रूप से भाषा रखी जाय ।" यह बात बिलकुल ही नहीं है । जिस तरह से भाषण हो रह हैं उनमें यह आभास हो रहा है कि त्रिभाषा फारमूले में संस्कृत को अनिवार्य करें ।

श्री अधिष्ठाता---

श्रम मंत्री जी बैठ जायं । श्री हामिद रजा खां के बाद आप बोलेंगे ।

श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)---

अधिष्ठाता महोदय, संस्कृत का मैं मुखालिफ नहीं हूं लेकिन प्रस्तावक ने जिस अन्दाज से प्रस्ताव पेश किया है उसमें उर्दू सेदुश्मनी झलकती है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो उर्दू के साथ इसाफ किया है, उ को पनपने का मौका दिया है वह काबिलें तारीफ है । आप देखे सस्कृत हिन्दी के साथ एक लाजिमी विषय है लकिन उसके साथ उसको त्रिभाषा फारमूले में शामिल करना चाहते हैं । अब उन्होंने यह नहीं बतलाया कि यह माडर्न लैंगुएज कैसे है ? यह देवताओं की भाषा बहुत पुराने जमाने से है । उसको आपने आगे बढ़ाया वह ठीक है । लेकिन उसको माडर्न कहना ठीक नहीं है । लकिन उर्दू माडर्न भाषा है । हिन्दुस्तान की जो तहजीब ह---गंगा जमुना के संगम की जो भाषा है--वह उर्दू है । उसके साथ बेंइसाफी होती रहे यह मुनासिब नहीं कहा जा सकता ।

श्री अधिष्ठाता---

उर्दू चर्चा का विषय नहीं है । संस्कृत के बारे में जो कहना हो उसकी चर्चा करें ।

श्री हामिद रजा खां---

उस प्रस्ताव की आड़ में उर्दू की मुखालिफत है, इसको फिरकेवाराना रंग दिया जा रहा है । इससे सियासी फायदा उठाने की बात कुछ लोग सोच रह हैं (व्यवधान) आप देखें कि संस्कृत के लिये 25 नम्बर हैं । उर्द के रखने से संस्कृत पर कोई असर नहीं पड़ता । भारतीय संस्कृति क्या है इसे हमारे दोस्त भूल जाते हैं । आज इस युग में नये अन्दाज हैं उन अन्दाजों को खत्म कर दिया जाय और हजारों वर्ष पुराने अन्दाज वाली संस्कृत (तहजीब) को रख दिया जाय, यह कहाँ तक मुनासिब होगा ? उर्दू में काफी ऊंचे तथा नये अन्दाज का लिट्रेचर है, उसको खत्म करना उर्दु क सेाथ अन्याय करना होगा । मैं भी सस्कृत का हामी हू, उसका मुखालिफ नहीं हू । हिन्दुस्तान की किसी जबान का मैं मुखालिफ नहीं हूं । फिर त्रिभाषा फारमूले में आप अंग्रेजी की बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन उर्दू की नहीं कर सकते यह नामुनासिब बात है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक मौका दया है, लिहाजा मैं अपील करता हूं कि आप जरा इंसाफ के तौर पर इसे देख, भावना से उठ कर देखें और भाषा के विवाद को न उठायें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

माननीय, मैं केवल एक बात कह रहा था कि इस संकल्प में माँग की गयी है कि संस्कृत को अनिवार्य रूप से तीसरी भाषा बनाने का प्रश्न है। जो बात मन्त्रि परिषद् ने की है वह कुछ और है और जो यहां संकल्प रखा गया है वह कुछ और है। मैं यह निवेदन कर दूं कि अंग्रेजी कम्पलसरी है, हिन्दी कम्पलसरी है और त्रिभाषा फारमूले में संस्कृत, उर्दू या कोई दक्षिणी भाषा ली जा सकती है। लेकिन यहाँ माँग की जा रही है कि संस्कृत को कम्पलसरी कर दिया जाय अर्थात् उर्दू ओर सारी दक्षिणी भाषाओं को हटा दिया जाय। मैं संकल्प की भाषा के बारे में बता देता हूं वैसे आप जो कहेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। यह तृतीय भाषा संस्कृत कम्पल्सरी करने का संकल्प है और अभी तक जो व्यवस्था है, उसमें संस्कृत की वापसी की बात है और उसमें संस्कृत, उर्दू या बंगाली, मराठी आदि भाषा है।

*श्री राम प्रकाश (जिला लखनऊ)—

माननीय अधिष्ठाता जी, जो यह विषय संकल्प द्वारा रखा गया है मैं समझता हूं इसकी मंशा जो विवाद इस प्रदेश में पिछले महीने से चल रहा है उसी विवाद पर ही माननीय सदस्य अपना मतव्य रखना चाहते हैं। लेकिन श्रीमन्, मैं इस विषय पर प्रदेश में इस समय जो गलतफहमी व्याप्त है उसका निवारण करना चाहता हूं। यह ठीक है, यह कदम शासन ने चुनाव के समय उठाया और इसलिये समाचार पत्रों में इसका यह रूप आया कि संस्कृत को हटाकर उर्दू को जबरदस्ती प्रदेश में लाया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उर्दू को इससे कोई लाभ नहीं है। माननीय सदस्य जो यह चाहते हैं और यह समझते हैं कि उर्दू के लिये कोई कदम उठाया गया है वह भ्रम में हैं क्योंकि इस व्यवस्था से उर्दू के पक्ष में कोई कदम उठाया नहीं गया है।

श्रीमन्, जैसे मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार आश्वासन दिया था और अब जो वर्तमान व्यवस्था रखी गई है उसमें संस्कृत को हटाकर उर्दू और बाकी देश की जो अन्य भाषायें हैं प्रत्येक भाषा को पढ़ाने के लिये अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी। यदि 5 विद्यार्थियों ने भी उसकी माँग की तो निश्चय ही उसकी व्यवस्था की जायेगी। अगर यह व्यवस्था रख दी गई तो अधिकाँश छात्र कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक गुजराती, बंगाली और अन्य दक्षिणी भाषायें पढ़ना चाहेंगे और उसके लिये आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि उर्दू पढ़ने के लिये बाध्य कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि चुनाव के सन्दर्भ में यह व्यवस्था की गई थी और वह गलतफहमी हो गयी थी। लेकिन अब आप इसको ठंडे दिल से सोचें कि यह कदम संस्कृत का विरोधी है और उर्दू को प्रोत्साहन नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि संस्कृत तो 25 नम्बर का कंपलसरी रहेगा और इसमें अलग से पास होना पड़ेगा जो कि अनिवार्य होगा। इसलिये मैं कहता हूं कि संस्कृत को हटाने से लाभ नहीं होगा। श्रीमन्, त्रिभाषा फार्मूले ने हिन्दुस्तान में क्यों जन्म लिया। दक्षिण में कहा गया कि वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी पढ़नी पढ़ती है लेकिन उत्तर प्रदेश के छात्रों को हिन्दी और अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है इसलिये हमारे छात्र उर्दू को कम्पीट नहीं कर सकते इसलिये नहीं पढ़ेंगे। इसी-लिये इस भाषा का कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्रों को इसका बोझ स्वीकार किया जाय। अतः यह निश्चय किया गया कि हिन्दी, अंग्रेजी और कोई अन्य भाषा पढ़ेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश में संस्कृत को भी शामिल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत में पास होना पड़ेगा और एक अन्य भाषा चाहे वह मराठी हो, बंगाली, गुजराती हो, उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्रकाश]

बोझ यहाँ के छात्रों के ऊपर लादा जायेगा। तीन भाषाओं के स्थान पर 4 भाषायें उसको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। इस तरह से छात्रों पर यहाँ के बोझ डालने का कोई औचित्य मैं नहीं समझता हूं। जो पुरानी व्यवस्था थी वह ठीक थी। जहाँ पर सुविधा माँगते हैं दी जाती है और मुझे स्मरण है कि जब यह व्यवस्था लागू की गई थी बड़ी संख्या में उर्दू टीचर्स की व्यवस्था की गई थी। अगर कोई यह समझता है कि इससे उर्दू को बढ़ावा मिला है तो वह भ्रम में है बल्कि इससे संस्कृत को हानि हुई है और छात्रों को हानि हुई है। इसलिये मैं समझता हूं कि जैसी व्यवस्था पहले थी वैसी ही रहनी चाहिये जिसमें हमारे प्रदेश का हित है।

(श्री सुखपाल पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, हम नहीं दिखाई देते हैं, दूसरों को आप बुला लेते हैं?

श्री अधिष्ठाता—

उनका संकल्प है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है इसका एक उद्देश्य है.....

एक सदस्य—

क्या पाण्डेय जी काँग्रेस में चले गये क्योंकि वह काँग्रेस बैचों से बोल रह हैं?

श्री अधिष्ठाता—

वह निर्दलीय हैं सब जगह जा सकते हैं।

एक सदस्य—

यह क्या आपकी व्यवस्था है?

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था नहीं, राय है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, संस्कृत के संबंध में जो निर्णय सरकार ने लिया यह प्रदेश के लिए बड़ा दुखदायी है। मैं जानता हूं कि स्वयं शिक्षा मंत्री जी तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य इससे सहमत नहीं थे और न मुख्य मंत्री जी सहमत थे। यह जो हमेशा से परम्परा रही है कि जो यहाँ काम होता हैं वह दिल्ली से होता है, वहाँ से लहर आती है। चाहे वह काँग्रेस के मित्र हों चाहे लोक दल के मित्र हों, उनके समय में भी दिल्ली की लहर से काम हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कैलाश नाथ सिंह जी ने मंत्रि मंडल में इस प्रस्ताव को पेश नहीं किया बल्कि रऊफ लारी साहब को कैबिनेट में बुलाया गया इसको पेश करने के लिए। इसको पेश करने के लिए प्रेसर डाला गया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उर्दू से कोई विरोध नहीं है। मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूं, वह वैकल्पिक भाषा बने।

हमारे मित्र, शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि संस्कृत को हिन्दी के 10 नम्बर के बजाय 25 नम्बर का कर दिया जाय। वह काशी के रहने वाले हैं उनको जानकारी ज्यादा होगी। क्योंकि वह चोटी से नफरत करते हैं और दाढ़ी बढ़ा कर शो करना चाहते हैं कि मैं मुसलमान हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि त्रिभाषा में संस्कृत जो 50 नम्बर की थी के बजाय संस्कृत को जो पहले हिन्दी के साथ 10 नम्बर की थी 25 नम्बर की कर दी है उससे संस्कृत के 35 नम्बर कम हो गये। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो यहाँ की संस्कृति का प्रतीक है और इसका अनुकरण अन्य भाषाओं ने किया है चाहे वह जमन हो, चाहे रसियन हो, चाहे

अंग्रेजी हो उन्होंने हमारे ग्रंथों का जो संस्कृत में है अनुवाद अपनी भाषाओं में किया है.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

संस्कृत विश्वविद्यालय में तमाम विद्यार्थी विदेशों से आते हैं और उनको छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मामले में गंभीरता से इसको प्लीड करें। एक रिश्वत देकर चुनाव के समय यह किया गया है इसको खतम करें। चुनाव के समय यह निर्णय देना उचित नहीं है। आज बनारस में, अयोध्या में और तमाम जगह असंतोष का वातावरण फैला हुआ है। इसलिए संस्कृत को पूर्ववत् रखें और उर्दू को वैकल्पिक भाषा बनाने में कोई आपत्ति किसी को नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

बहुत से लोग बोलने वाले हैं। औरों को बोलने दें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

अकबर बादशाह ने संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। वह कहते हैं कि संस्कृत भाषा का कोई महत्व नहीं है। आज भी जरमनी में पहले संस्कृत में समाचार आता है, तब और भाषाओं में आता है। पहले इसकी जानकारी कर लें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संस्कृत की उपेक्षा करना चाहते हैं, संस्कृत को मिटाना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और पारित करेंगे।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, पहले मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, इस प्रश्न पर मेरा भी प्रस्ताव था मेरा नाम कार्य सूची में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

इसकी जानकारी नहीं है।

श्री गुरु प्रसाद—

जहाँ तक मुझे ज्ञात है, त्रिभाषीय फार्मूला के अन्तर्गत जो निर्णय हुआ है, माननीय शिक्षा मत्री इस प्रस्ताव के विरोधी थे कि उत्तर प्रदेश में दरजा 6 से 8 तक त्रिभाषीय फार्मूला के अन्तगत संस्कृत हटा दी जाय। मैं किसी भी भाषा का विरोधी नहीं हूं, खास तौर से उर्दू का भी विरोधी नहीं हूं। सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में चार कोस पर पानी बदलता है और आठ कोस पर भाषा बदलती है, अवधी, भोजपुरी, बैसवाड़ी और बृज अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं। उनसे किसी को घृणा नहीं होनी चाहिए। उर्दू को भी अधिकार है, लड़कों को पढ़ायी जानी चाहिए। लेकिन दो आँखों से एक आँख को फोड़ कर दूसरी आँख लगा दी जाय, संस्कृत को हटा कर उर्दू भाषा पढ़ाते हैं, यह बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा हमार देश की आत्मा है। गत वष श्री राम नरेश यादव, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने एक विद्यालय में कहा था कि अगर हमारे प्रदेश और भारत में संस्कृत नहीं है तो भारत नहीं है। यह उनके वाक्य हैं। हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि संस्कृत भाषा क दस नम्बर से बढ़ा कर 25 नम्बर कर दिये गये हैं। लेकिन 25 नम्बर हिन्दी के साथ है। आप को देखना पड़ेगा, हिन्दी के लड़के उस 25 नम्बर के लिए संस्कृत नहीं पढ़ते और दस नम्बर के लिए पढ़ते थे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री गुरु प्रसाद—

संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा महत्व है । अगर इस देश के अन्तर्गत कालिदास पैदा न हुए होते, तो भारत का मस्तक अन्य देशों के सामने नत हो जाता । किसी भी भाषा में एसा विद्वान नहीं है जिसकी तुलना सेक्सपियर से कर दें । यदि भारत में छठी शताब्दि में संस्कृत भाषा के वह महान विभूति पैदा न होती जिसका नाम कालिदास है, तो शेक्सपियर से तुलना करने वाला कोई न होता ।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

श्री गुरु प्रसाद—

होवर्ट की तुलना में, यदि वाल्मीकि न होते, तो कोई नहीं था । संस्कृत भाषा के प्रवर्तक वाल्मीकि थे । एसी भाषा को त्रिभाषीय फार्मूला से निकाल कर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा अन्याय किया है । मेरी मांग है कि संस्कृत भाषा को पुन. उसके स्थान पर स्थापित किया जाय ।

श्री अधि ठाता—

दो-दो मिनट में आप अपनी बात कह दें ।

*ठाकुर मूल चन्द्र (जिला मुजफ्फर नगर)—

मान्यवर, हमारे संविधान का समानता के उदाहरण हैं । हम चाहते है कि देश और प्रदेश में समानता होनी चाहिये । हमारा संविधान बना । उसके प्रति हम लोगों की भावनाए जो हैं बड़ी अच्छी होनी चाहिये । देश और प्रदेश में प्रत्येक मजहब, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था को समान दर्जा मिलना चाहिए । जहाँ पर संस्कृत की बात है, हमारे बड़े-बड़े ग्रन्थ संस्कृत में हैं, हमारे वेद भी संस्कृत में हैं और उन वेदों का, जो जर्मनी में पढ़ाये जाते हैं, हमारे बड़े बड़े विद्वान् अध्ययन करते हैं । हमारे बड़े बड़े विद्वान् वहाँ पर उनका अध्ययन करने जाते हैं । उससे हमारे देश और प्रदेश के ज्ञान में बड़ी वृद्धि होती है । संस्कृत भाषा देश और विदेश को बड़ी विशेष भाषा है और यह बहुत जरूरी है, लेकिन जहाँ तक संस्कृत की बात है, हमारे देश में मुसलमान भाई भी रहते है और आप जानते हैं कि उर्दू अकबर क जमाने में बनाई गयी थी । उस समय इसकी आवश्यकता समझी गई कि हिन्दू और मुसलमान का मिलन हो—हिन्दी और उर्दू का मेल हो फारसी के मेल से एक नई भाषा बनाई गई जो लश्करी भाषा कहलाई और यह इसलिए रखा गया था कि हिन्दू और मुसलमान भाइयों में परस्पर मेल और भाई चारा हो ।

उर्दू जबान अंग्रेजों के जमाने में रही, किन्तु स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इस भाषा को कुछ पीछ हटा दिया गया है और हमारी सरकार ने यह जो फार्मूला रखा है कि या तो आपका विद्यार्थी संस्कृत पढ़े या उर्दू पढ़े तो यह बहुत अच्छी बात है । अगर केवल संस्कृत ही सब पर थोपी जाएगी तो दूसरी भाषा बोलने वाल जो मुसलमान या हिन्दू, यहाँ तक हिन्दुओं में पंडित लोग हैं, उनकी जबान का बड़ा अहित होगा और उनमें असन्तोष व्याप्त रहेगा । तो यह जो नया फार्मूला हमारी सरकार ने बनाया है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, जिससे हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को समानता मिलती है । जहाँ हम कहते हैं कि संस्कृत में बड़ा विज्ञान है और उसमें हमारी संस्कृति है जो देश के लिए फायदेमंद है, वहाँ दूसरों को प्रिय लगने वाली उर्दू भी उतनी ही जरूरी है । दक्षिण में जब हम जाते हैं तो हम उनके साथ बोलचाल में बड़ी कठिनाई होती है, हिन्दी वहां लोग अभी तक नहीं समझते हैं । दक्षिण मैं गया था, वहाँ हमारे सामने बहुत कठिनाई आई, क्योंकि दक्षिण भाषा हम नहीं जानते थे । जिनके यहाँ हम लोग गये थे, उनको एक इन्टरप्रेटर रखना पड़ा । मैं यही कहना चाहता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि यह जो फार्मूला आजकल चल रहा है, जो हमारी सरकार ने किया है, वह बहुत ही फायदेमंद है और देश प्रदेश में एकता लाने वाला है।

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संकल्प यहाँ प्रस्तुत किया गया है श्री सुखपाल पाँडेय द्वारा, उस पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं पाँडेय जी हमारे साथी रहे हैं समाजवादी पार्टी में। उनसे हमारी बात भी हुई है कि किस मंशा से उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है। जब सोशलिस्ट पार्टी का अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन चला था तो वह उसमें जेल भी जा चुका है। वह यह चाहते हैं कि त्रिभाषा फार्मूला से अंग्रेजी हटाकर संस्कृत भाषा कम्पलसरी कर दी जाए और हिन्दी अनिवार्य भाषा है ही। जो त्रिभाषा फारमूला है उसके होने पर उर्दू अथवा दक्षिणी किसी प्रान्त की भाषा उसमें रख दी जाय, तो जो इस तौर से जो उनकी मंशा है वह इसी मंशा के तहत यह प्रस्ताव आया है। यहाँ पर जो भी बातें कही गयी ह, वह सब राजनतिक उद्देश्य स प्रेरित हैं। चुनाव के दौरान में सरकार ने यह फैसला किया था जिससे मुसलमानों का वोट हमको मिल जाये। इसलिये उन्होंने यह सगूफा छोड़ दिया था कि उर्दू को अनिवार्य भाषा का रूप दे रह हैं लेकिन मान्यवर, वास्तविकता क्या है,जो प्राइमरी पाठशालायें चलती हैं, वहाँ पर चाहे मुसलमान के घर का लड़का हो या हिन्दू के घर का लड़का हो, हिन्दी पढ़ता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि एक मुसलमान घर का लड़का हिन्दी में अच्छे नम्बर लाता है। तो इस तरह की भावना को उभारना नहीं चाहिए।

माननीय शिक्षा मंत्री जी, जहाँ तक मुझे मालूम है कि वह मंत्रिमंडल में इस पक्ष के नहीं थे, परन्तु जब इस पक्ष के नहीं थे तो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर आ जाना चाहिए था, वह रह गये इसलिए उनकी भावनाओं का हनन हो गया। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं कई बार से खड़ा हो रहा हूं मुझे भी अवसर दें दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठें। मैंने श्री बारी को बुला लिया है।

श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस रिजोल्यूशन का विरोध कर रहा हूं। यह रिजोल्यूशन अफसोस यह ह कि जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से आया है जब कि इलेक्शन के पहले जनता पार्टी के इन्टरेस्ट में .....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य यह समझ लें कि उर्दू और संस्कृत की जो पुरानी सरकार की नीति है, उस पर कोई बहस नहीं है। केवल संस्कृत भाषा को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक अनिवार्य किया जाय, इस पर आप अपने विचार सीमित रखिए।

श्री फजलुल बारी—

अपनी बात को कहने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ही। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के लीडर्स ने इस बात का वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वह जो श्री लैन्गुएज का फार्मूला है, उसको उसी तरह से लागू किया जायेगा। अब मैं यह समझ रहा हूं कि जो वह कह रहे थे वह करने वाले नहीं हैं। जो रिजोल्यूशन आया है,

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फजलुल बारी—]
जनता पार्टी की ओर से आया है, इससे मालूम होता है कि उनका कहना धोखा था। इस प्रदेश में मकसूस राज्य रहा है, इसीलिए हिन्दुस्तान की आजादी के बाद उत्तर प्रदश में उर्दू जबान को खत्म करके संस्कृत को लाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि थ्री लेन्गुएज फार्मूल म जो उसकी स्प्रिट है, उसमें संस्कृत कहीं नहीं आती है लकिन चूंकि उर्दू को खतम करना था, इसलिए संस्कृत को लिया गया। कहा यह गया कि जो लोग उर्दू पढ़ना चाहत ह, उनका इंतजाम किया जायगा लकिन जब बच्चे स्कूल म पढ़न जाते हैं और उर्दू का मतालबा करते हैं तो उनको कहा जाता ह कि अगर तुमको पढ़ना है तो संस्कृत लो। नतीजा यह है कि एक पूरा फिर्का, एक तबका है जो उत्तर प्रदश में पसमाँदा होता गया अपनी मादरी जबान से दूर होने की वजह से। इसलिए मैं मतालबा करूंगा कि अगर माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है चाहते हैं कि देश में जमुरियत पनपे तो उनको अपने संकल्प को वापस लेना चाहिए और यह नारा बुलन्द करना चाहिए कि हिन्दी के साथ-साथ उर्दू को भी मुकाम मिले और उर्दू को इस प्रदेश की दूसरी भाषा बनायी जाय। हमारी सरकार ने तीन भाषा फार्मूला जो अपनाया ह अगर उसके हमारे मंत्री जी विरोधी थे, जैसा कि अभी 2-2 सदस्यों ने कहा तो ईमानदारी की बात यह थी कि वे इस किस्म का खेल न खेलते, और दूसरों के जरिए इस प्रकार के संकल्प न लाकर अपना त्याग-पत्र दे देना चाहिए था। जब सरकार की किसी पौलिसी से उनका विरोध हैं तो उनका सरकार में बना रहना उचित नहीं है। अगर वे उदू पालिसी को दुश्मन है तो उन्ह तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो यह संस्कृत का संकल्प माननीय पाँडेय जी ने प्रस्तुत किया है उससे शायद आज इस सदन में भी एक भ्रान्ति फैली हुयी है कि उर्दू को हटाकर वे संस्कृत को रखने की बात कही जा रही हैं और हमारे शिक्षा मंत्री जी संस्कृत अनिवार्य रूप से रखना चाहते हैं। लेकिन पाँडय जी के संकल्प में यह भावना छिपी हुयी है कि संस्कृत का गला घोटे बिना उर्दू को प्रशय दिया जा सकता है। आज मैं ही यह बात नहीं कह रहा हूं बल्कि पूरे देश और प्रदेश में एक असंतोष की भावना व्याप्त है। अभी हमारे कुछ साथी यह कह रहे थे कि फिरकापिरस्तों की भाषा है। मैं इसके प्रतिवाद में कोई शब्द नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह अवश्य कहता हूं कि शायद उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं किया है और वे इस सम्बन्ध में अधिक ज्ञान नहीं रखते हैं, इसलिये उन्होंने यह भावना बनाली है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस दश में फिरकापिरस्तों का राज्य रहा है। मेरा तो यह कहना है कि कभी भी यहाँ पर ब्राह्मणों का राज्य नहीं रहा है। यहाँ पर मुसलमानों और क्षत्रियों का राज्य रहा है लेकिन संस्कृत भाषा हर दम यहाँ पर जीवित रही है। संस्कृत भाषा में जो साहित्य उपलब्ध है, वह किसी भी भाषा में नहीं है और न और कोई भाषा इतनी समृद्ध ही है। आज हमारे देश की ऐसी दुर्दशा न हुयी होती यदि संस्कृत के प्रति दुर्भावि की भावना न होती। विश्व कल्याण की भावना जितनी संस्कृत भाषा म है उतनी किसी अन्य भाषा में नहीं है।

यही एक मात्र भाषा संस्कृत ही है जो किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष की नहीं है, बल्कि अनेकता में एकता उत्पन्न करती है, यह उत्तर और दक्षिण को एक म पिरोने वाली कड़ी है। यह एक वह आमूल्य निधि है जिसके ग्रन्थों का अनुवाद आज विश्व की कई भाषाओं में किया जा रहा है। आज हमारे पतन का एक मात्र कारण यही ह कि हम अपनी एक मात्र भाषा को भूल गये। हमार मित्र शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि यह संस्कृत भाषा कवल पंडितों और शादी व्याह की भाषा है, मैं समझता हूं कि यह उनकी गलतफहमी है। पश्चिमी बगाल, महाराष्ट्र, मद्रास आदि कई प्रदेशों की भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द काफी मिलत हैं। मैं तो हैदराबाद गया था जहाँ मुझ यह मालूम हुआ कि वहाँ के बहुत से लोग उर्दू नहीं जानत, पर बोलते अवश्य उर्दू और हिन्दी में थे। आप उर्दू को भी प्रश्रय दें, पर संस्कृत

का गला दबाय बिना। उसका गला घोट कर उर्दू को प्रश्रय दना ठीक नहीं होगा। इसलिये पाँडय जी न जो संकल्प दिया ह उसम यह लिखा ह कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस राज्य में कक्षा 6 से 8 तक क लियें त्रिभाषा फार्मूले में संस्कृत अनिवार्य रूप से एक भाषा रखी जाये। इससें मैं चाहता हूं कि संशोधन कर दिया जाय कि 'संस्कृत भाषा भी अन्य भाषाओं में सम्मिलित की जाये।" यह शब्द उसमें रख दिये जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया बैठें। अब माननीय सदस्य केवल दो-दो मिनट ही लें।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, संस्कृत देववाणी है इसी के द्वारा पूरे भारत वर्ष को एक सूत्र में बाँधा जा सकता है। पर इस देश का यह दुर्भाग्य है कि वोट की राजनीति ने, हमारी भावनाओं का शोषण करके, संस्कृत भाषा को क्षति पहुंचायी है। पिछले लोक सभा के मध्यावधि चुनाव क वक्त.....

श्री अधिष्ठाता—

यह बात बहुत हो चुकी है।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

जो संस्कृत भाषा से पूरे हिन्दुओं की भावनायें जुड़ी हुई हैं, उसके साथ-साथ इस प्रदेश की 75 फीसदी लोगों की भावनायें जुड़ी हुई हैं। इसपर कुठाराघात करक जिस तरह से जातिवाद का विष फैलाया गया है उससे बड़ा नुकसान हुआ है, इसको सही नहीं कहा जा सकता। संस्कृत क साथ जो अन्याय किया जा रहा ह इसका परिणाम बुरा होगा और सब को भुगतना पड़ सकता है। मैं उर्दू का विरोधी नहीं हूं। पर हिन्दू घरों म जो भी जन्म लेता ह उसको सारे संस्कार शुरु सें ही संस्कृत भाषा के माध्यम से होते हैं। साथ ही साथ जो लोग चुप थे, वह उर्दू पढ़ना चाहते थ और उसकी व्यवस्था सरकार न किया था, अगर वह व्यवस्था चलती तो कोई भी विवाद आज प्रदेश में खड़ा नहीं होता। लेकिन यह विवाद जानबूझ कर माननीय शिक्षा मंत्री के विचारों के विरुद्ध जाकर यह फैसला लिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, मैं यह कहूंगा कि अभी तक समय है अगर इस प्रदेश को, इस देश को बचाना है, देश को अधार्मिक प्रवृतियों से बचाना है, तो संस्कृत को रखें, ताकि जो लड़ाई छिड़ने वाली है, उसको रोका जा सके, नहीं तो इसका गम्भीर परिणाम होगा, क्योंकि अगर इस देश का ब्राह्मण, इस देश का संस्कृत जानने वाला, जिस दिन कालदेवता का आह्वान करेगा, उस दिन सृष्टि के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इन शब्दों को मैं कह देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, जो संकल्प, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को अवश्यक रूप से संस्कृत पढ़ाने का, रखा गया है, इस बात का मैं विरोधी हूं। कक्षा 6 से लेकर 8 तक संस्कृत पढ़ाया जाय, लेकिन जो न पढ़ना चाहें, उन्हें अनिवाय रूप से बोझ के रूप में न पढ़ाया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजय राज सिह--]

जाय और जो पढ़ना चाहें उन्हें रोका भी न जाय। मान्यवर, मात्र भाषा वह होती है जिसे बचपन से लोग बोलते हैं। पुराने जमाने में शासक वर्ग संस्कृत भाषा में राजकाज चलाते थे और जनता प्राकृत बोलती थी मुगल काल में शासन का फारसी में राज काज चलता था और जनता ब्रजभाषा और अन्य प्रान्तीय भाषायें बोलती थी। जब अंग्रेज आये तो यही शासक वर्ग अंग्रेजी में राज काज चलाने लगा जबकि आम लोग देशी भाषाय बोलते थे जिस भाषा में जन-जन का इतिहास नहीं है,उस भाषा को आवश्यक विषय के रूप में न पढ़ाया जाय। संस्कृत श्रीमानों की भाषा है। आम आदमी की भाषा कभी नहीं रही। आठवीं में श्रीमन् हम राम का रूप पढ़ते थे रूप ही नही याद होता था, सुबह पंडित जी मुर्गा बनाते थे, होस्टल में हम लोग रहते थे। वहाँ पर लड़के कहा करते थे कि "रटन्त विद्या फलंत नाहीं, फलंत है तो बदन्त नहीं।" तो श्रीमन्, अगर संस्कृत रट भी ली जाती है, तो बोली नहीं जाती। तो श्रीमन्, यह भाषा इतिहास की दृष्टि से और शोध की दृष्टि से ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों के ऊपर इसको लादा जाय अनिवार्य रूप से, जिसको वह पढ़ नहीं सकते, यह ठीक नहीं। उसका बोझ उनके ऊपर न बनाया जाय। कुछ लोगों ने कहा कि संस्कृत में बहुत अच्छे विचार हैं। तो श्रीमन्, कोई भाषा अपने आप में विचार पैदा नहीं करती, भाषा तो व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। भाषायें तो बहुत सी हैं, तामिल, तेलगू, बंगाली आदि। इन्हें क्यों न पढ़ाया जाय? जिन साथियों ने यह कहा है कि संस्कृत भाषा में बसुधैव कुटुम्बकम का सपना देखा तो उसको मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के विचार तो उस समय थे जबकि लोगों में रोजी-रोटी के झगड़े नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें।

(श्री ऊदल के नाम पुकारे जाने पर)

श्री विजय राज सिंह--

आज तो श्रीमन्, गाँव को कुटुम्ब के रूप में भी नहीं देख रहे हैं। आज तो एक साथी दूसरे साथी का गला घोटने को तैयार रहता है। इन विचारों को रखने के लिए आपने दो मिनट का समय दिया, मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, हमारे सदस्य जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाये हैं, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट में आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, अब सरकार के लिए मैं क्या कहूं, सरकार तो ऐसी हो गयी है श्रीमन्, कि सुना है कि अभी यह सरकार पीछे जा रही है, इससे अब संस्कृत पढ़ाने के लिये हिन्दी के साथ 10 प्रतिशत रखा गया है। और कुछ लोगों ने कहा व्याकरण को ठीक करने के लिये संस्कृत को रखा गया है।

मान्यवर, सरकार ने 25 नम्बर संस्कृत का अलग से रख दिया और 10 नम्बर हटा दिया और उर्दू को बढ़ावा मिला। कुछ लोगों ने कहा मान्यवर, उर्दू मजहबी भाषा है एक जाति की भाषा है अगर हम इस तरह से इस दृष्टिकोण से डिस्कशन करेंगे कि मजहबी भाषा है, जाति की भाषा एक समूह की भाषा है तो म समझता हूं कि यह उर्दू के साथ अन्याय होगा। मान्यवर, पंजाब म उर्दू बोली जाती है और हमारे प्रदेश में भी बहुत से हिन्दू मान्य उर्दू बोलते हैं। मान्यवर, दक्षिण में और हैदराबाद में; बम्बई में और बिहार में भी उर्दू

बोली जाती है और हमारा जो संविधान है उसमें 14 भाषाओं में उर्दू भी एक भाषा है। तो म समझता हूं कि श्रीमन्, नी सरकार ने जो फैसला किया था वह सही था लेकिन आज सरकार उससे पीछे जाने वाली है, तो मान्यवर, सरकार जा रही है तो जाय।

अनेक सदस्य—

अब सरकार सही रास्ते पर जा रही है।

श्री ऊदल—

हमार भाई ने कहा कि यह ब्राह्मण की भाषा है। मान्यवर, मनु ने लिख दिया और लिख ही नहीं दिया कार्यरूप में परिणित किया गया कि जिन लोगों के कानों में वद वाक्य जायगे उनके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था और कहा जाता था कि शूद्र और वैश्य वद मंत्रों को नहीं पढ़ सकता। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हिन्दू, मुसलमान के नाम पर हम नहीं चल सकते। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने उर्दू के सम्बन्ध म जो फैसला किया वह सही था अब यह सरकार पता नहीं क्यों उससे पीछे जाना चाहती ह। मैं सरकार की निन्दा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दना चाहिय।

*श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य श्री ऊदल की बात सुन रहा था, लगता है कि हिन्दू और उर्दू का विवाद खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन उर्दू को किस नियत से लागू किया गया वह नियत ठीक नहीं थी। जहाँ तक उर्दू को बढ़ाने का सवाल ह मेरा उर्दू से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस ढंग से संस्कृत को हटाकर उर्दू थोपी गई उससे जन मानस में बड़ा उद्देवेलन है। त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि संस्कृत के साथ-साथ उर्दू को भी बढ़ावा दिया जायगा, लेकिन हमारी व्यवस्था चौपट थी। इसलिये मेरा निवेदन ह कि संस्कृत को न हटाया जाय और उर्दू को कमजोर किया जाय न संस्कृत को कमजोर किया जाय। मान्यवर, मैं समाजवादी दृष्टिकोण स कहता हूं मैं जेल में था और हम लोगों ने यह माँग की कि अंग्रेजी को हटाया जाय, त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत संस्कृत और उर्दू दोनों को रखा जाय। मैं तो कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि जो उर्दू के पढ़ाने वाले मौलवी हैं उनका वेतन निर्धारण किया जाय। जिस तरह से संस्कृत पढ़ाने वालों को वेतन दिया जाता है उसी तरह से उर्दू वालों को भी वेतन निर्धारण किया जाय। अन्त में मेरा निवेदन है, मान्यवर, कि संस्कृत को त्रिभाषा फार्मूल के अन्तर्गत बना रहने दिया जाय।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं लगभग एक घंटे से उर्दू और संस्कृत के बीच चल रही चर्चा को सुन रहा हूं। लेकिन जहाँ तक म समझता हूं कि संस्कृत और उर्दू अलग-अलग देश की अलग-अलग भाषाए नहीं है। यह दोनों भाषाएं इसी देश की हैं और मैं इस बात को मानता हूं कि इस देश के रहने वालों को हिन्दी भी जानना चाहिए और उर्दू भी जानना चाहिए या जिस भाषा में जिसको रूचि हो वह उसे पढ़ना चाहिय। सारी जबानें अपनी-अपनी जगह अच्छी है। लेकिन जहाँ तक सवाल ह उर्दू को संस्कृत पर थोपना या संस्कृत को उर्दू पर थोपने का इसका मैं विरोधी हूं। उर्दू, हिन्दी और संस्कृत को मिलाइय। उर्दू जबान आज स नहीं जमाने स चली आ रही है और शासन न यह निर्णय लिया ह कि संस्कृत को 25 नम्बर अलग से दने का। इससे भी संस्कृत को बढ़ावा मिलगा लकिन मैं इसका विरोधी नहीं हूं। संस्कृत भाषा खूब पढ़ी जाए और लिखी जाए इस ओर शासन को और अच्छा इंतजाम करना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

लेकिन किसी भी सदस्य का यह कहना गलत है कि उर्दू इस तरह से लादी जा रही है। लादा किसने। यह लोगों की भूल है कि इस चीज को लादा जा रहा है। इस मामूली सी बात को पहाड़ बनाया जा रहा है। यह हम लोगों की बदनसीबी है कि इस छोटे स मामल को इतना तूल दिया जा रहा है। आज की जनता में कौन कह सकता है कि कौन सी भाषा आम है, उर्दू है, हिन्दी है या अंग्रेजी है। लेकिन जनता साथ ही साथ यह भी जानती है कि आज भी उत्तर प्रदश में काम इंग्लिश में होता है 80 प्रतिशत अंग्रेजी का प्रयोग कचेहरियों आदि में हो रहा है। कोई भी आज अपना निर्णय हिन्दी या उर्दू म नहीं देता है। वह अपने कामों में 80 प्रतिशत सेभी ज्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल करता है। और आज का कोई भी अधिकारी पूरी तरह से अपना काम हिन्दी या उर्दू में नहीं कर रहा है, अंग्रजी में कर रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आप जरा धीरे बोलें, बहुत तेज बोल रहे हैं।

श्री मुकीमुर्रहमान--

मैं कह रहा था कि संस्कृत के बढ़ाने के लिए आप जो चाहें कदम उठाएं हमें कोई एतराज नहीं। संस्कृत में डाक्टर बन कर आयें, तो हमें खुशी होगी। लेकिन उर्दू को भी कोई रोक नहीं सकता इसलिए कि हमन अपने यहाँ इंदारे खोल रक्खे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें, अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुकीमुर्रहमान--

म शासन सें कह देना चाहता हूं कि उर्दू में बाधा डालने वालों को यह काम महंगा पड़ेगा और मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में शासन उचित कार्यवाही अपने दृष्टिकोण स करें।

*श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)--

त्रिभाषा फार्मूल से संस्कृत को हटा दिया गया है, जो नहीं होना चाहिये था। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश क जन जीवन की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। उर्दू रक्खी जाए म इसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन संस्कृत को हटाकर त्रिभाषा फार्मूले को नष्ट करने का संकल्प इस सरकार ने गलती से कर रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिये था। यदि मुकीमुर्रहमान साहब और फजलुलबारी इस संबंध में धमकी दे सकते हैं। तो मैं भी इस प्रकार की बातें कह सकता हूं। दूसरी बात यह है कि संस्कृत में श्रीमन् हमारे तमाम पुराने ग्रंथ आते हैं, वेद हैं, पुराण हैं, गीता है और रामायण आदि हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप धीरे बोलें।

श्री शिव लाल मित्तल--

मान्यवर, त्रिभाषी फार्मूला इस प्रदेश में कायम किया जाए और हो सके तो उर्दू को भी त्रिभाषी फार्मूले में सम्मिलित कर लीजिए। लेकिन त्रिभाषी फार्मूले को नष्ट न कीजिए। मान्यवर, अगर उर्दू से प्रेम हो, सरकार चाहती हो तो 4 भाषा का फार्मूला किया जाए।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ (जिला बस्ती)--

श्री सुखपाल पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं और जब वह उर्दू वालों में जाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा काम हुआ। श्री पाण्डेय पुराने सोशिलस्ट हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलीगढ़ के मामले में, उर्दू के मामले में, आज वक्त की परिस्थिति है, मजबूर हो कर के चाहत है रेडियो पर नाम आ जाय लेकिन हृदय से, मन से इसके विरोधी नहीं हैं। अधिष्ठाता महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि संस्कृत पले, फूले, बढ़े, पूरे देश में इसको माना जाय मैं इसकी मांग करता हूं और जो कहते हैं कि उर्दू एक तबके की भाषा है, तो यह जुल्म की बात है। मान्यवर, म आपसे माँग करता हूं कि हम लोगों को माँग करनी चाहिये कि व अपना प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि यह तीसरा फार्मूला आया है जो कि हिन्दू-मुसलमान दोस्ती की राह में एक रास्ता है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ--

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह हम लोगों के लिए अच्छा होगा। अतः इसे वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता--

श्री भगवती प्रसाद सिह जी, आप 2 मिनट में समाप्त करें।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

जो संकल्प पान्डेय जी ने रखा है, खाली लिफाफा की शक्ल में है। मान्यवर, यह भाषा का सवाल एक ऐसा रूप ले रहा है कि एक भाषा से दूसरी भाषा पर चोट करवा रहे हैं। मान्यवर, इससे साम्प्रदायिकता फैलती है। क्या हरिजन देव नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूं कि अन्य जातियों के देव नहीं थे। एक कोठरी है और चन्दन की है और अलग पत्थर की मूरत के पास है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं जैसा ऊदलजी ने कहा नागरिकों की भावना स जनता से इस संकल्प से उर्दू को चोट लगती है। आप उसे देखें आजादी के समय जो नज्म पढ़ी जाती थी उसकी क्या कीमत होती थी, सर फरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है। संस्कृत राजाओं क जमान की भाषा थी और बूढ़ी थी इसलिये सरकार ने जो फैसला किया है उस पर अगर सरकार न रही तो यह भी साम्प्रदायिकता का एक बीज होगा। 1/2 हिस्सा जो उर्दू बोलती है, माइनारिटी पर कुठाराघात होगा।

*श्री रणवीर सिह (जिला ललितपुर)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उर्दू का विरोध नहीं है। आर्य समाज में संस्कृत की प्रधानता है। मेरा आपसे विनम्र निवदन है कि आदि काल स जो चला आ रहा है, समाज की उन भावनाओं पर यह कुठाराघात है। यह समाज पर सबस बड़ा कलंक है जो प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी करेंगे। मुकीमुर्रहमान भाई स और ऊदल भाई से कहूंगा कि उर्दू का विरोध नहीं है, संस्कृत का प्रश्न नहीं है, समाज की मूल मान्यताओं का प्रश्न है। मेरा निवदन है शिक्षा मंत्री जी स कि संस्कृत की रक्षा करने के लिय जो हमारी संस्कृत के प्रहरी हैं हमारे भाई कह गये फिरका परस्ती। हमार शतद्रु प्रकाश जी ने कहा कि संस्कृत के जितने अध्यापक हैं वह बेकार हैं, ऐसी बात तो है नहीं। इस त्रिभाषा फार्मूले से भविष्य में जाकर अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। संस्कृत भाषा को यथावत रखना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर उर्दू को चौथी भाषा कर दिया जाये लेकिन अगर संस्कृत के प्रति कुठाराघात किया जायेगा तो यह अच्छी बात नहीं होगा।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

मान्यवर, संस्कृत क संबंध में आज जो इतना हल्ला मचा हुआ है उससे मालूम होता है कि कुछ लोग उर्दू को अच्छी नजर से देखना नहीं चाहते। अपने भाषणों म कहा करत हैं कि हम उर्दू के विरोधी नहीं है। उर्दू की शिक्षा देने के लिये आपकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। उर्दू को हटाया किसने ? पहले स्कूलों में उर्दू अंग्रेजी क साथ-साथ पढ़ाई जाती थी। अंग्रजों न अंग्रेजी की हिमायत की। जितने लोग चुनाव में जाते रहे, उर्दू को दूसरी भाषा घोषित करने की माँग करत रहे। कोई कहता था कि उर्दू की पढ़ाई अनवार्य कर दी जाय, आज भी नहीं हुआ। हमारी सरकार ने हिम्मत करके एक निर्णय लिया है, उर्दू को पढ़ाने की छूट दी, संस्कृत को हटाया नहीं। संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की जननी ह। भारत की किसी भी भाषा को सीखने के लिये संस्कृत का जानना जरूरी ह। 100 नम्बर के पच में 25 नम्बर की संस्कृत की व्यवस्था कर दी गयी ह इससे स्पष्ट हो गया ह कि उर्दू के साथ-साथ संस्कृत को भी ध्यान में रखा गया है, यह सराहनीय ह। हर छात्र हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत भी पढ़ेगा। सवाल उठाया जाता है कि संस्कृत के अध्यापक बेकार हो जायेंगे। बेकार कहाँ हो जायेंगे ? जब हर कक्षा में संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी इस संस्कृत क अध्यापकों को मौका मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का विरोध करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

यह जो प्रस्ताव आया है यह प्रस्ताव तो हमको पूर्व अवस्था में भी नहीं ले जाता। इसके पूर्व यह था कि संस्कृत तथा अन्य भाषायें तीसरी भाषा के स्थान पर थीं। संस्कृत तीसरी भाषा के स्थान से हटा दी गयी। इस स्थान पर अंग्रेजी भी ह, रासियन भी है, जर्मनी है, फ्रन्च भी है, पढ़ते लोग अंग्रजी ही हैं। राष्ट्रीय भाषा, क्षत्रीय भाषा जो हिन्दी है सभी पढ़त ह। तीसरी भाषा क रूप में संस्कृत, उर्दू, मराठी, पंजाबी, बंगाली या दक्षिण की अन्य प्राचीन एवं आधुनिक भाषायें हैं लकिन यहाँ पर लोग संस्कृत पढ़ा करते थे वस्तुस्थिति यह थी। सरकार न यह किया कि तृतीय भाषा के स्थान पर उन्होंने यह सोचा कि यह प्राचीन भाषा है, आधुनिक भाषा नहीं है इसलिय संस्कृत को हटा दिया गया। उर्दू वाले यह सोच कर प्रसन्न हुये कि यदि संस्कृत को हटा दिया जायगा तो यहाँ पर सबको उर्दू पढ़ने में आसानी होगी, इसलिये इस तरीके से लोग भी उर्दू पढ़ने लगेंगे हालाँकि उर्दू के स्थान पर अन्य भाषाओं का प्रबन्ध होगा। मान्यवर, त्रिभाषा फारमूला इस देश की एकता को बनाये रखने के लिये आवश्यक है। लेकिन तीसरी भाषा कौन सी हो इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। संस्कृत में हर प्रकार का साहित्य, गद्य, पद्य, नाटक, काव्य आदि विद्यमान हैं। लकिन प्रश्न यह है कि क्या दर्जा 6, 7, 8। में जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़त है वह छात्र रंचमात्र भी इस संस्कृत को पढ़ कर उन ग्रंथों और काव्यों को पढ़ सकते हैं।

मान्यवर, संस्कृत मैंने पढ़ी है, बी० ए० में पढ़ी है। मैं ईमानदारी स कहता हूं कि 7वें, 8वें में जो भाषा पढ़ते हैं वह निरर्थक समय बरबाद होता है। वैसे इससे छात्र या समाज को वस्तुत: कोई लाभ नहीं होता। जो नाटक या कृतियाँ संस्कृत साहित्य की हैं वर्ग 8 का पढ़ने वाला विद्यार्थी उनको पढ़ भी नहीं सकता। जहाँ तक उर्दू का सवाल है शायद कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं, हिन्दी और उर्दू दो भाषायें, दो जबानें नहीं हैं।। भाषाओं की पहली चीज सर्वनाम होती है, दूसरी क्रिया होती है तीसरी चीज वाक्य विन्यास होता है मान्यवर, अंग्रेजी में 243 वर्ड्स का एंग्लो सेक्शन है बाकी उन्होंने लैटिन, जरमन से लिया है, हिन्दी संस्कृत से भी लिया है। यहाँ के पहले हिंदी कवि अमीर खुसरो थे और उर्दू के पहले कवि अमीर खुसरो ही थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाला था सबके मन भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया।
मैंने कह दिया उसका नाम, नाम बताओ नहीं छोड़ो गाम।

यह उर्दू की स्क्रिप्ट में लिखी हुयी है लेकिन इसको हिन्दी कहते हैं। पद्मावत् जो रामचन्द्र शुक्ल जी ने हिन्दी को दिया है वह उसका स्क्रिप्ट में था। जिसमें उर्दू लिखी जाती है। हम हिंदी पढ़ते हैं, 25 मार्क्स की संस्कृत रखी है उसकी जगह उर्दू रख दीजिये उससे पढ़ाई होगी।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

अधिष्ठाता महोदय,

चलने लगी लुगत पर छुरी इतकाम की, छांटी गयी तमाम जो लफ्जें थीं काम की।
रहमान ही की बात चली और न राम की, मुट्ठी से खिच गयीं जो जबानें थीं अवाम की।
हैवान बौखला गये, मुंह खोलने लगे इंसान बोलियां वो नयी बोलने लगे।

मान्यवर, यह मसला लिसानी लिंग्विस्तिक मसला है। इसको जजबात और गुस्से से तय नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्यों ने जिस तरह गुस्सा और जजबात दिखाये हैं वह इलम की विद्या की गरिमा के खिलाफ है। जबानें एक को एक से करीब लाने के लिये हैं। नफरत पैदा करने के लिये नहीं है। इस मसले को लेकर जो वातवरण बनाया जा रहा है वह अच्छा नहीं। मुसलमान उत्तर प्रदेश में उर्दू पढ़ना जरूर चाहते हैं लेकिन किसी दूसरी जबान के खिलाफ नफरत का जजबा वह नहीं रखते हैं। इसलिये कि 712 के करीब हिन्दुस्तान की सबसे अहम किताबापंचतन्त्र का तरजुमा अरबी में हो चुका था। महमूद गजनवी के समय की तमुद्दुने हिन्द नामक किताब फारसी में मौजूद है जिसको उर्दू में तरजुमा हो चुका है। यह पुस्तक हिन्दुस्तान की सभ्यता को समझने के लिये उर्दू में ही मौजूद है। गीता का फारसी अनुवाद हुआ। इसलिये मुसलमान किसी जुबान से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन वह उर्दू से मोहब्बत जरूर करते हैं। पिछले दिनों मी मैंने कहा था कि संस्कृत और उर्दू का अपनी-अपनी जगह महत्व हैं जिस तरह हिन्दुओं के लिये उनकी सभ्यता और मजहबी किताबों और रवायत को समझने के लिये संस्कृत जरूरी है उसी तरह उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपनी तहजीब और रवायत को समझने के लिये उर्दू जरूरी है। इसलियें इन दोनों के बीच में हमें नफरत की दीवार नहीं खड़ी करना चाहिये। जबानें जोड़नें के लिये हैं अलग करने के लिये नहीं। मान्यवर, 22 फरवरी, 1958 को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उर्दूऔर हिन्दी के बारे में कहा था कि हिन्दी उर्दूका झगड़ा उस दिन समाप्त हो गया जिस दिन हिन्दुस्तान की कान्स्टीटयून्ट एसेम्बली हिन्दी को मुल्क की सरकारी जबान करार दे दिया। अब उर्दू कुछ नहीं चाहती केवल अपना जायज हक मांगती है औरवह उसे मिलना चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद हैं कि त्रिभाषा फार्मूले में संस्कृत को लेकर यह विवाद सरकारी पक्ष ने खड़ा कर दिया है,इसमें दो राय नहीं हैं कि जो परिवर्तन किये गये वह एक मात्र चुनाव को ध्यान में रख कर किये गये। जबकि सत्ता पक्ष के रहनुमा ही (चौ0 चरण सिंह) उर्दू को देशी भाषा कहा करते थ। सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वह आर्य समाज के पदाधिकारी हैं जिसका मुसलमानों और उर्दू के बारे में दृष्टिकोण जो है वह जग जाहिर है। तो यह केवल वोट पानेके लिये किया गया। 30 साल कांग्रेस ने हिन्दू मुसलमानों के बीच नफरत की भावना को भड़काकर राजनीति किया। आज वही रवैया कांग्रेस से निकले हुये लोग, सत्ता पक्ष के रहनुमा, लोकदल के कुछ नेता, उसी राह पर चलना चाहते हैं और इस देश और प्रदेश में हिन्दू मुसलमानों में मतभेद पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। चुनाव को ध्यान में रख कर ही उर्दू को त्रिभाषा फारमूले में शामिल किया गया। वोट के लिये ही लोक दल के नेताओं ने अंग्रेजी भाषा का चुनाव के दौरान समर्थन किया, जबकि वह अंग्रेजी हटाने के प्रेरक बने थे, हनुमान बने थे और कहा कि हम अंग्रेजी का विरोध नहीं करते और लोक दल ने प्रस्ताव भी पास कर दिया। लेकिन इन चीजों से चुनाव पर तो कोई असर

[श्री मैनेजर]
नहीं पड़ा किन्तु आज सदन के वातावरण में जरूर असर पड़ गया है। आपने भेद पैदा करने की कार्यवाही किया है, आपने हिन्दू-मुसलमानों में भेद पैदा किया है, आपने नफरत पैदा किया है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि छोटे हथकंड़ों से जो लोग सत्ता मे आये उनको उससे ऊपर उठना चाहिये। उर्दू भी हमारे देश और प्रदेश की जुबान है, उसकी तरक्की के लिये जनता शासन ने तो बहुत कुछ किया है।

पहली बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने उर्दू को मान्यता दिया जो जनता शासन ने दिया है। उर्दू की जनता पार्टी समर्थक हैं लेकिन जिस प्रकार आपने संस्कृत को हटाकर आपने उर्दू को रखा है, यह तरीका अच्छा और मुनासिब नहीं है। उर्दू को और प्रोत्साहित तथा उसकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था आप दूसरें तरीकों से कर सकते थे। शिक्षा मंत्री जी इस प्रस्ताव के विरोध में, अखबारों में निकला था कि, त्यागपत्र देने वाले थे लेकिन कुर्सी से मालूम होता है कि चिपक गये और इसलिये त्यागपत्र नहीं देने पाये। यह देते जरूर, क्योंकि जिस संस्था से, आर्य समाज से, संबधित है उसके उर्दू के बारे में क्या मत है उसको जग जानता है। आज भी हमारी कुछ बिरादरी के लोग उधर हैं जो आर्य समाजी हैं और लोकदल में दल बदल कर चले गये। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आर्य समाज लोग लोकदल में चले गये तो क्या वह बदल गये।

(इस समय 4 बजकर 34 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, विभेद पैदा करना इस देश और प्रदेश के साथ गद्दारी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है

श्री अजीत सिह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, आज प्रातः काल श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। उन शब्दों पर मुझे कम एतराज हो सकता ह लेकिन यदि उनका संकेत समुदाय पर हो तो मुझे इसका दुख होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि उन शब्दों को निकाल दिया जाय। आप की रिपोर्ट में उन्हें नहीं रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि आप की आत्मा को ेस पहुंची है तो वे शब्द निकाल दिये जा ेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह भी निकाल दिया जायेगा।

श्री अजीत सिंह सेठी—

यदि समुदाय पर कुछ आक्षेप है तो मैं चाहूंगा कि इन्हें खेद प्रकाश करना चाहिये अन्यथा मैं इस हाउस.....(व्यवधान)

श्री शरुतद्र प्रकाश—

आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मैनेजर सिंह जैसे सीनियर इस सदन के माननीय सदस्य ने किसी धार्मिक भावना से इस तरह से हल्की बात की। आर्य समाज का नाम लेकर अपनी दाढ़ी में हाथ लगा कर उनकी ओ संकेत किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय मैनेजर सिंह को आर्य समाज औ ऋषि दयानन्द के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं ह। मुसलमानों के प्रति

नोट—[××××] यह अंश श्री उपध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

राष्ट्रीयता के प्रति ,किसी जबबात के प्रति, जितने अच्छे ख्याल स्वामी दयानन्द के, आर्य समाज के रहे हैं उतने किसी के नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह भ्रम के कारण जो आरोप उन्होंने लगाया है उसे वापस लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसे शब्द कहे होंगे तो मैं देख लूंगा और निकाल दूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

हम किसी धार्मिक विचार से खिलवाड नहीं करने देंगे।

श्री मैनेजर सिह--

मेरा नाम लिया गया है। मुझे यह जानकारी हुई कि ओझा जी आर्यसमाजी हैं? मैंने स्वामी दयानन्द सरस्वती की बातों का, किताबों का अध्ययन किया है। आज से नहीं जब मैं विद्यार्थी था। स्वामी दयानन्द जी का विचार था, मैं नहीं समझता कि हमारे आर्य समाज के लोगों ने उनको उतना नहीं समझा। आर्य समाज के जितने प्रस्ताव आये हैं, जिनका भाषण हुआ है, बराबर उन्होंने उर्दू पर हमला किया है.....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

नहीं किया। फिर गलत.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बहस की बात है.....

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं इस बात की चुनौती देना चाहता हूं कि मैनेजर सिह स्वामी दयानन्द का एक भी प्रकरण बता दें (शोर) जो कुछ इन्होंने कहा है वह हमारी धार्मिक भावना पर ठेस है। इसलिए मैं विनम्रता से कहता हूं कि माननीय सदस्य, बलिया, अपने आरोप को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने स्वयं कहा है कि मैं निकाल दूंगा अगर कोई आपत्तिजनक शब्द होंगे तो मैं कार्यवाही देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिह--

माननीय ओझा जी चरण सिह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं, सिद्धान्तों एवं विचारों का गुलाम अवश्य हूं। मुझे चरण सिह से उतना ही विरोध है जितना आपको है। समाजवाद में मेरी आस्था है लेकिन मेरा विश्वास है कि महर्षि दयानन्द ने किसी वर्ग अथवा भाषा के प्रति अना दर के शब्द कभी इस्तेमाल न किए होंगे।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत के सिलसिले में जो प्रस्ताव आया है मैं इसका विरोध करता हूं। जहाँ तक संस्कृत का ताल्लुक है वह एक फिर्के तथा एक मजहब की जबान है। जबान कोई हो बहरहाल इज्जत और अहतराम की निगाह से उसे देखना चाहिए। दुनिया में जितनी भी जबानें हैं अपनी जगह पर उनका एक मकाम है। लिहाजा इस देश व प्रदेश के अन्दर उर्दू का भी अपना एक मकाम है। त्रिभाषा फारमूला इसलिए बनाया गया था

[श्री शफीकुर्रहमान बर्क]

ताकि जो इलाकाई जबानें हैं वे भी जिन्दा रह सकें। लेकिन इस विधान सभा के अन्दर जो संकल्प संस्कृत के सम्बन्ध में लाया गया है उससे उर्दू का गला घोंटा जा रहा है। मैं तो अर्ज करूंगा कि उर्दू के साथ आज तक इस देश के अन्दर नाइंसाफी हुई है। चाहे कोई भी सरकार रही हो उसने वादा तो किया लेकिन उर्दू के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया गया। मैं यह गुजारिश करूंगा कि इस देश में उर्दू का बाकी रखना बहुत जरूरी है। उर्दू हिन्दू-मुसलिम एकता का निशान है। इसने देश की आजादी में भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उर्दू को अगर उसका मकाम मिलता है तो हिन्दू-मुसलिम एकता को बढ़ावा मिलेगा और यह देश फले तथा फलेगा। लिहाजा इस प्रस्ताव के जरिए से जो उर्दू का गला घोंटा जा रहा है इसको रोका जाय।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

कितना समय और इसमें लगेगा ?

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी इस पर चर्चा चलेगी।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

हमको मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

दो-दो मिनट का समय दे दें।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

मैंने अपनी बात खत्म नहीं की. . . .

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री नेम सिंह चौहान—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि हम इस विषय में विचार करेंगे और पुनः शीघ्र निर्णय ले लेंगे। इस विषय पर कई माननीय सदस्य बोले और विशेष रूप से जो हमारे मुस्लिम साथी हैं उनको इस बात की आशंका हुई कि उर्दू के साथ अन्याय हो रहा है। मान्यवर, उर्दू को हमारे संविधान में समुचित स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी जब डाक्टर फरीदी थे, जब यहाँ पर चौधरी साहब थे तो वे भी चाहते थे कि जहाँ तक पढ़ाई-लिखाई की बात है हम लोग 27 साल से इस शिक्षा से सम्बन्धित हैं, उर्दू की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था की गयी है कि अगर किसी विद्यालय में 5 विद्यार्थी भी उर्दू पढ़ना चाहें तो सरकार उसके लिए अध्यापक की व्यवस्था करेगी। मान्यवर, हमने उसके लिए व्यवस्था की। लेकिन शेड्यूल 8 में त्रिभाषा में जो भाषाएं हैं इन भाषाओं में कोई एक भाषा जिसमें संस्कृत भी एक है, का चयन किया जायेगा। यह संस्कृत और उर्दू की बात नहीं है। सत्ता पक्ष के मन्त्रि मण्डल में यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी के साथ संस्कृत पढ़ा दी जायेगी, हिन्दी के अंक कम हो जायेंगे और संस्कृत के अंक बढ़ा दिये जायेंगे, ऐसी व्यवस्था थी। मान्यवर, मैं भी छात्र रहा हूं और मेरे ऐसे छात्र हैं मुसलमान छात्र हैं जिनको 84 अंक प्राप्त हुए हैं। मेरठ विश्वविद्यालय में बहुत से मुसलमान, प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिनके अन्डर में संस्कृत का रिसर्च कार्य हो रहा है। तो धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। माननीय सदस्य ने आर्य समाज की बात कही। पंजाब में उर्दू भाषा का गढ़ रहा है। और वहाँ पर उर्दू एक सामान्य भाषा के रूप में प्रयोग हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जो छात्र संस्कृत लेना चाहें . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

श्रीमन्, पुनरावत्ति हो रही है। पौने पाँच बज चुके हैं। माननीय सदस्य वही बात दुहरा रहे हैं जो पचासों दफे यहाँ पर कही जा चुकी है। नियमों में लिखा है कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई नई बात हो तो ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री नेम सिंह चौहान—

जो व्यवस्था चल रही है, जनता पार्टी ने उर्दू अकादमी के लिए जो विशेष व्यवस्था की थी, वह ठीक थी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर विवाद स्थगित किया जाता है। यह संकल्प अब दूसरे दिन लिया जायेगा। डाक्टर अश्वनी कुमार वाला जो प्रस्ताव है अब उसको हम लेंगे। यह उस समय छूट गया था। इस पर चर्चा हो चुकी है। फिर भी काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मुझे भी उत्तर देने के लिए समय दे दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में मुझें निवेदन करना है। .....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मैंने स्थगित कर दिया है।

समान कार्य के लिए समान वेतन तथा अन्य समाजवादी कदम उठाने के सम्बन्ध में संकल्प

(क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष—

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी का संकल्प मैं लेता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला बाराणसी)—

वह चले गये।

श्री उपाध्यक्ष—

तब भी, हमको इस पर सदन का मत तो लेना ही पड़ेगा। प्रश्न यह है कि—

"इस सदन का निश्चित मत है कि सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन, समान शिक्षण व्यवस्था, सरकारी सेवाओं में समानता, आय-व्यय और कीमतों की समरूपता, समान मानवाधिकार, संरक्षण एवं समरूप नागरिक कानून आदि समतावादी कदम उठाकर भारतीय संविधान, संस्कृति एवं मानवाधिकार घोषणा-पत्रों द्वारा प्रतिपादित समता के अधिकारों की रक्षा करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

कार्य-सूची की मद संख्या 19–20 का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शतरुद्र प्रकाश वाला विधेयक भी अगले दिन लिया जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

आज नहीं लेंगे तो अगले दिन कब होगा, अगले दिन मानें ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब अगला दिन होगा। अब मैं नियम 51 की सूचना लेता हूं.....

श्री राम सजीवन (जिला बाँदा)—

हमारे संकल्प का क्या हुआ ?

---

†दिनांक 8 जून, 1979 की कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष—
वह तो बाद में है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—
नियम 51 में मुझे 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

श्री देव कुमार का ग्राम मवई, थाना कमासिन, जिला बाँदा के प्रधान की हत्या के सम्बन्ध में इसको मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है, लेकिन इसमें तिथि निश्चित करना उचित नहीं है, वह बाद में करेंगे।

दूसरी सूचना श्री राम सजीवन की बाँदा जिले की करवी तथा नरैनी तहसीलों के किसानों के खेतों में मेड़ें डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसे मैंने अस्वीकार किया।

तीसरी सूचना, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री विश्व नाथ पाण्डेय, श्री त्रिवेनी सिंह, श्री सन्त बख्स रावत, श्री श्रीनारायण, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की प्रदेश में आई0ए0एस0 तथा आई0पी0एस0 अधिकारियों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियाँ अभी तक न दिये जाने के सम्बन्ध में है। इसका भी मैंने अस्वीकार कर दिया है।

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—
मान्यवर, यह जो संकल्प था इसको किसी अन्य नान-आफिशियल डे के लिए रख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—
वह आगे चलेगा।

संविधान (पैंतालिसवां संशोधन) विधेयक, 1980†

सचिव, विधान सभा—
माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (पैंतालीसवाँ संशोधन) विधेयक, 1980 द्वारा भारत के संविधान में किये जाने के लिए प्रस्तावित उस संशोधन को जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत हैं, अनुसमर्पित करने के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से विधान सभा सचिवालय को प्राप्त संचार-पत्र को उक्त विधेयक एवं तद्विषयक संसद की कार्यवाहियों की प्रतिलिपि सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 182(1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

गुड़ और खाण्डसारी के प्रदेश से बाहर निर्यात पर रोक लगाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—
मान्यवर, एक नियम 51 के अन्तर्गत बयान होना था जिसका सवेरे निर्देश दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—
गुड़ और खाण्डसारी वाला वक्तव्य आ गया है इसको मैं करा रहा हूं :—

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह)—
उत्तर प्रदेश में गुड़ और खाण्डसारी के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है गुड़ के भाव इस समय लगभग 200 रु0 प्रति कुन्टल है जबकि पिछले वर्ष इस समय यह भाव लगभग 80 रु0 प्रति कुन्टल थे। इसी प्रकार खाण्डसारी के भाव 390 रु0 प्रति कुन्टल के आस पास हैं जबकि पिछले वर्ष यह भाव 225 0 प्रति कुन्टल के लगभग थे। भारत सरकार से यह निर्देश प्राप्त हुए थ कि क्योंकि गुड़ और खाण्डसारी के भाव बहुत बढ़ रहे हैं

† छापा नहीं गया।

और इन वस्तुओं के व्यापार में सट्टे बाजी की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, और इसका कुप्रभाव चीनी के भाव एवं उपलब्धि पर भी पड़ रहा है, इसलिए उचित होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार गुड़ और खाण्डसारी के निर्यात पर नियन्त्रण लगा दे।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष में यह आदेश जारी कर दिए गये हैं कि गुड़ और खाण्डसारी का निर्यात खाद्य विभाग के मार्केटिंग शाखा के अधिकारियों से परमिट प्राप्त करने के बाद ही हो सकेगा। परमिट देते समय अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रदेश में गुड़ और खाण्डसारी की उपलब्धि पर्याप्त मात्रा में बनी रहें और प्रदेश में इन वस्तुओं के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि न होने पाये जहाँ तक गन्ने के मूल्य का प्रश्न है इस समय पश्चिमी क्षेत्र में चीनी मिलों द्वारा 17 रु0 कुन्टल गन्ने का भाव दिया जा रहा है इस बात के आदेश जारी कर दिए गये हैं कि यह सुनिश्चित किया जाय कि गन्ने के भाव इस सीमा से नीचे न गिरें।

मान्यवर, इसमें एक सूचना और देना चाहता हूं। कल विधान परिषद् में और यहाँ माननीय सदस्यों ने इस पर विचार प्रकट किया था तो सरकार गुड़ पर सोच रही है थोड़ा सा जो यह, प्रतिबन्ध है, न रहें, बाकी चीजों पर रहें।

श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

इसमें मुझे एक बात कहनी है। यह जो प्रतिबन्ध लगा है इससे व्यापारियों को बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया है। हमारा मुजफ्फरनगर, पूरे देश में गुड़ की सबसे बड़ी मण्डी है। वहाँ पर गन्ना 10–12 रुपए उठान को तैयार नहीं है। इससे खण्डसारी और गुड़ का जो उद्योग है, उसको बड़ा भारी, बड़ा भयानक प्रभाव पड़ेगा। गन्ने का प्राफिट मिल मालिकों को मिलेगा। इसलिए निवेदन है कि यह प्रतिबन्ध बिलकुल हटाया जाना चाहिए यह जो सिस्टम लागू किया गया यह समाप्त किया जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा इसमें दो निवेदन है। सरकार दोनों पर से, गुड़ तथा खण्डसारी दोनों पर से प्रतिबन्ध हटाये और दूसरे जो परमिट सिस्टम रखा है इसमें भी समाप्त होना चाहिए मैं इसके सम्बन्ध में सरकार आश्वासन देगी या नहीं यह बताया जाय ?

श्री मलिखान सिंह—

मान्यवर, मैंने अभी बताया गुड़ और खाँडसारी दोनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। लेकिन माननीय सदस्यों की कल से आज तक भावनाओं को देखकर सरकार विचार कर रही है कि गुड़ पर प्रतिबन्ध हटाने की कोशिश करेगी, खाण्डसारी पर नहीं और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों पर हुआ है।

श्रीमती मालती शर्मा—

सेंट्रल गवर्नमेन्ट न पूरे देश के अन्दर यह आदेश भेजा। यहाँ पर किसानों की सरकार होते हुए किसानों के ऊपर अत्याचार क्यों किया गया ? इसी प्रान्त में क्या इस कानून को सबसे पहले लागू किया ?

श्री उपाध्यक्ष —

माननीय मुख्य मन्त्री विस्तार से इस पर बतायेगें।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक शुगर और गुड़ की नीति है। जब तक यह फैक्टरियाँ नहीं थी गुड़ और खांडसारी का दाम बहुत कम रहता था। पारसाल सरकार ने 25 करोड़ रुपया सब्सिडी में दिया और गन्ना जुलाई तक पेरा गया। 15 रु0 क्विंटल मिला और इस वर्ष भी जो सूखा हुआ गन्ना था, चार प्रतिशत जिसकी रिकवरी थी, उसका पूरा दाम दिलवाया है। 1947 में जब आजादी आई उत्तर प्रदेश में दो तिहाई ग उत्पादन होता था। इसी नीति का नतीजा है कि सारा शुगर का दो तिहा

[श्री बनारसी दास]

दक्षिण भारत में चला गया और पूर्व के जिलों में इस तरह की कोई समस्या नहीं है चूंकि वहाँ पर कोल्हू नहीं, खांडसारी नहीं। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि एक तरफ फैक्टरियाँ हैं वहाँ पर मजदूर काम करते हैं। फिर किसानों का बाण्ड होता है। उसके मुताबिक गन्ना देते नहीं। फिर अगर सस्ता हो गया तो कहने लगेंगे कि हमारा सारा का सारा गन्ना लिया जाय। फिर दो तिहाई शुगर लेवी से है जो उपभोक्ताओं को कन्ट्रोल रेट पर मिलेगी इसलिए सारी फैक्टरियाँ मेरठ डिवीजन में बन्द हो रही है जिसका नतीजा क्या होगा? शुगर का उत्पादन बहुत गिर जायगा। इसलिए भारत सरकार ने 2 फरवरी को निर्देश दिया चूंकि लेबर नीति का प्रश्न ह, इसी आधार पर शुगर केन की जो स्टैटूरी प्राइस है वह कुल मिला कर साढ़े 14 रु0 ठती है। लेकिन रिकवरी हो कर कहीं 16 रुपए कहीं 17 रुपए हैं। लेकिन खांडसा ी पर चूंकि प्रतिबन्ध नही था 23 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदने लगे। लेकिन इसमें पहले हमने और खांडसारी गुड़ दोनों पर प्रतिबन्ध लगाया था, अब हम इसका संशोधन कर रहें है। आज बहुत से सदस्य मेरठ डिवीजन के हमसे मिले भी थे अत: गुड़ तक के निर्यात के ऊपर से प्रतिबन्ध हम अलग कर रहें है। खांडसारी से भी दो बटा तीन मिलों के समान इस पर लगे कन्ट्रोल रेट पर, तो उससे और कठिनाई होगी। आज तक जो खांडसारी की नीति है वह कन्ट्रोल की दुकानों पर लेवी शुगर के रूप में वितरित होती है। खांडसारी पर 2/3 हम लगाये देते है, यदि सदन यही चाहता है। तो इसमें जो भी हम कर सकते थे वह की गयी है। अब फिर विधायक लोग मेरे पास आयेंगे. . . .

(व्यवधान)

श्रीमती मालती शर्मा--

हम नहीं आयेंगे, जब परमिट दिए जायेंगे और उसमें धांधली होगी, तब हम मुख्य मन्त्री जी के पास आयें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि पश्चिमी जिलों में किसी-किसी फैक्टरी में गन्ने की कीमत 16-17 रुपया क्विंटल दिलाई जा रही है, तो बाजार में जब 20-21 रुपया क्विंटल गन्ना खरीद रहें हैं, तो मिल वालों से भी उसी रेट पर खरीदने की बात कही जाय तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति ह? पश्चिमी जिलों में केवल नाम मात्र की केवल 2-1 मिल ही 17 रुपए खरीद रही हैं सब नहीं।

श्री बनारसी दास--

देव बहादुर जी जानते हैं कि हर फैक्टरी की 2/3 चीनी जो 15 रुपए के दाम तय किया गया है, देना पड़ेगा। 1/3 चीनी फ्री है उसका दाम भी एक साधारण कंज्यूमर की शक्ति से बाहर नहीं है। एक आप बात तय कर दीजिए कि नई फैक्टरी नहीं खुलेगी, सारी दक्षिण में चली जायेगी और गुड़ और खांडसारी चले, तो मैं समझता हूं कि यह आत्म-घाती नीति होगी। यह किसी को अच्छा नहीं लगता है, 50 रुपया क्वींटल का दाम मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अन-फोरसाइटेडनेस नीति का नतीजा है कि यहाँ फैक्टरियाँ कम हो गयी है। जो हैं कोआपरेटिव फैक्टरियाँ है और आधी शुगर कारपोरेशन की है। 100 करोड़ रुपया अब तक गवर्नमेंट का उसके अन्दर लग चुका है। बैंकों की गारंटी दी जा चुकी है। तो न सब प्रश्नों पर गौर करने के बाद यदि किच्छा और बागपत की मिलें बन्द कर ी जाँय तो क्या यह ठीक होगा? तो कोई न कोई नियन्त्रण हमें करना पड़गा। लोग परस्पर विरोधी बात करते है। कभी कहते ह भाव बहुत बढ़ गया यानी कन्ट्रोल होना चाहिए और दूसरी तरफ कभी कहते कि भाव बढ़ता चला जाय, उस पर कोई नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। तो इस नीति का नतीजा क्या होगा? शुगर क्यों तेज हो रही है? जो निर्यात हो रहा ह, बंगाल पहुंची और वहाँ से पूर्वी बंगाल पहुंचती है

यही हालत रही तो चीनी का प्रदेश में अकाल हो जायगा। इसलिए खांडसारी पर जो प्रतिबन्ध है, वह निहायत उचित है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

आपूर्ति मन्त्री जी ने अभी बताया कि केन्द्रीय निर्देश पर ऐसा प्रस्ताव लगाया गया है तो मैं जानाना चाहता इ किव ह केन्द्रीय निर्देश क्या है ? वह उसको पढ़कर यहाँ सुनाएं।

श्री मलिखान सिह—

दो फरवरी को केन्द्रीय निर्देश आया था।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर केन्द्रीय सरकार ने निर्देश दिये हैं तो उसका परिपत्र यहाँ पर होगा तो मैं जानता हूं कि उससे जनहित का कितना आदर होता है और कितना नुकसान होता है ?

श्री मलिखान सिह—

परिपत्र इस समय मेरे पास नहीं है। 2 फरवरी, 1980 का है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कुछ मिल 17 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना खरीदते हैं और खांडसारी वाले 20–22 रुपए तक खरीद रहे हैं और गन्ने का मूल्य भारत सरकार निश्चित करता है तो मैं जानना चाहता हूं कि गन्ने के मूल्य में एकरूपता लाने के लिए क्या आपकी सरकार भारत सरकार को कुछ सुझाव भेजेगी जिससे गन्ने के मूल्य में एक रूपता भी रहें और गन्ना किसानों को भी नुकसान न हो ?

श्री मलिखान सिह—

मान्यवर, 11 मिल बन्द हो चुकी हैं। गन्ने की कमी के कारण मिल बन्द हो चुके हैं। गन्ने की कमी तो है ही। यह जो विचौलिये हैं उन पर नियन्त्रण करना है। इसलिए परमिट जारी किये गये जिससे वह हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जायं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई))—

गन्ने के मूल्यों में एक रूपता के बारे में पूछा गया था।

श्री ऊदल—

मैंने मान्यवर, यह प्रश्न किया था कि कुछ मिल वाले गन्ने का दाम 17 रुपए प्रति क्विन्टल दे रहे हैं और खांडसारी वाले 20–22 रुपए दे रहे हैं तो गन्ने के मूल्य में एक रूपता किस प्रकार से हो और एक रूपता लाने के लिए क्या सरकार कोई सुझाव भारत सरकार को भेजेगी ?

श्री मलिखान सिह—

मान्यवर, भारत सरकार से ही विचार होता है और इस सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

वैद्यलिंगम आयोग के सम्बन्ध में चर्चा कराए जाने पर आपत्ति

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिह)—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं, एक आइटम और है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैंने एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया था कि नियम 51 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था। उसका बयान दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पूछे लेता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी अगर यह वक्तव्य आया हो तो दे दें। मैंने पहले कहा था।.....

(कोई उत्तर न मिलने पर)

शायद अभी आया नहीं है।

श्री फजलुल बारी (जिला गोण्डा)—

मान्यवर, मैं नियम 85 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई प्राइवेट सदस्य कोई रेजोल्यूशन पेश करना चाहें .।.....

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि.....

(व्यवधान)

श्री फजलुलबारी—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि अगर कोई प्राइवेट सदस्य कोई रेजोल्यूशन पेश करना चाहे तो नियम 85 में लिखा हुआ है कि.....

(घोर व्यवधान)

उस आयोग ने कोई फैसला किया हो, वह कुछ मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी आपत्तियाँ मैंने सुन ली हैं। आप कृपया बैठिए। उनको सुनने के बाद ही मैंने निर्णय लिया है। प्रजातन्त्र में यह नहीं होता है कि जो चीज अच्छी लगे उसको सुनें और जो अच्छी न लगे उसको न सुनें। मैं चाहूंगा कि माननीय गुलाब सेहरा जी अपना प्रस्ताव पढ़े। लेकिन जो शब्द हटा दिए हैं जैसे "अपराधियों" उनको न पढ़ें ?

श्री फजलुलबारी—

मान्यवर, कायदे कानून से काम होता है, बाजाब्ता होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए। माननीय गुलाब सेहरा जी आप किसी का नाम लेकर कोई बात न कहें जिससे वातावरण अच्छा बना रहे और कोई कटुता न आने पाए।

(श्री गुलाब सेहरा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह प्रस्ताव असंवैधानिक है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

आपने मुझे बुला लिया है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब भी इस सदन के अन्दर किसी संकल्प पर चर्चा हो तो उसका कोई आधार होना चाहिए या शासन का कोई फैसला हो, विधेयक हो, कानून हो, या कोई जाँच आयोग की रिपोर्ट हो।.....

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर तो निर्णय लिया जा चुका है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, क्या ये आपके निर्णय पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 112 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें लिखा हुआ है :

कार्य-स्थगित करने के लिए प्रस्ताव—(1) अनुच्छेद 204 के अन्तर्गत विनियोग विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक पर, ...

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, क्या आपके निर्णय पर कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह फिर स्थगित नहीं हो सकता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

श्रीमन्,. . . . . .

[* * * *]

(व्यवधान)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री गुलाब सेहरा को बुलाया है, अन्य माननीय सदस्य कृपया बैठें।

एक सदस्य—

यह सदन इस तरह से नहीं चलेगा। नियमावली के अनुसार चलेगा। आप हमारा व्यवस्था का प्रश्न सुनिए।

(शोर—व्यवधान के बीच कई सदस्य एक साथ बोलते रहे जो सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक नहीं है, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी आपत्ति के बारे में जो निर्णय ले चुका हूं. . . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश—

अभी तो आपने हमें सुना ही नहीं, हमारी आपत्ति बिना सुने ही आपने निर्णय दे दिया।

(शोर—व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह बहुत गैर मुनासिब है कि जिस प्रश्न को मैंने ग्राह्य किया उस पर इतना इस तरह से शोर हो रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग नहीं चाहते कि इस पर चर्चा हो।

(शोर—व्यवधान)

सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया जाय।

नोट—[****] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय शोर गुल में यह सम्भव नहीं है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सके। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री के प्रस्ताव को ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह;
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ।
8 फरवरी, 1980 :

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1053 पर)

सूची

क्र0 संख्या	नाम	दिनाँक 31-12-79 तक आवास का बकाया किराया/ प्रतिकर	दिनांक 31-12-79 तक साज सज्जा का बकाया किराया	योग	विवरण
1	2	3	4	5	6
			भूतपूर्व मंत्री		
	सर्वश्री--	रु0	रु0	रु0	
1	--धर्म सिंह	1,515.00	. .	1,515.00	. .
2	--श्रीपति मिश्र	22,989.07	5,462.77	28,451.84	. .
3	--लक्ष्मी रमण आचार्य	29,882.11	. .	29,882.11	. .
4	--सत्य प्रकाश मालवीय	निर्धारित होना है।			
5	--राम सिंह	. .	. .	. .	. .
6	--गणेश दत्त बाजपेई	. .	. .	. .	. .
7	--शोबन सिंह जीना	. .	. .	. .	. .
8	--हरीश चन्द्र श्रीवास्तव	. .	. .	. .	. .
9	--ओम प्रकाश सिंह	. .	. .	. .	. .
10	--राम प्रकाश	. .	. .	. .	. .
11	--रवीन्द्र किशोर शाही	10,607.06	5,748.99	16,356.05	रु0 1,580/- जमा किया है। अभी तक आवास नही छोड़ा है।
12	--केशरी नाथ त्रिपाठी	. .	.	.	.
13	--शारदा भक्त सिंह	. .	. .	. .	. .
14	--कल्याण सिंह	. .	. .	. .	.
15	--बलबीर सिंह	. .	. .	. .	
16	--कालीचरण	3,526.39	1,778.39	5,304.78	अभी तक आवास नहीं छोड़ा है।

1	2	3	4	5	6

भूतपूर्व राज्य मंत्री

सर्वश्री —

1—राजबली तिवारी
2—सूबेदार प्रसाद
3—श्रीमती शकुन्तला नायर
4—सत्य प्रकाश अग्रवाल
5—लक्ष्मण सिंह
6—अवधेश प्रसाद
7—सत्य वीर जी
8—धीरेन्द्र सहाय
9—मुख्तार अनीस
10—चन्द्रशेखर सिंह
11—तेजसिंह
12—छोटे लाल
13—अब्दुल रऊफ लारी
14—सत्य देव त्रिपाठी
15—शिवदास तिवारी
16—लक्ष्मी सहाय सक्सेना
17—स्वर्गीय श्री मकबूल हसन
18—श्री दीना नाथ सेवक
19—भगौती सिंह

भूतपूर्व उपमंत्री

सर्वश्री

1—मोहम्मद आरिफ
2—बाबू लाल वर्मा
3—श्रीमती मालती शर्मा

नत्थी 'ब'

(देखिए अतारांकित प्रश्न सख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1072 पर)

हमीदपुर के हरिजन परिवारों की सूची एवं उनके पास उपलब्ध भूमि का विवरण।

ग्राम हमीदपुर	सभी हरिजन परिवारों के मुखिया का नाम व पिता का नाम	कुल भूमि का क्षेत्रफल
1	बिशेसर पुत्र अलगू	..
2	रामधारी पुत्र पुर्नवासी	..
3	राजबली पुत्र पुर्नवासी	..
4	जगरूप पुत्र गोकुल	..
5	झोलई पुत्र बनारसी	..
6	सूचित पुत्र रघुबीर	..
7	निफिकिर पुत्र अलगू	..
8	राजदेव पुत्र पुर्नवासी	..
9	शिव पुत्र खरपत्तू	-023
10	जवहिर पुत्र खरपत्तू	-022
11	दुखरन पुत्र खरपत्तू	-023
12	सवरु पुत्र खरपत्तू	-022
13	सवरु पुत्र मनोहर	-015
14	रामबली पुत्र महा`व	-028
15	राधे पुत्र बल्ली	-045
16	रामदत्त पुत्र किशुन	-052
17	बलेसर पुत्र किशुन	-051
18	बिजुली पुत्र मनोहर	-112
19	मरछु पुत्र मनोहर	-112
20	सुरेशा सुबाश बाल किशुन पुत्र जयश्री	-112
21	जयश्री पुत्र मनकी	-112
22	रामनाथ पुत्र सन्तू	-112
23	कुमार पुत्र महादेव	-136
24	भग्गू पुत्र बन्सी	-179
25	लोचन पुत्र मनोहर	-140
26	दशरथ व शेखर पुत्र सालिक	-160
27	मकतुलिया बेवा झगटू	-445
28	द्वारिका पुत्र रघुबीर	-224
29	पुर्नवासी पुत्र मथुरा	-224
30	सूर्यबली पुत्र कन्हीं	-490
31	शिवचन पुत्र महाबीर	-773
32	शील पुत्र निहा`	-192
33	सुखदेव पुत्र झिन्नू	..
34	चौथी पुत्र जालिम	116

1	2	3	4	5
	35—कतवारू पुत्र अकालू	..	..	-250
	36—दुखन्ती पुत्र बुद्धू	..	..	-456
	37—बिशुनी पुत्र जालिम	..	..	1-000
	38—सुखराम पुत्र सुगलाम	..	..	1-259
	39—शिवचन पुत्र बुद्धिराम	..	..	-140
	40—दसई व दशरथ पुत्र जमुना	..	..	-628
	41—पसौली बेवा सरजू			-667

विधान सभा

नत्थी (ग)

(देखिये पीछे पृष्ठ 1112 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के पाँचवे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1—क्या राजस्व मंत्री को मालूम हैं कि राजस्व परिषद के परिपत्र संख्या 8121-71-14-281/71 दिनांक 4-6-77 के अन्तर्गत तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद की सरकिल रामपुर जैसिंह में प्रशिक्षित चकबन्दी लेखपालों को दिनांक 1-11-78 से 1-12-78 के बीच नियुक्ति रेगुलर लेखपालों के रिक्त पदों पर की गयी थी और उनको दो माह के पश्चात् हटा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?	1—जी नहीं। सर्किल रामपुर जैसिंह में स्थायी लेखपाल की अवकाश रिक्ति में एक अप्रशिक्षित लेखपाल को अस्थायी नियुक्ति स्थानापन्न रुप से की गई थी जिसे प्रशिक्षित चकबन्दी लेखपाल की उपलब्धि पर हटा दिया गया था।

नारायण सिंह
उप मुख्य मंत्री।

पी0एस0ए0पी0 एल0 506 विधान सभा (946)-1980-8351।